सत्यमेव जयते

भारत सरकार

Government of India

संसदीय कार्य मंत्रालय

Ministry of Parliamentary Affairs

वार्षिक रिपोर्ट

2025-26

विषय वस्तु

अध्याय-1 प्रस्तावना और संगठनात्मक संरचना 1
प्रस्तावना 1
संगठनात्मक संरचना 2
मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट....3
अध्याय-2 संसद के दोनों सदनों का बुलाया जाना और सत्रावसान....4
सत्र का बुलाया जाना और सत्रावसान 4
अध्याय-3 राष्ट्रपति का अभिभाषण और अध्यादेश....7
राष्ट्रपति का अभिभाषण 7
अध्यादेशों के बारे में प्रावधान 7
अध्यादेश 8
राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 1952 से 2025 (अभी तक) तक प्रख्यापित अध्यादेश 9
अध्याय-4 संसद में सरकारी कार्य और संसदीय समय का वितरण....12
सरकारी कार्य 12
सरकारी कार्य की आयोजना 12
सरकारी कार्य का प्रबंधन 13
निष्पादित सरकारी कार्य का सार 14
मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव 14
स्वीकृत सरकारी प्रस्ताव/सांविधिक संकल्प 15
सरकारी समय का व्यापक वितरण 16
व्यवधानों इत्यादि के कारण स्थगनों पर लगा समय 16
संसद की बैठकों की संख्या और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक (1952-2025)...17
अध्याय-5 गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य....19
लोक सभा - ध्यानाकर्षण....19
लोक सभा - अन्य प्रकार की चर्चा....19
राज्य सभा 20
राज्य सभा में मंत्रालयों के कार्यचालन पर चर्चा....20
राज्य सभा - अन्य प्रकार की चर्चा....20
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रूख....20
दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 तक की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक....21
दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 तक की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प 21
वर्ष 1952 से 2025 तक संसद द्वारा पारित गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक....22
अध्याय-6 आश्वासनों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण....23
सामान्य प्रक्रिया 23
लंबित आश्वासनों के निपटान के लिए कार्रवाई 25
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन 25

अध्याय-7 लोक सभा में नियम 377 के अधीन उठाए गए मामले और राज्य सभा में नियम 180 ए-ई के अधीन विशेष उल्लेख......26
नियम 377 (लोक सभा) के अंतर्गत उठाए गए मामले......26
नियम 180 ए-ई (राज्य सभा) के अंतर्गत विशेष उल्लेख......26
अनुवर्ती कार्रवाई......26
प्रश्न काल के पश्चात (शून्य काल में) उठाए गए मामलों पर कार्रवाई......27
अध्याय-8 परामर्शदात्री समितियां......29
अध्याय-9 संसदविदों के सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान......32
विदेश जाने वाले सरकारी शिष्टमंडलों पर संसद सदस्यों का नामांकन......32
विदेशों से आए शिष्टमंडलों के साथ बैठक......32
संसद सदस्यों के विदेश दौरे......35
विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन अनुमति......35
विदेश दौरों के लिए राज्य सरकारों को अनुमति/अनापत्ति......35
अध्याय-10 युवा संसद योजना......36
प्रस्तावना......36
शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता......37
केन्द्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता......39
जवाहर नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता......42
विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता......44
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता......44
युवा संसद प्रतियोगिता के आयोजन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता......45
"राष्ट्रीय युवा संसद योजना" का वेब-पोर्टल......45
अध्याय-11 मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग......47
राजभाषा कार्यान्वयन समिति......47
हिंदी सलाहकार समिति......47
हिंदी पखवाड़ा......48
हिंदी कार्यशालाएं......49
अध्याय-12 राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा)......50
प्रस्तावना......50
नेवा की मुख्य विशेषताएं......51
ई-विधान एमएमपी के तहत स्वचालन के क्षेत्र......51
वर्ष 2025 में आयोजित प्रमुख कार्यक्रम......52
राज्यों के विधानमंडलों में नेवा की उपलब्धियां......54
नेवा के कार्यान्वयन की स्थिति......58
नेवा सारांश......59
क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण......59
अध्याय-13 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और लोक शिकायतें......64

अध्याय-14 **विविध ....**...65
सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, बोर्डों, आयोगों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन...65
हिंदी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन 65
याचिका संबंधी संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई...65
संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन...66
लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर सांसदों/पूर्व सांसदों के वेतन, भत्तों और पेंशन में संशोधन...66
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई...67
नेताओं/मुख्य सचेतकों और सचेतकों की व्यवस्था 67
अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन...67
संसद सदस्यों का कल्याण...67
संसद सदस्यों के लिए परिवहन और रात्रिभोज की व्यवस्था...68
महत्वपूर्ण समारोहों पर अगवानी कार्य...68
संसद में विभिन्न दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ संपर्क...68
बजट की स्थिति...70
वित्तीय वर्ष 2025-26 में लेखा परीक्षा पैराग्राफों पर एटीएन की स्थिति...71
दिव्यांगजनों के लाभार्थ किए गए क्रियाकलाप...71
अनुसंधान कार्य...72
स्वच्छता पखवाड़ा, 2025...72
स्वच्छता ही सेवा अभियान, 2025...74
स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटान हेतु विशेष अभियान 5.0...76
150 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय गीत "वन्दे मातरम" का सामूहिक गायन 78

परिशिष्ट-1...82
परिशिष्ट-2...83
परिशिष्ट-3...86
परिशिष्ट-4...88
परिशिष्ट-5...91
परिशिष्ट-6...100
परिशिष्ट-7...106
परिशिष्ट-8...108
परिशिष्ट-9...115
परिशिष्ट-10...121
परिशिष्ट-11...124
परिशिष्ट-12...126
परिशिष्ट-13...131

अध्याय-1
प्रस्तावना और संगठनात्मक संरचना

प्रस्तावना

1.1 संसदीय प्रणाली की सरकार में, संसदीय प्रणाली के दिन-प्रतिदिन का कार्यचालन सभी मंत्रालयों/विभागों के साथ संसदीय कार्य मंत्रालय के समन्वय प्रयासों पर निर्भर करता है। संसदीय कार्यक्रम में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित बहुत से जटिल मामले - वित्तीय, विधायी और गैर-विधायी शामिल होते हैं। संसद में सरकार की ओर से इस विविध संसदीय कार्य को कुशलतापूर्वक निपटाने का कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। इस प्रकार मंत्रालय, संसद में सरकारी कार्य के संबंध में एक ओर सरकार एवं दूसरी ओर संसद के दोनों सदनों के बीच एक महत्वपूर्ण समन्वय कड़ी के रूप में कार्य करता है। यह मई, 1949 में एक विभाग के रूप में स्थापित किया गया था जो बृहत जिम्मेदारियों और कार्यों के साथ शीघ्र ही एक सम्पूर्ण मंत्रालय बन गया।

1.2 भारत के संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन बनाए गए "भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961" के अधीन मंत्रालय को आबंटित कार्य **परिशिष्ट-1** में दिए गए हैं।

1.3 यह मंत्रालय संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल समिति को सचिवालयिक सहायता प्रदान करता है जो संसद के दोनों सदनों को बुलाने और उनके सत्रावसान की तारीखों की सिफारिश करने के अतिरिक्त संसद में सरकारी कार्य की प्रगति पर नजर रखती है और ऐसे कार्य के सुचारू और कुशल संचालन के लिए यथा अपेक्षित निदेश देती है तथा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार के रूख का अनुमोदन भी करती है।

1.4 मंत्रालय संसद में लम्बित विधेयकों, पुर:स्थापित किए जाने वाले नए विधेयकों और अध्यादेशों के प्रतिस्थापक विधेयकों के संबंध में सरकार के मंत्रालयों/विभागों से निकट सम्पर्क बनाए रखता है। मंत्रालय संसद के दोनों सदनों में विधेयकों की प्रगति पर निरन्तर नजर रखता है। संसद में विधेयकों का सुचारू पारण सुनिश्चित करने के लिए इस मंत्रालय के अधिकारी विधेयक प्रायोजित करने वाले मंत्रालयों/विभागों तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय, जो विधेयकों का प्रारूपण करता है, के अधिकारियों के सतत सम्पर्क में रहते हैं।

1.5 मंत्रालय संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समितियां गठित करता है तथा सत्रावधि और अन्त:सत्रावधि दोनों के दौरान इनकी बैठकें आयोजित करने के लिए व्यवस्था करता है। 18वीं लोक सभा के दौरान, शुरूआत में विभिन्न मंत्रालयों से संबंद्ध 41 परामर्शदात्री समितियां थीं। वर्तमान में, दिनांक 05.05.2025 को आयुष मंत्रालय के लिए परामर्शदात्री समिति के गठन के पश्चात परामर्शदात्री समितियों की संख्या 42 है। इन समितियों के गठन, कार्यों और प्रक्रियाओं से संबंधित दिशा-निर्देश इस मंत्रालय द्वारा मंत्रिमंडल के अनुमोदन से तैयार किए गए हैं। मंत्रालय जब भी अपेक्षित हो, सरकार द्वारा गठित आयोगों, समितियों, निकायों इत्यादि पर संसद सदस्यों का नामांकन भी करता है।

1.6 संसदीय कार्य मंत्रालय संसद सदस्यों के कल्याण संबंधी कार्यों की देख-रेख करता है। संसदीय कार्य मंत्री विदेश दौरे करने वाले विभिन्न सरकारी शिष्टमंडलों पर संसद सदस्यों का नामांकन करते हैं।

1.7 किसी भी देश में संसदविद् विदेश नीति को स्वरूप प्रदान करने और अन्य देशों से संबंध मजबूत करने में योगदान देते हैं। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, सरकार के लिए यह आवश्यक और उपयोगी है कि वह कुछ संसद

सदस्यों का चयन करें ताकि वे अन्य देशों में उनके समकक्ष व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में हमारी नीतियों, उपलब्धियों, समस्याओं और भविष्य निरूपण को स्पष्ट करके उनको अपने पक्ष में करने के लिए अपनी सुविज्ञता और सेवाओं का प्रभावी रूप में उपयोग कर सकें। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, संसदीय कार्य मंत्रालय संसद सदस्यों के सरकारी शिष्टमण्डलों के विदेश दौरे प्रायोजित करता है और अन्य देशों की सरकार द्वारा प्रायोजित संसद सदस्यों के शिष्टमण्डलों के भारत दौरों का आयोजन भी करता है।

1.8 राजभाषा नीति एवं राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उपयुक्त कार्यान्वयन तथा अनुवाद कार्य के लिए मंत्रालय में एक हिंदी अनुभाग है।

संगठनात्मक संरचना

1.9 मंत्रालय एक कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य कर रहा है जिसे दो राज्य मंत्रियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान संसदीय कार्य मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाले कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों के नाम आदि निम्न प्रकार हैं:-

I.	**मंत्री जो 18वीं लोक सभा के गठन के पश्चात मंत्रालय का कार्यभार संभाले हुए हैं**	
1.	श्री किरेन रीजीजू, कैबिनेट मंत्री (दिनांक 09.06.2024 से)	
2.	डॉ. एल. मुरूगुन, राज्य मंत्री (राज्य सभा) (दिनांक 09.06.2024 से)	
3.	श्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्य मंत्री (लोक सभा) (दिनांक 30.05.2019 से)	

संसदीय कार्य मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट इस प्रकार है-

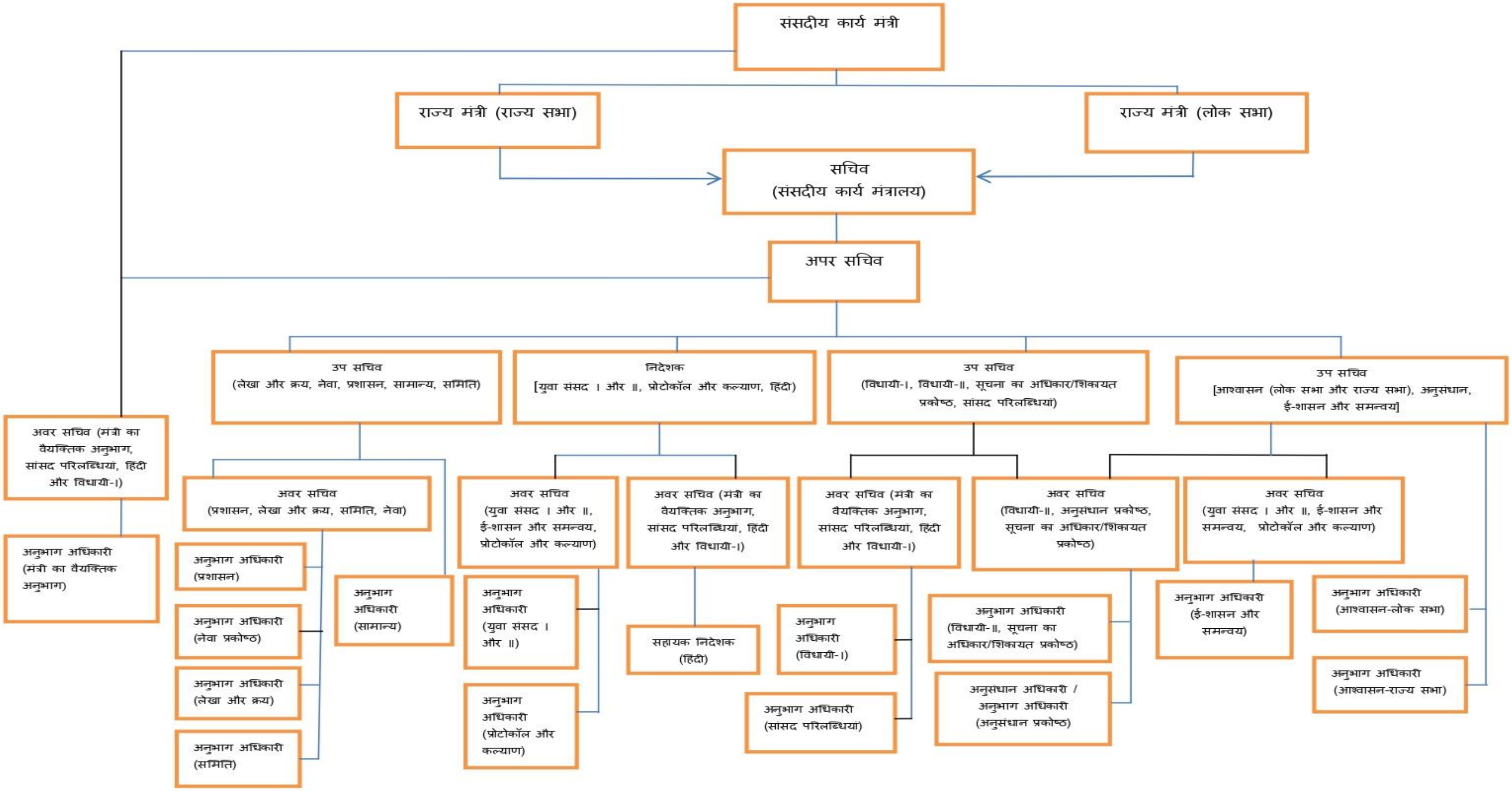

अध्याय-2

संसद के दोनों सदनों का बुलाया जाना और सत्रावसान

एक झलक
• दिनांक 1.1.2025 से 31.12.2025 की अवधि के दौरान तीन सत्रों में लोक सभा और राज्य सभा प्रत्येक की 62 बैठकें हुई।

सत्र का बुलाया जाना और सत्रावसान

2.1 संविधान के अनुच्छेद 85(1) के द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संसद के प्रत्येक सदन की बैठक ऐसे समय और स्थान पर बुला सकते/सकती हैं जैसा कि वे उचित समझें। उक्त अनुच्छेद के खंड (2) के अनुसार राष्ट्रपति सदनों अथवा किसी एक सदन का समय-समय पर सत्रावसान अथवा लोक सभा को भंग कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन बनाए कार्य आबंटन नियमों के द्वारा यह कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। सरकारी कार्य के निष्पादन के लिए अपेक्षित समय और लोक हित के विषयों पर चर्चा के लिए संसद सदस्यों द्वारा समय-समय पर मांगे जाने वाले समय का निर्धारण किए जाने के पश्चात संसद के सत्र के प्रारम्भ किए जाने की तारीख और इसकी संभावित अवधि की सिफारिश करने के लिए एक टिप्पण (नोट) संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल की समिति के समक्ष रखा जाता है। प्रस्ताव (प्रस्तावों) पर संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, प्रधान मंत्री की सहमति मांगी जाती है। यदि संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति गठित नहीं की गई हो, तो प्रस्ताव (प्रस्तावों) सहित एक नोट मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति/कैबीनेट की सिफारिशों (सत्र आरंभ होने की तारीख के संबंध में) को राष्ट्रपति को उनके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात, सत्र के प्रारम्भ होने की तारीख और उसकी समयावधि की सूचना लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों को भेजी जाती है ताकि वे संसद सदस्यों को समन जारी कर सकें।

सत्र

(i) बुलाया जाना

2.2 दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 की अवधि के दौरान, लोक सभा और राज्य सभा दोनों के तीन सत्र आयोजित हुए। इन सत्रों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

अठारहवीं लोक सभा			
सत्र	**अवधि**	**बैठक**	**दिन**
चौथा	31 जनवरी, 2025 से 4 अप्रैल, 2025	26	64
पांचवां	21 जुलाई, 2025 से 21 अगस्त, 2025	21	32
छठा	1 दिसंबर, 2025 से 19 दिसंबर, 2025	15	19

राज्य सभा			
267वां	31 जनवरी, 2025 से 4 अप्रैल, 2025	26	64
268वां	21 जुलाई, 2025 से 21 अगस्त, 2025	21	32
269वां	1 दिसंबर, 2025 से 19 दिसंबर, 2025	15	19

(ii) सत्रावसान

2.3 सदनों के सत्रावसान के प्रस्ताव के लिए संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, सरकार का निर्णय संसद के दोनों सचिवालयों को राष्ट्रपति के आदेश को जारी करने तथा इसे भारत के राजपत्र में अधिसूचित करने के लिए भेजा जाता है। संसद के दोनों सदनों का अनिश्चितकाल के लिए स्थगन और सत्रावसान की तारीखों का विवरण निम्नलिखित है-:

अठारहवीं लोक सभा		
सत्र	**अनिश्चित काल के लिए स्थगन की तारीख**	**सत्रावसान की तारीख**
चौथा	04 अप्रैल, 2025	05 अप्रैल, 2025
पांचवां	21 अगस्त, 2025	22 अगस्त, 2025
छठा	19 दिसंबर, 2025	23 दिसंबर, 2025
राज्य सभा		
267वां	04 अप्रैल, 2025	05 अप्रैल, 2025
268वां	21 अगस्त, 2025	22 अगस्त, 2025
269वां	19 दिसंबर, 2025	23 दिसंबर, 2025

लोक सभा के लिए मतदान, गठन, पहली बैठक, कार्यकाल पूरा होने तथा उसके विघटन की तारीखें

(पहली से अठारहवीं लोक सभा)

लोक सभा	**मतदान की अंतिम तारीख**	**गठन की तारीख**	**पहली बैठक की तारीख**	**कार्यकाल पूरा होने की तारीख [संविधान का अनुच्छेद 83(2)]**	**विघटन की तारीख**
1	2	3	4	5	6
पहली	21.02.1952	02.04.1952	13.05.1952	12.05.1957	04.04.1957
दूसरी	15.03.1957	05.04.1957	10.05.1957	09.05.1962	31.03.1962
तीसरी	25.02.1962	02.04.1962	16.04.1962	15.04.1967	03.03.1967
चौथी	21.02.1967	04.03.1967	16.03.1967	15.03.1972	*27.12.1970
पांचवी	10.03.1971	15.03.1971	19.03.1971	18.03.1977	*18.01.1977
छठी	20.03.1977	23.03.1977	25.03.1977	24.03.1982	*22.08.1979
सातवीं	06.01.1980	10.01.1980	21.01.1980	20.01.1985	31.12.1984
आठवीं	28.12.1984	31.12.1984	15.01.1985	14.01.1990	27.11.1989
नौंवी	26.11.1989	02.12.1989	18.12.1989	17.12.1994	*13.03.1991
दसवीं	15.06.1991	20.06.1991	09.07.1991	08.07.1996	10.05.1996
ग्यारहवीं	07.05.1996	15.05.1996	22.05.1996	21.05.2001	*04.12.1997

बारहवीं	07.03.1998	10.03.1998	23.03.1998	22.03.2003	*26.04.1999
तेरहवीं	04.10.1999	10.10.1999	20.10.1999	19.10.2004	*06.02.2004
चौदहवीं	10.05.2004	17.05.2004	02.06.2004	01.06.2009	18.05.2009
पंद्रहवीं	13.05.2009	18.05.2009	01.06.0209	31.05.2014	18.05.2014
सोलहवीं	12.05.2014	18.05.2014	04.06.1204	03.06.2019	25.05.2019
सत्रहवीं	19.05.2019	25.05.2019	17.06.1209	16.06.2024	05.06.2024
अठारहवीं	01.06.2024	06.06.2024	24.06.2024	23.06.2029	

*1. मध्यावधि चुनाव हुए थे, चुनावों से पहले ही लोक सभा भंग कर दी गई थी।

2. कॉलम (2) में दी गई मतदान की अंतिम तारीखें निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

अध्याय-3

राष्ट्रपति का अभिभाषण और अध्यादेश

राष्ट्रपति का अभिभाषण

3.1 संविधान का अनुच्छेद 87(1) आज्ञापक है क्योंकि यह राष्ट्रपति को प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारम्भ में और प्रत्येक कलैण्डर वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारम्भ में संसद के दोनों सदनों की समवेत बैठक में अभिभाषण करने के लिए आदिष्ट करता है।

3.2 अनुच्छेद 87 के खंड (2) के अनुसार राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लिखित मामलों पर चर्चा के लिए लोक सभा और राज्य सभा के प्रक्रिया नियमों में प्रावधान किया गया है। दोनों सदनों में चर्चा संसदीय कार्य मंत्री द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा प्रस्तावित और अनुमोदित किए गए धन्यवाद के प्रस्ताव पर होती है। इन सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव को संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा संसद के संबंधित सचिवालय को भेजा जाता है। अभिभाषण पर चर्चा काफी व्यापक होती है और सदस्य किसी भी विषय पर चाहे वह राष्ट्रीय हो या अंतरराष्ट्रीय, बोलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यहां तक जिन मामलों का अभिभाषण में विशिष्ट उल्लेख नहीं हो, उन पर भी सदस्यगण अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन पेश करके अथवा चर्चा में भाग लेकर बोलते हैं। अभिभाषण में उल्लिखित किसी भी बात के लिए राष्ट्रपति के पद की आलोचना नहीं की जाती है क्योंकि अभिभाषण सरकार द्वारा तैयार किया जाता है। आलोचना यदि करनी हो तो सरकार की करनी पड़ती है।

3.3 राष्ट्रपति द्वारा कैलेंडर वर्ष 2025 के पहले सत्र (बजट सत्र, 2025) के प्रारंभ में 31 जनवरी, 2025 को अभिभाषण दिया गया था। नीचे दी गई तालिका में धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावकों और अनुमोदकों के नाम और उस पर चर्चा की तारीखें दर्शाई गई हैं-:

अठारहवीं लोक सभा का चौथा सत्र	
धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावक और अनुमोदक का नाम	चर्चा की तारीखें
श्री रामवीर सिंह बिधुड़ी (प्रस्तावक) श्री रवि शंकर प्रसाद (अनुमोदक)	3 और 4 फरवरी, 2025 (स्वीकृत)
राज्य सभा का 267वां सत्र	
श्रीमती किरण चौधरी (प्रस्तावक) श्री नीरज शेखर (अनुमोदक)	3, 4 और 6 फरवरी, 2025 (स्वीकृत)

अध्यादेशों के बारे में प्रावधान

3.4 अनुच्छेद 123 के अनुसार यदि किसी समय (जब संसद के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हो) राष्ट्रपति संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जिनके कारण उनको तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है, तो वे परिस्थितियों की अपेक्षानुसार अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं। ऐसे अध्यादेश संसद के अधिनियम के समान शक्तिमान और प्रभावी होंगे, लेकिन उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए जिसके

लिए संविधान के अधीन संसद अधिनियम बनाने के लिए सक्षम नहीं हो। उक्त अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि अध्यादेशों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए। इसका निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पेश करने के लिए भी प्रावधान है। संविधान के अन्तर्गत एक अध्यादेश संसद के पुन: समवेत होने की तारीख से छ: सप्ताह की समाप्ति पर अथवा यदि उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उसका निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाते हैं तो उन संकल्पों में से दूसरे संकल्प के पारित हो जाने पर, प्रवर्तन में नहीं रहेगा। जब संसद के सदनों के सत्रारम्भ भिन्न-भिन्न तारीखों को होते हैं तो छ: सप्ताह की अवधि की गणना इसमें से बाद की तारीख से की जाएगी।

3.5 दोनों सदनों के प्रक्रिया नियमों में अध्यादेशों के प्रख्यापन के लिए परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाले विवरण सभा-पटल पर रखने का प्रावधान किया गया है ताकि अध्यादेशों पर विचार करते समय सदस्यगण उसका उपयोग कर सकें।

3.6 संसदीय कार्य मंत्रालय अध्यादेशों की प्रतियों को सभा-पटल पर रख कर, मंत्रालयों से स्पष्टीकरण-विवरण को सभा-पटल पर रखने का निवेदन करके और संबंधित अध्यादेशों का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्पों पर विचार के साथ-साथ उनके प्रतिस्थापन में विधेयकों पर विचार के लिए समय की व्यवस्था करके भारत के संविधान तथा संसद के दोनों सदनों के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करता है। यह सारी कार्रवाई संविधान में निर्धारित छ: सप्ताह की अवधि के भीतर पूरी करने के सभी प्रयास किए जाते हैं।

अध्यादेश

3.7 दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 की अवधि के दौरान दो अध्यादेश प्रख्यापित किए गए। इन अध्यादेशों की अंग्रेजी और हिंदी रूपांतर की एक-एक प्रति संसदीय कार्य राज्य मंत्रियों द्वारा लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर रखी गई। प्रख्यापन, सभा पटल पर रखने, संसद के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापन आदि का विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	अध्यादेश का नाम और प्रख्यापन की तारीख	सभा पटल पर रखने की तारीख		अध्यादेश के प्रतिस्थापक विधेयक के पुर:स्थापन की तारीख	विधेयक के विचारण और पारण की तारीख		स्वीकृति की तारीख और अधिनियम संख्या
		लोक सभा	राज्य सभा		लोक सभा	राज्य सभा	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1.	मणिपुर माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2025	21.7.2025	21.7.2025	7.8.2025 (लोक सभा)	7.8.2025	11.8.2025	<u>2025 का 22</u> 18.8.2025
2.	मणिपुर माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 2025	1.12.2025	1.12.2025	1.12.2025 (लोक सभा)	1.12.2025	2.12.2025	<u>2025 का 33</u> 10.12.2025

राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 1952 से 2025 तक प्रख्यापित अध्यादेश

वर्ष	प्रख्यापित अध्यादेशों की संख्या	वर्ष	प्रख्यापित अध्यादेशों की संख्या
1952	09	1953	07
1954	09	1955	07
1956	09	1957	06
1958	07	1959	03
1960	01	1961	03
1962	08	1963	-
1964	03	1965	07
1966	13	1967	09
1968	13	1969	10
1970	05	1971	23
1972	09	1973	04
1974	15	1975	29
1976	16	1977	16
1978	06	1979	10
1980	10	1981	12
1982	01	1983	11
1984	15	1985	08
1986	08	1987	10
1988	07	1989	02
1990	10	1991	09
1992	21	1993	34
1994	14	1995	15
1996	32	1997	31
1998	20	1999	10
2000	05	2001	12
2002	07	2003	08
2004	08	2005	04
2006	03	2007	08
2008	08	2009	09
2010	04	2011	03
2012	01	2013	11
2014	09	2015	12
2016	10	2017	07
2018	9	2019	16

2020	14	2021	10
2022	00	2023	01
2024	00	2025	02

लोक सभा-वार औसत = 727/18=40.39 अध्यादेश प्रति लोक सभा

वर्ष-वार औसत = 727/74=9.82 अध्यादेश प्रतिवर्ष

टिप्पणी: अध्यादेश प्रख्यापित किए जाने वाले वर्षों के दौरान केन्द्र में सत्ता में रही सरकारों की स्थिति निम्नलिखित है-:

पहली लोक सभा:	2 अप्रैल, 1952 से 4 अप्रैल, 1957 तक; राष्ट्रीय कांग्रेस (पंडित जवाहर लाल नेहरू)
दूसरी लोक सभा:	5 अप्रैल, 1957 से 31 मार्च, 1962 तक; राष्ट्रीय कांग्रेस (पंडित जवाहर लाल नेहरू)
तीसरी लोक सभा:	2 अप्रैल, 1962 से 3 मार्च, 1967 तक; राष्ट्रीय कांग्रेस (पंडित जवाहर लाल नेहरू, 1 अप्रैल, 1962 से 27 मई, 1964 तक; श्री गुलजारी लाल नन्दा दिनांक 27 मई, 1964 से 9 जून, 1964 तक; श्री लाल बहादुर शास्त्री दिनांक 9 जून, 1964 से 11 जनवरी, 1966 तक और श्री गुलजारी लाल नन्दा दिनांक 11 जनवरी, 1966 से 24 जनवरी, 1966 तक तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी दिनांक 24 जनवरी, 1966 से 3 मार्च, 1967 तक)
चौथी लोक सभा:	4 मार्च, 1967 से 27 दिसम्बर, 1970 तक; कांग्रेस(आई) (श्रीमती इन्दिरा गांधी, दिनांक 4 मार्च, 1967 से 15 मार्च, 1971 तक)
पांचवी लोक सभा:	15 मार्च, 1971 से 18 जनवरी, 1977 तक; कांग्रेस (आई) (श्रीमती इन्दिरा गांधी)
छठी लोक सभा:	23 मार्च, 1977 से 22 अगस्त, 1979 तक; कांग्रेस (आई)/जनता पार्टी (श्रीमती इन्दिरा गांधी, दिनांक 18 जनवरी, 1977 से 24 मार्च, 1977 तक) (श्री मोरारजी देसाई, दिनांक 24 मार्च, 1977 से 28 जुलाई, 1979 तक और चौधरी चरण सिंह, दिनांक 28 जुलाई, 1979 से 14 जनवरी, 1980 तक)
सातवीं लोक सभा:	10 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1984 तक: कांग्रेस (आई) (श्रीमती इन्दिरा गांधी, दिनांक 14 जनवरी, 1980 से 31 अक्तूबर, 1984 तक और श्री राजीव गांधी, दिनांक 31 अक्तूबर, 1984 से 31 दिसम्बर, 1984 तक)
आठवीं लोक सभा:	31 दिसम्बर, 1984 से 27 नवम्बर, 1989 तक: कांग्रेस (आई) (श्री राजीव गांधी, दिनांक 31 दिसम्बर, 1984 से 2 दिसम्बर, 1989 तक)
नौवीं लोक सभा:	2 दिसम्बर, 1989 से 13 मार्च, 1991 तक: (श्री वी.पी. सिंह, दिनांक 2 दिसम्बर, 1989 से 10 नवम्बर, 1990 तक और श्री चन्द्रशेखर, दिनांक 10 नवम्बर, 1990 से 21 जून, 1991 तक)

दसवीं लोक सभा:	20 जून, 1991 से 10 मई, 1996 तक: कांग्रेस (आई) (श्री पी.वी. नरसिम्हाराव, दिनांक 21 जून, 1991 से 16 मई, 1996 तक)
ग्यारहवीं लोक सभा:	15 मई, 1996 से 4 दिसम्बर, 1997 तक: भारतीय जनता पार्टी/संयुक्त मोर्चा (1) (श्री अटल बिहारी वाजपेयी, दिनांक 16 मई, 1996 से 1 जून, 1996 तक) (2) (श्री एच.डी. देवेगौड़ा, दिनांक 1 जून, 1996 से 21 अप्रैल, 1997 तक और श्री आई.के. गुजराल दिनांक 21 अप्रैल, 1997 से 19 मार्च, 1998 तक)
बारहवीं लोक सभा:	10 मार्च, 1998 से 26 अप्रैल, 1999 तक भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल (श्री अटल बिहारी वाजपेयी, दिनांक 19 मार्च, 1998 से 13 अक्तूबर, 1999 तक)
तेरहवीं लोक सभा:	10 अक्तूबर, 1999 से 6 फरवरी, 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (श्री अटल बिहारी वाजपेयी, दिनांक 13 अक्तूबर, 1999 से 22 मई, 2004 तक)
चौदहवीं लोक सभा	17 मई, 2004 से 18 मई, 2009 तक भा.रा.कां. के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (डॉ. मनमोहन सिंह, 22 मई, 2004 से 22 मई, 2009 तक)
पंद्रहवीं लोक सभा	18 मई, 2009 से 17 मई, 2014 तक भा.रा.कां. के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (डॉ. मनमोहन सिंह, 22 मई, 2009 से 26 मई, 2014 तक)
सोलहवीं लोक सभा	18 मई, 2014 से 25 मई, 2019 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (श्री नरेन्द्र मोदी, 26 मई, 2014 से 25 मई, 2019 तक)
सत्रहवीं लोक सभा	25 मई, 2019 से 05 जून, 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (श्री नरेन्द्र मोदी, 30 मई, 2019 से 05 जून, 2024)
अठारहवीं लोक सभा	06 जून, 2024 से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (श्री नरेन्द्र मोदी, 09 जून, 2024 से)

अध्याय-4

संसद में सरकारी कार्य और संसदीय समय का वितरण

एक झलक

- वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट 01 फरवरी, 2025 को प्रस्तुत किया गया।
- संसद के दोनों सदनों द्वारा 39 विधेयक पारित किए गए।

सरकारी कार्य

4.1 संसदीय प्रजातंत्र में संसद के समक्ष मुख्य कार्य, सरकारी कार्य से संबंधित होता है। अतः सरकारी कार्य की आयोजना ने बहुत महत्ता अर्जित कर ली है। यह सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह यह देखे कि इस कार्य के लिए समय का ठीक और प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए। लोक सभा और राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में यह प्रावधान है कि सरकारी कार्य के निष्पादन के लिए नियत किए गए दिनों में सरकारी कार्य की पूर्ववर्तिता होगी और इस कार्य की व्यवस्था ऐसे क्रम में होगी जैसा कि दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी, अपने-अपने सदन के नेता के परामर्श से निर्धारित करें। सरकारी कार्य की आयोजना और समन्वय का यह कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। इस कार्य का निर्वहन करने के लिए मंत्रालय, संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के निर्देशानुसार कार्य करता है।

4.2 संसद सत्र के दौरान शुक्रवार को ढाई घंटे तथा प्रतिदिन प्रश्न काल को छोड़कर करीब-करीब पूरा समय सरकारी कार्य के लिए सरकार की व्यवस्था में रहता है। तथापि, सरकार अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों पर विचार के लिए सदस्यों द्वारा समय-समय पर की गई मांग पर और दोनों सदनों की कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर विचार हेतु समय देने के लिए आसानी से सहमत हो जाती है।

सरकारी कार्य की आयोजना

4.3 संसद के सत्र की शुरूआत से पर्याप्त समय पूर्व, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से संसद के आगामी सत्र के दौरान विचार के लिए उनके विधायी और गैर-विधायी प्रस्तावों का विवरण देने का अनुरोध किया जाता है। तथापि, सत्र का कार्यक्रम केवल विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर ही तैयार नहीं किया जाता है। मंत्रालय विधेयकों के मसौदे तैयार होने की स्थिति के बारे में पता करने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के साथ सूचना की दुबारा जांच करता है। ऐसी तीन बैठकें आयोजित की गई - पहली बैठक 23 जनवरी, 2025 को बजट सत्र, 2025 से पहले, दूसरी बैठक 7 जुलाई, 2025 को मानसून सत्र, 2025 से पहले और तीसरी बैठक 11 नवंबर, 2025 को शीतकालीन सत्र, 2025 से पहले आयोजित की गई। तत्पश्चात, संसद का प्रत्येक सत्र आरम्भ होने से पहले संसदीय कार्य मंत्री विधायी प्रस्तावों और सरकारी कार्य की अन्य मदों को अंतिम रूप देने को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर देने के लिए मंत्रालयों/विभागों के सचिवों/वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। वे विधायी प्रस्ताव जो पूरी तरह तैयार नहीं है और जिनके समय पर पूरे होने की संभावना नहीं है उनको छोड़ दिया जाता है। ऐसी तीन बैठकें आयोजित की गई - एक बैठक 24 जनवरी, 2025 को बजट सत्र, 2025 से पहले, दूसरी बैठक 8

जुलाई, 2025 को मानसून सत्र, 2025 से पहले और तीसरी बैठक 12 नवंबर, 2025 को शीतकालीन सत्र, 2025 से पहले आयोजित की गई। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, सत्रों की कार्यसूची पर परस्पर सहमति बनाने के लिए संसदीय कार्य मंत्री ने विभिन्न राजनीतिक दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ तीन बैठकें बुलाई - एक बैठक दिनांक 30.01.2025 को बजट सत्र, 2025 से पहले, दूसरी बैठक दिनांक 20.07.2025 को मानसून सत्र, 2025 से पहले और तीसरी बैठक दिनांक 30.11.2025 को शीतकालीन सत्र, 2025 से पहले। सरकारी कार्य का सही आकलन कर लेने के पश्चात, प्रत्येक सत्र के लिए सरकारी कार्य का एक कैलेण्डर अनंतिम रूप से तैयार किया जाता है। दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 की समयावधि के दौरान, सरकारी कार्य की तीन अस्थायी सूचियां तैयार की गई और संसद सदस्यों को परिचालित करने के लिए लोक/राज्य सभा सचिवालयों को उपलब्ध कराई गई, ताकि संसद सदस्य सत्र के दौरान आने वाले विधेयकों/विषयों का मोटे तौर पर अनुमान लगा सकें और उन पर चर्चा हेतु भाग लेने की तैयारी कर सकें।

4.4 सदस्यों को संसद के दोनों सदनों द्वारा किए जाने वाले सरकारी कार्य की अग्रिम सूचना देने के उद्देश्य से संसदीय कार्य मंत्री/राज्य मंत्री प्रत्येक सप्ताह की अंतिम बैठक के दिन आगामी सप्ताह के दौरान लिए जाने वाले सरकारी कार्य के संबंध में लोक सभा और राज्य सभा में वक्तव्य देते हैं। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, सात वक्तव्य लोक सभा में और सात वक्तव्य राज्य सभा में दिए गए।

4.5(क) सरकारी कार्य के कार्यक्रम की योजना बनाने की प्रक्रिया सप्ताह में एक बार पूर्वसूचना देने मात्र से समाप्त नहीं हो जाती है। कार्य की प्रगति पर निरन्तर तथा निकट से नजर रखी जाती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर अल्प सूचना पर भी सामंजस्य किया जा सके। वस्तुत: ऐसे सामंजस्य दिन-प्रतिदिन करने पड़ते हैं। इस कार्य के लिए मंत्रालय दोनों सदनों की प्रत्येक बैठक के लिए दैनिक कार्य की सूची में शामिल करने हेतु संसद के संबंधित सचिवालय को सरकारी कार्य की सूची भेजता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान सरकारी कार्य के निष्पादन के संबंध में लोक सभा के लिए सरकारी कार्य की 62 सूचियां और राज्य सभा के लिए सरकारी कार्य की 53 सूचियां संसद के दोनों सचिवालयों को जारी की गई।

4.5(ख) कार्य मंत्रणा समिति, लोक सभा और कार्य मंत्रणा समिति, राज्य सभा संसदीय कार्य मंत्रालय के परामर्श से सरकारी कार्य की विभिन्न मदों पर चर्चा के लिए समय का आबंटन करती हैं। प्रतिवेदित अवधि के दौरान लोक सभा/राज्य सभा सचिवालयों को 80 मदों (लोक सभा - 41, राज्य सभा - 39) के संबंध में समय आबंटन के लिए टिप्पण भेजे गए।

सरकारी कार्य का प्रबन्धन

4.6 सरकारी कार्य का प्रबन्धन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है तथा इसमें संसदीय कार्य मंत्री से अत्यंत कार्य-कुशलता और निपुणता की अपेक्षा की जाती है। सत्तारूढ़ दल का मुख्य सचेतक होने के नाते उनके लिए सदैव ही सदन में अपने दल के सदस्यों और संबद्ध/समर्थक दलों के सदस्यों, यदि कोई हों, की उपस्थिति सुनिश्चित करना अपेक्षित होता है। वे पीठासीन अधिकारियों, विभिन्न दलों और ग्रुपों के नेताओं के साथ-साथ उनके मुख्य सचेतकों और सचेतकों के साथ निकट और सतत संपर्क भी बनाए रखते हैं।

निष्पादित सरकारी कार्य का सार

(i) विधायी

4.7 अठारहवीं लोक सभा के तीसरे सत्र और राज्य सभा के 266वें सत्र की समाप्ति पर कुल 33 विधेयक (11 विधेयक लोक सभा में और 22 विधयेक राज्य सभा में) लंबित थे। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, 35 विधेयक (34 विधेयक लोक सभा में और एक विधेयक राज्य सभा में) पुर:स्थापित किए गए जिससे विधेयकों की कुल संख्या 68 हो गई। इनमें से 39 विधेयकों (**परिशिष्ट-2**) को दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया। एक विधेयक (लोक सभा में) वापस लिया गया। अठारहवीं लोक सभा के छठे सत्र और राज्य सभा के 269वें सत्र की समाप्ति पर संसद के दोनों सदनों में कुल 28 विधेयक (9 विधेयक लोक सभा में और 19 विधेयक राज्य सभा में) लंबित थे, जैसा कि **परिशिष्ट-3** में दर्शाया गया है।

(ii) वित्तीय

4.8 लोक सभा नियमों के नियम 204 में यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे आमतौर पर 'बजट' के रूप में जाना जाता है, संसद में ऐसे दिन प्रस्तुत किया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्देश दें। वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट 01 फरवरी, 2025 को प्रस्तुत किया गया। बजट लोक सभा में पेश किया जाता है जब वित्त मंत्रालय के प्रभारी मंत्री अपना बजट भाषण पढ़ते हैं। राज्य सभा में वार्षिक वित्तीय विवरण सामान्यत: लोक सभा में मंत्री के भाषण की समाप्ति के पश्चात सभा पटल पर रखा जाता है।

4.9 बजट सत्र, 1993 के दौरान लिए गए निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय यह था कि विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों का गठन किया जाए जिनका कार्य अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों पर सदन में मतदान और चर्चा से पूर्व इनकी संवीक्षा करना है। स्थायी समितियों के अन्य कार्यों में अध्यक्ष अथवा सभापति द्वारा उन्हें भेजे गए विधेयकों, सदनों में प्रस्तुत किए गए और पीठासीन अधिकारियों द्वारा उन्हें भेजे गए मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों और मूल दीर्घकालीन नीति संबंधी दस्तावेजों की जांच करना शामिल है।

(iii) बजट

4.10 दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 की अवधि के दौरान केंद्रीय बजट (रेल सहित) पर विचार करने की तारीखों का विवरण **परिशिष्ट-4** में दिया गया है।

(iv) अन्य सरकारी कार्य

मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव

4.11 मंत्रिपरिषद में विश्वास की आवश्यकता व्यक्त करने की सामान्य प्रक्रिया यह है कि लोक सभा में कार्य संचालन और प्रक्रिया नियमों के नियम 198 के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। विश्वास प्रस्ताव का साधन हाल की उत्पत्ति है। मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव के संबंध में प्रक्रिया नियमों में कोई नियम

नहीं है। लोक सभा के नियम बनाते समय संभवत: ऐसे प्रस्ताव की कल्पना नहीं की गई थी। ऐसा प्रस्ताव, जो कि एक प्रकार से लोक सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होने को प्रदर्शित करता है, के द्वारा चर्चा करने की आवश्यकता सत्तर के दशक के अंतिम वर्षों में पैदा हुई, जब अल्पमत की सरकारों के दल में विभाजन हुए और उसके पश्चात त्रिशंकु संसद के परिणामस्वरूप गठबंधन सरकारें बनने लगी। इस संबंध में कोई विशिष्ट नियम न होने के कारण, ऐसे विश्वास प्रस्तावों को नियम 184 में उल्लिखित प्रस्तावों की श्रेणी में लिया गया जो कि लोक महत्व के मामलों पर चर्चा करने के लिए बना है। ऐसे प्रस्तावों पर चर्चा नियम 191 के अंतर्गत सदन के समक्ष सभी आवश्यक प्रश्न रखकर की जाती है।

4.12 ऐसा पहला विश्वास प्रस्ताव 21 दिसंबर, 1989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वी.पी. सिंह द्वारा लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था जिसे सदन द्वारा उसी दिन ध्वनिमत से स्वीकृत कर दिया गया था।

स्वीकृत किए गए सरकारी प्रस्ताव/सांविधिक संकल्प

4.13 उन सरकारी सांविधिक संकल्पों का विवरण नीचे दिया गया है जिन्हें प्रतिवेदित अवधि के दौरान पेश किया गया, उन पर विचार किया गया और जिन्हें स्वीकृत किया गया:-

विषय	**तारीख (तारीखें)**	**लोक सभा**		**तारीख (तारीखें)**	**राज्य सभा**	
		लिया गया समय			**लिया गया समय**	
		घंटे	**मिनट**		**घंटे**	**मिनट**
कि यह सदन राष्ट्रपति द्वारा 13 फरवरी, 2025 को संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अंतर्गत मणिपुर राज्य के संबंध में जारी की गई उद्घोषणा को अनुमोदित करता देता है।	03.04.2025	00	42	03.04.2025	01	24
सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 के अनुसार, यह सदन एतद्द्वारा अधिसूचना संख्या 27/2025-सीमाशुल्क, दिनांक 30 अप्रैल, 2025 [जी.एस.आर. 277{ई}, दिनांक 30 अप्रैल, 2025] को अनुमोदित करता है, जिसका प्रयोजन सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची में संशोधन करना है ताकि विशेष प्रविष्टियों को वित्त अधिनियम, 2025 के माध्यम से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में किए गए परिवर्तनों के अनुरूप किया जा सके।	04.08.2025	-	-	05.08.2025	-	-

कि यह सदन मणिपुर के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत जारी 13 फरवरी, 2025 की उद्घोषणा को 13 अगस्त, 2025 से छह महीने के लिए और लागू रखने की मंज़ूरी देता है।	30.07.2025	00	54	05.08.2025	00	10
भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मणिपुर राज्य में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 को लागू करने के लिए सांविधिक संकल्प।	-	-	-	03.12.2025	02	27

सरकारी समय का व्यापक वितरण

4.14 संसद के दोनों सदनों में विधायी, वित्तीय और गैर-वित्तीय मदों (सरकारी कार्यों के संचालन के लिए नियत समय के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के प्रस्तावों पर बहस की व्यवस्था सहित) पर कुल सरकारी समय के व्यापक वितरण का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	**मद**	**लोक सभा**		**राज्य सभा**		**प्रतिशत**	
		घंटे	**मिनट**	**घंटे**	**मिनट**	**लोक सभा**	**राज्य सभा**
(i)	विधायी	90	09	90	56	31.08%	30.94%
(ii)	वित्तीय	56	55	17	22	19.62%	5.91%
(iii)	गैर-वित्तीय	142	57	185	36	49.30%	63.15%

व्यवधानों इत्यादि के कारण स्थगनों पर लगा समय

4.15 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, विभिन्न अवसरों पर व्यवधानों/अव्यवस्था के कारण लोक सभा और राज्य सभा स्थगित की गई। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा और राज्य सभा में ऐसे स्थगनों इत्यादि पर लगा/व्यर्थ हुआ समय नीचे दर्शाया गया है:-

लोक सभा					
सत्र	**बैठक का कुल वास्तविक समय**		**व्यवधान अव्यवस्था/इत्यादि के कारण स्थगनों पर लगा समय**		**व्यवधान/अव्यवस्था इत्यादि के कारण स्थगनों आदि पर लगे समय का प्रतिशत**
	घंटे	**मिनट**	**घंटे**	**मिनट**	
चौथा (18वीं लोक सभा)	160	58	22	47	16.61%
पांचवां (18वीं लोक सभा)	36	09	94	51	78.25%
छठा (18वीं लोक सभा)	92	54	18	24	21.9%
कुल	290	01	136	02	39.7%

राज्य सभा					
267वां	159	35	15	14	10.83%
268वां	41	55	74	47	61.04%
269वां	92	24	02	08	2.52%
कुल	293	54	92	09	26.51%

संसद की बैठकों की संख्या और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों की संख्या
(वर्ष 1952 से 2025 तक)

वर्ष	बैठकों की संख्या		संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक	वर्ष	बैठकों की संख्या		संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक
	लोक सभा	राज्य सभा			लोक सभा	राज्य सभा	
1952	103	60	82	1953	137	100	58
1954	137	103	54	1955	139	111	60
1956	151	113	106	1957	104	78	68
1958	125	91	59	1959	123	87	63
1960	121	87	67	1961	102	75	63
1962	116	91	68	1963	122	100	58
1964	122	97	56	1965	113	96	51
1966	119	109	57	1967	110	91	38
1968	120	103	67	1969	120	102	58
1970	119	107	53	1971	102	89	87
1972	111	99	82	1973	120	105	70
1974	119	109	68	1975	63	58	57
1976	93	84	118	1977	86	70	48
1978	115	97	50	1979	66	54	32
1980	96	90	72	1981	105	89	62
1982	92	82	73	1983	93	77	49
1984	77	63	73	1985	109	89	92
1986	98	86	71	1987	102	89	61
1988	102	89	71	1989	83	71	38
1990	81	66	30	1991	90	82	63
1992	98	90	44	1993	89	79	75
1994	77	75	61	1995	78	77	45
1996	70	64	36	1997	65	68	35
1998	64	59	40	1999	51	48	39

2000	85	85	63	2001	81	81	61
2002	84	82	86	2003	74	74	56
2004	48	46	18	2005	85	85	56
2006	77	77	65	2007	66	65	46
2008	46	46	47	2009	64	63	41
2010	81	81	43	2011	73	73	36
2012	74	74	32	2013	63	63	29
2014	67	64	38	2015	72	69	36
2016	54	56	43	2017	61	61	44
2018	63	65	33	2019	67	65	49
2020	33	33	39	2021	59	58	51
2022	56	56	25	2023	60	60	49
2024	51	48	17	2025	62	62	39

अध्याय-5

गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य

5.1 लोक सभा और राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में, उन सदस्यों के लिए जो मंत्री-परिषद के सदस्य नहीं हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अल्पावधि चर्चा, अनियत दिन वाले प्रस्ताव, निन्दा प्रस्ताव, मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव, आधे घन्टे की चर्चा के माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों को उठाने और जन-साधारण की शिकायतों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रचुर अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त गैर-सरकारी सदस्यों के लिए आमतौर पर प्रत्येक शुक्रवार को गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए ढ़ाई घन्टे का समय गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों के बारी-बारी से लिए जाने के लिए अलग रखा गया है। इन मामलों पर चर्चा सरकारी कार्य के लिए निर्धारित समय के दौरान होती है।

5.2 दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 की अवधि के दौरान निम्नलिखित चर्चाएं की गई:-

लोक सभा

ध्यानाकर्षण:

क्र.सं.	विषय	संबंधित मंत्रालय	चर्चा की तारीख	लिया गया समय
1.	श्री के.सी. वेणुगोपाल ने "मछुआरा समुदाय को होने वाली मुश्किलों" की ओर मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने इस बारे में बयान दिया। मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने सदस्यों के पूछे स्पष्टीकरण संबंधी प्रश्नों के जवाब भी दिए।	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी	01.04.2025	00 - 52

अन्य चर्चाएं

क्र.सं.	कार्य	तारीख	लिया गया समय
1.	पहलगाम में आतंकवादी हमले के जवाब में भारत के मजबूत, सफल और निर्णायक 'ऑपरेशन सिंदूर' पर विशेष चर्चा।	28.07.2025 29.07.2025	18 - 41
2.	इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भारत के पहले एस्ट्रोनॉट पर खास चर्चा- '2047 तक विकसित भारत' के लिए स्पेस प्रोग्राम की अहम भूमिका। - बेनतीजा रही	18.08.2025	00-31
3.	राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम" की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा।	08.12.2025	11-32
4.	चुनाव सुधारों पर चर्चा	09.12.2025 10.12.2025	12-59

राज्य सभा

राज्य सभा में मंत्रालयों के कार्यचालन पर चर्चा

क्र.सं.	मंत्रालय	चर्चा की तारीख (तारीखें)	लिया गया समय
1.	शिक्षा मंत्रालय के कार्यचालन पर चर्चा	11.03.2025	06-18
2.	रेल मंत्रालय के कार्यचालन पर चर्चा	12.03.2025 17.03.2025	05-46
3.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कार्यचालन पर चर्चा	18.03.2025 19.03.2005	06-44
4.	गृह मंत्रालय के कार्यचालन पर चर्चा	19.03.2025 21.03.2025	05-32

अन्य चर्चाएं

क्र.सं.	कार्य	तारीख	लिया गया समय
1.	पहलगाम में आतंकवादी हमले के जवाब में भारत के मजबूत, सफल और निर्णायक 'ऑपरेशन सिंदूर' पर विशेष चर्चा।	29.07.2025 30.07.2025	16-25
2.	राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम" की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा।	09.12.2025 10.12.2025 11.12.2025	12-49
3.	चुनाव सुधारों पर चर्चा	11.12.2025 15.12.2025 16.12.2025	10-37

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रूख

5.3 संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति का एक कार्य संसद के दोनों सदनों के समक्ष विचार करने के लिए स्वीकृत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार के रूख का निर्धारण करना है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों से उन विधेयकों और संकल्पों के संबंध में सरकार के रूख पर पक्षसार भेजने का अनुरोध किया गया जो दोनों सदनों में विचारण और पारण हेतु सूचीबद्ध हुए अथवा जिन्हें इस कार्य के लिए हुए बैलट में काफी उच्च प्राथमिकता प्राप्त हुई है।

5.4 मंत्रिमंडल की संसदीय कार्य संबंधी समिति ने प्रतिवेदित अवधि के दौरान निम्नलिखित 8 बैठकें की:-

क्र.सं.	मंत्रिमंडल/मंत्रिमंडल की संसदीय कार्य संबंधी समिति की बैठक की तारीख	प्रस्ताव जिन पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया
1.	7 जनवरी, 2025	(i) बजट सत्र, 2025 का बुलाया जाना।
2.	16 जनवरी, 2025	(i) बजट सत्र, 2025 का बुलाया जाना (संशोधित समय-सारणी)

3.	4 अप्रैल, 2025	(i) बजट सत्र, 2025 का सत्रावसान। (ii) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार के निर्णय का अनुसमर्थन।
4.	4 जून, 2025	(i) मानसून सत्र, 2025 का बुलाया जाना।
5.	23 जून, 2025	(i) मानसून सत्र, 2025 का बुलाया जाना (संशोधित समय-सारणी)
6.	21 अगस्त, 2025	(i) संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान। (ii) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार के निर्णय का अनुसमर्थन।
7.	5 नवंबर, 2025	(i) शीतकालीन सत्र, 2025 का बुलाया जाना।
8.	19 दिसंबर, 2025	(i) संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान। (ii) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार के निर्णय का अनुसमर्थन।

5.5 दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 तक की अवधि के दौरान, गैर-सरकारी सदस्यों के 137 विधेयक लोक सभा में और 108 विधेयक राज्य सभा में पुर:स्थापित किए गए (**परिशिष्ट-5**) और 1 विधेयक राज्य सभा में वापस लिया गया। उपर्युक्त अवधि के दौरान जिन गैर-सरकारी विधेयकों और संकल्पों पर चर्चा हुई उनका विवरण नीचे दिया गया है :-

दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक

क्र.सं.	विधेयक और प्रभारी सदस्य का नाम	चर्चा की तारीख/तारीखें	परिणाम
	राज्य सभा		
1	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2024 - डा. फौजिया खान, संसद सदस्य	07.02.2025 और 05.12.2025	चर्चा पूरी नहीं हुई

दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

	लोक सभा		
क्र.सं.	**संकल्प का सार और प्रभारी सदस्य का नाम**	**चर्चा की तारीख (तारीखें)**	**परिणाम**
1.	श्री शफी परम्बिल, संसद सदस्य द्वारा देश में हवाई किराये को विनियमित करने के लिए उचित उपायों के संबंध में पेश किए गए संकल्प पर आगे चर्चा।	26.07.2024 और 28.03.2025	चर्चा पूरी नहीं हुई
	राज्य सभा		
2.	नया अनुच्छेद 21ख अंत:स्थापित करने के लिए संविधान में संशोधन करना जो निशुल्क और ज़रूरी प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा की गारंटी देता है - श्रीमती सुधा मूर्ति, संसद सदस्य	12.12.2025	चर्चा पूरी नहीं हुई

संसद द्वारा वर्ष 1952 से 2025 तक पारित किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक		
(क) लोक सभा में पुर:स्थापित विधेयक		
क्र.सं.	**विधेयक का संक्षिप्त शीर्षक**	**अधिनियम संख्या/ स्वीकृति की तारीख**
1.	मुस्लिम वक्फ विधेयक, 1952 (श्री सैय्यद मोहम्मद अहमद कासमी)	1954 का 29 21.5.1954
2.	भारतीय पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 1955 (श्री एस.सी. सामन्त)	1956 का 17 06.04.1956
3.	संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, 1956 (श्री फिरोज़ गांधी)	1956 का 24 26.05.1956
4.	दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1953 (श्री रघुनाथ सिंह)	1956 का 39 01.09.1956
5.	महिला और बालक संस्था (अनुज्ञापन) विधेयक, 1954 (राजमाता कमलेन्दुमति शाह)	1956 का 105 30.12.1956
6.	दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1957 (श्रीमती सुभद्रा जोशी)	1960 का 56 26.12.1960
7.	संसद सदस्य वेतन तथा भत्ता (संशोधन) विधेयक, 1964 (श्री रघुनाथ सिंह)	1964 का 26 29.09.1964
8.	हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक, 1963 (श्री दीवान चन्द शर्मा)	1964 का 44 20.12.1964
9.	उच्चतम न्यायालय (दाण्डिक अपील अधिकारिता का विस्तारण) विधेयक, 1968 (श्री आनन्द नारायण मुल्ला)	1970 का 28 09.08.1970
(ख) राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक		
10.	प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) विधेयक, 1954 (डॉ. रघुवीर सिंह)	1956 का 70 15.12.1956
11.	हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक, 1956 (डॉ. (श्रीमती) सीता परमानन्द)	1956 का 73 20.12.1956
12.	अनाथालय और अन्य धर्मार्थ आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) विधेयक, 1960 (श्री कैलाश बिहारी लाल)	1960 का 10 09.04.1960
13.	समुद्री बीमा विधेयक, 1959 (श्री एम.पी. भार्गव)	1963 का 11 18.04.1963
14.	भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1963 (श्री दीवान चमन लाल)	1969 का 36 07.09.1969

अध्याय - 6

आश्वासनों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण

एक झलक

- प्रतिवेदित अवधि के दौरान, इस मंत्रालय द्वारा लोक सभा की कार्यवाहियों में से 229 आश्वासन और राज्य सभा की कार्यवाहियों में से 185 आश्वासन निकाले गए।
- लोक सभा में दिए गए 451 आश्वासन और राज्य सभा में दिए गए 250 आश्वासन, जो प्रतिवेदित अवधि और पिछले वर्षों से संबंधित हैं, पूरे कर दिए गए हैं।
- इसके अतिरिक्त, लोक सभा में 13 आश्वासन और राज्य सभा में 78 आश्वासन आंशिक रूप से पूरे किए गए हैं।

6.1 संसद में प्रश्नों का या उन पर अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते समय अथवा विधेयकों, संकल्पों और प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान मंत्रीगण, कभी-कभी कोई कार्रवाई करने या अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराने का आश्वासन दे देते हैं। सरकार इन आश्वासनों को पूरा करने और संबंधित सदन में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। संसदीय कार्य मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए एक समन्वय एजेन्सी के रूप में काम करता है कि मंत्रालय अपने आश्वासनों को समय पर पूरा करें।

सामान्य प्रक्रिया

6.2 मंत्रालय दोनों सदनों की दैनिक कार्यवाहियों में से मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों को निकालता है और उन पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उन्हें संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज देता है। प्रत्येक सदन के लिए अभिव्यक्ति की एक निश्चित शब्दावली है जो आश्वासन बनाती है। ये अभिव्यक्तियां उदाहरण स्वरूप हैं, पूर्ण नहीं हैं। किसी मंत्री के वक्तव्य को एक आश्वासन मानते समय, इस बात का यथोचित ध्यान रखा जाता है कि वह किस संदर्भ में दिया गया है और क्या वह एक उचित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के योग्य है।

6.3 दिए गए सभी आश्वासनों को तीन महीने की अवधि के अन्दर पूरा करना अपेक्षित है। जहां मंत्रालय द्वारा आश्वासन को पूरा करने में कुछ वास्तविक समस्याओं के कारण विलम्ब होने की संभावना होती है अथवा किसी ठोस कारण से आश्वासन को पूरा करना व्यवहार्य नहीं होता है, तब मंत्रालय/विभाग इस मंत्रालय को सूचित करते हुए समय बढाए जाने अथवा आश्वासन को छोडने, जैसी भी स्थिति हो, के लिए सीधे लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय से अनुरोध करते हैं।

6.4 आश्वासनों की पूर्ति के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों से प्राप्त कार्यान्वयन प्रतिवेदनों को संसदीय कार्य मंत्री/राज्य मंत्री द्वारा, यथास्थिति, लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर रखा जाता है। कार्यान्वयन प्रतिवेदनों के सभा पटल पर रखे जाने के पश्चात, सभा पटल पर रखे गए प्रतिवेदनों की प्रतियां संबंधित सदस्यों को भेजी जाती हैं तथा संसद ग्रन्थालय में भी रखी जाती हैं। संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भी कार्यान्वयन प्रतिवेदनों के सभा पटल पर रखे जाने की सूचना दी जाती है।

6.5 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, इस मंत्रालय द्‌वारा लोक सभा की कार्यवाहियों में से 229 आश्वासन निकाले गए। इनमें से 53 सभा-पटल पर रखे गए और शेष 176 लंबित रह गए। इसके अलावा, पिछले वर्षों से संबंधित कुल 464 आश्वासनों (2025 से संबंधित 53 आश्वासनों सहित) से संबंधित कार्यान्वयन प्रतिवेदनों (13 आंशिक सहित) को भी सभा पटल पर रखा गया, 5 आश्वासनों को सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति द्‌वारा छोड़ दिया गया। इसी प्रकार, प्रतिवेदित अवधि के दौरान राज्य सभा की कार्यवाहियों में से निकाले गए 185 आश्वासनों में से, 35 को सभा के पटल पर रखा गया, 02 को छोड़ा गया और शेष 148 आश्वासन लंबित रह गए। इसके अलावा, पिछले वर्षों से संबंधित 328 आश्वासनों (2025 से संबंधित 35 आश्वासनों सहित) के संबंध में कार्यान्वयन प्रतिवेदनों (78 आंशिक सहित), को भी सभा पटल पर रखा गया, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति द्‌वारा 37 आश्वासनों (2025 से संबंधित 2 आश्वासन) को छोड़ दिया गया। वर्ष 2008 से 2025 के दौरान दिए गए/पूरे किए गए/छोड़े गए/नहीं माने गए आश्वासनों और कार्यान्वयन के लिए शेष आश्वासनों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

लोक सभा

वर्ष	आश्वासनों की कुल संख्या	आश्वासनों की संख्या			कुल कार्यान्वित	शेष आगे ले जाया गया	कार्यान्वयन का प्रतिशत
		कार्यान्वित	छोड़े गए	नहीं माने गए		शेष	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6(3+4+5)**	**7(2-6)**	**8**
2008	1109	1009	97	3	1109	0	100
2009	1298	1126	167	1	1294	4	99.69
2010	1602	1511	78	10	1599	3	99.81
2011	1904	1717	135	48	1900	4	99.79
2012	1950	1735	148	59	1942	8	99.59
2013	1108	981	117	0	1098	10	99.10
2014	1461	1303	147	6	1456	5	99.66
2015	1332	1201	94	29	1324	8	99.4
2016	1303	1152	93	44	1289	14	98.93
2017	854	750	65	28	843	11	98.71
2018	693	584	52	42	678	15	97.84
2019	1061	933	84	23	1040	21	96.02
2020	376	317	23	22	362	14	96.28
2021	765	626	57	41	724	41	94.64
2022	493	402	26	13	441	52	89.45
2023	584	405	9	1	415	169	71.06
2024	362	200	2	5	207	155	57.18
2025	229	53	0	0	53	176	23.14
कुल	**18484**	**16005**	**1394**	**375**	**17774**	**710**	**96.16**

राज्य सभा

वर्ष	आश्वासनों की कुल संख्या	आश्वासनों की संख्या			कुल कार्यान्वित	शेष आगे ले जाया गया -2	कार्यान्वयन का प्रतिशत
		कार्यान्वित	छोड़े गए	नहीं माने गए		शेष	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6(3+4+5)**	**7(2-6)**	**8**
2008	680	565	45	70	680	0	100.00
2009	1018	860	72	85	1017	1	99.90
2010	1082	945	73	62	1080	2	99.82
2011	1003	833	78	91	1002	1	99.90
2012	1118	928	150	38	1116	2	99.82
2013	689	587	80	19	686	3	99.56
2014	1190	1005	159	19	1183	7	98.41
2015	908	682	95	113	890	18	98.02
2016	991	625	44	303	972	19	98.08
2017	484	322	13	143	478	6	98.76
2018	415	299	15	86	400	15	96.39
2019	410	302	12	76	390	20	95.12
2020	165	134	12	0	146	19	88.48
2021	250	202	8	13	223	27	89.20
2022	386	253	11	56	320	66	82.90
2023	277	155	8	35	198	79	71.48
2024	231	100	7	0	107	124	46.32
2025	185	35	2	0	37	148	20.00
कुल	**11482**	**8832**	**884**	**1209**	**10925**	**559**	**95.15**

लम्बित आश्वासनों के निपटान के लिए कार्रवाई

6.6 संसदीय कार्य मंत्रालय संसद में दिए गए आश्वासनों का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से जोरदार पैरवी करता रहा है। आवधिक समीक्षा की जाती है और आश्वासनों के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए मंत्रालयों/विभागों को स्मरण कराया जाता है। इस मंत्रालय द्वारा चलाए गए इस अभियान के परिणामस्वरूप, आश्वासनों के कार्यान्वयन की गति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

6.7 सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, राज्य सभा ने अपना 79वां प्रतिवेदन दिनांक 02.12.2025 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया।

अध्याय-7

लोक सभा में नियम 377 के अधीन उठाए गए मामले और राज्य सभा में नियम 180ए-ई के अधीन विशेष उल्लेख

एक झलक

- दिनांक 31.12.2024 को लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए 481 मामले और राज्य सभा में किए गए 144 विशेष उल्लेख लंबित थे।
- दिनांक 01.01.2025 से 10.12.2025 की अवधि के दौरान लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत 1643 मामले उठाए गए और राज्य सभा में 188 विशेष उल्लेख किए गए।
- 18वीं लोक सभा के दौरान (छठे सत्र तक) नियम 377 के तहत उठाए गए 2482 मामलों में से 1729 के उत्तर दिए जा चुके हैं और 753 मामले लंबित हैं।
- 2184 विशेष उल्लेखों में से, 2029 के उत्तर दिए जा चुके हैं और 155 विशेष उल्लेख लंबित हैं।

नियम 377 (लोक सभा) के अंतर्गत उठाए गए मामले

7.1 लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 377 के अन्तर्गत, सदस्यों को ऐसे मामले उठाने की अनुमति होती है जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है अथवा जिन्हें किसी और नियम के अन्तर्गत उस सत्र में नहीं उठाया गया है। सदस्यों को इस नियम के अन्तर्गत मामला उठाने की सूचना एक निर्धारित प्रपत्र में भेजनी अपेक्षित है जिसके साथ प्रस्तावित वक्तव्य जो कि 150 शब्दों से अधिक नहीं हो, भी संलग्न करना होता है। मामला केवल अध्यक्ष की अनुमति से ही उठाया जा सकता है। इस नियम के अन्तर्गत कोई सदस्य एक सप्ताह में केवल एक ही 'मामला' उठा सकता है और एक दिन के लिए स्वीकृत किए जाने वाले मामलों की कुल संख्या सामान्यत: 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

नियम 180ए-ई (राज्य सभा) के अंतर्गत विशेष उल्लेख

7.2 राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 180ए से 180ई के अन्तर्गत, स्वीकार्यता की शर्तें पूरी करने के अधीन रहते हुए, सदस्यों को राज्य सभा में लोक महत्व के मामलों पर विशेष उल्लेख करने की अनुमति दी जाती है। इस नियम के अंतर्गत कोई मामला उठाने के लिए, सदस्यों को महासचिव को निर्धारित प्रप्रत्र में सूचना देनी होती है जिसके साथ मामले का पाठ संलग्न किया जाता है जो 250 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब तक सभापति अन्यथा निदेश न दे, कोई सदस्य एक सप्ताह के दौरान केवल एक मामला उठा सकता है और एक दिन के लिए स्वीकृत किए जाने वाले विशेष उल्लेखों की कुल संख्या सामान्यत: सात से अधिक नहीं होनी चाहिए। कोई सदस्य किसी खास विषेश उल्लेख के साथ अपने आपको सहयोजित करना चाहता है तो वह सभापति की अनुमति से ऐसा कर सकता है।

अनुवर्ती कार्रवाई

7.3 दोनों सदनों में उठाए गए इन मामलों से संबंधित कार्यवाहियों के उद्धरण संसद के सचिवालयों द्वारा, सामान्यत: जिस दिन मामला उठाया जाता है उसके अगले दिन संबंधित मंत्रालयों को भेज दिए जाते

हैं। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि कोई मामला छूटे नहीं, संसदीय कार्य मंत्रालय भी दोनों सदनों में उठाए गए मामलों का सार देते हुए एक साप्ताहिक विवरण संबंधित मंत्रालयों को भेजता है ताकि वे उनके द्वारा दोनों सचिवालयों से प्राप्त हुए विवरण से इसका मिलान कर सकें। मंत्रालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रत्येक बिंदु पर कार्रवाई करें और सदन में मामला उठाए जाने की तारीख से एक महीने के भीतर संबंधित सदस्य को वांछित सूचना भेज दें और उसकी सूचना संसद के संबंधित सचिवालय और संसदीय कार्य मंत्रालय को भी दें।

7.4 दिनांक 31.12.2024 को लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए 481 मामले और राज्य सभा में नियम 180ए-ई के तहत किए गए 144 विशेष उल्लेख लंबित थे। दिनांक 01.01.2025 से 10.12.2025 की अवधि के दौरान लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत 1643 मामले उठाए गए और राज्य सभा में 188 विशेष उल्लेख किए गए। 18वीं लोक सभा के दौरान (छठे सत्र तक) नियम 377 के तहत उठाए गए 2482 मामलों में से 1729 के उत्तर दिए जा चुके हैं और 753 मामले लंबित रह गए हैं। 2184 विशेष उल्लेखों में से 2029 के उत्तर दिए जा चुके हैं और 155 लंबित रह गए हैं।

प्रश्न काल के पश्चात (शून्य काल में) उठाए गए मामलों पर कार्रवाई

7.5(i) प्रश्न काल के पश्चात अर्थात तथाकथित 'शून्य काल' के दौरान, दोनों सदनों में सदस्य पीठासीन अधिकारी की अनुमति से तत्काल लोक महत्व के मामले उठाते हैं। कभी-कभी सदस्यों द्वारा बिना पूर्व अनुमति के भी मामले उठाए जाते हैं। जब तक पीठासीन अधिकारी निदेश न दे, मंत्रियों के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि इन मामलों के उत्तर उसी समय दें जब ये मामले सदन में उठाए जाते हैं अथवा बाद में औपचारिक पत्र-व्यवहार द्वारा उत्तर भेजें, तथापि कभी-कभी मंत्रीगण सदस्यों द्वारा उठाए गए मामलों पर सदन में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं।

(ii) संसदीय कार्य मंत्री/संसदीय कार्य राज्य मंत्री कभी-कभी ऐसे अवसरों पर हस्तक्षेप करते हैं और सदन को आश्वासन देते हैं कि उनके द्वारा उठाए गए मामलों को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्री के ध्यान में लाया जाएगा। पीठासीन अधिकारी भी कभी-कभी शून्य काल के दौरान दोनों सदनों में उठाए गए विभिन्न मामलों पर निर्देश देते/ टिप्पणियां करते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय सदन की कार्यवाहियों में से ऐसे मामलों के संगत उद्धरण संबंधित मंत्री (मंत्रियों) को संसदीय कार्य मंत्री अथवा संसदीय कार्य राज्य मंत्री के हस्ताक्षर से अधिमानतः उसी दिन उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेजता है।

(iii) दिनांक 20.09.2000 को मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, शीतकालीन सत्र, 2000 से यह मंत्रालय सदनों की कार्यवाहियों में से शून्य काल के दौरान उठाए गए ऐसे मामलों के संगत उद्धरण भी संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सूचनार्थ एवं ऐसी कार्रवाई, जैसी कि अपेक्षित समझी जाए, के लिए भेज रहा है जिनके संबंध में पीठासीन अधिकारी द्वारा कोई निर्देश/संसदीय कार्य मंत्रियों द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है।

(iv) लोक सभा सचिवालय ने शीतकालीन सत्र, 2021 से शून्य काल की निगरानी के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है, इसलिए मंत्रालय ने उसके बाद से लोक सभा में शून्य काल के दौरान उठाए गए मामलों का सार भेजना बंद कर दिया है। तथापि, यह मंत्रालय सत्र के दौरान उठाए गए मामलों की कुल संख्या वाली सूची ही संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सूचनार्थ और ऐसी कार्रवाई हेतु अग्रेषित करता है जैसी कि आवश्यक

समझी जाए। मंत्रालय राज्य सभा में शून्य काल के दौरान उठाए गए मामलों के उद्धरण संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सूचनार्थ और आवश्यक समझी जाने वाली कार्रवाई हेतु भेज रहा है।

7.6 दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 की अवधि के दौरान, दोनों सदनों में शून्य काल के दौरान उठाए गए 1717 मामले (लोक सभा: 1255, राज्य सभा: 462) संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उपयुक्त कार्रवाई हेतु भेजे गए।

अध्याय-8

परामर्शदात्री समितियां

<u>एक झलक</u>
● 18वीं लोक सभा के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के लिए 42 परामर्शदात्री समितियां कार्य कर रही हैं।
● दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 तक की अवधि के दौरान परामर्शदात्री समितियों की 86 बैठकें आयोजित हुई।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

8.1 संसद सदस्यों की वर्तमान परामर्शदात्री समितियों और उनकी मुख्य रूप-रेखा का उद्गम, वर्ष 1954 में स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा मंत्रिमण्डल के सदस्यों को परिचालित एक टिप्पण में दिए गए सुझाव में है। श्री नेहरू यह चाहते थे कि संसद की किसी प्रकार की स्थायी सलाहकार परामर्शदात्री समितियां हों जो सदस्यों को सरकार के कार्यचालन की कुछ झलक प्राप्त करने का अवसर प्रदान कर सकें जिससे सदस्यों द्वारा संसद में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या में भी कमी आ सकती है। तदनुसार वर्ष 1954 में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए अनौपचारिक परामर्शदात्री समितियां गठित की गई थी।

8.2 वर्ष 1969 में, संसद में विपक्षी दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ विचार-विमर्श किया गया और इन समितियों के गठन और कार्यचालन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए गए। उस समय यह भी निर्णय लिया गया कि इन समितियों में विचार-विमर्श की अनौपचारिक प्रकृति को देखते हुए ये समितियां "परामर्शदात्री समितियों" के नाम से जानी जाएंगी। तत्पश्चात कई निर्णय लिए गए तथा कुछ परम्पराएं विकसित हो चुकी थी और इन दिशा-निर्देशों को संशोधित किए जाने की आवश्यकता थी। दिनांक 21.7.2005 को रक्षा मंत्री तथा सदन के नेता (लोक सभा) की अध्यक्षता में हुई संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के मुख्य सचेतकों/सचेतकों/उप नेताओं की बैठक में इन निर्णयों तथा परम्पराओं को शामिल करके संशोधित दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया गया जिन्हें दिनांक 02.09.2005 को मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित भी किया गया। तब से ये समितियां इन्हीं दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य कर रही हैं (**परिशिष्ट-6**)।

8.3 दिशा-निर्देशों के अनुसार इन समितियों की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:-

i) इन समितियों की सदस्यता स्वैच्छिक है जिसे सदस्य और उसके दल के नेता की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है।

ii) इन समितियों का मुख्य उद्देश्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों तथा उनके कार्यान्वयन के तरीके पर सरकार और संसद सदस्यों के बीच अनौपचारिक परामर्श करना है।

iii) इन समितियों की अध्यक्षता उन संबंधित मंत्रालयों के प्रभारी मंत्रियों द्वारा की जाती है जिनसे ये समितियां संबंधित होती हैं।

iv) किसी समिति की अधिकतम सदस्य संख्या 30 होती है। समिति का गठन सामान्यत: तब किया जाता है जब 10 अथवा उससे अधिक सदस्यगण समिति पर नामांकित होना चाहते हों।

v) यदि किसी सदस्य को किसी विशेष मंत्रालय/विभाग के विषयों में विशेष रूचि हो तो उसे उस मंत्रालय/विभाग की परामर्शदात्री समिति पर स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में नामांकित किया जा सकता है। एक परामर्शदात्री समिति पर अधिकतम 5 सदस्यों को स्थायी विशेष आंमत्रित के रूप में नामांकित किया जा सकता है। तथापि, स्थायी विशेष आमंत्रित व्यक्ति परामर्शदात्री समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के हकदार नहीं होते हैं।

vi) सामान्यत: एक वर्ष के दौरान इन समितियों की 6 बैठकें आयोजित की जानी चाहिएं - तीन बैठकें सत्रावधि के दौरान और तीन बैठकें अंत:सत्रावधि के दौरान। एक वर्ष में परामर्शदात्री समितियों की 6 बैठकों में से, 4 बैठकें - 3 बैठकें अंत:सत्रावधि के दौरान तथा एक बैठक सत्रावधि अथवा अंत:सत्रावधि के दौरान, आयोजित की जानी अनिवार्य हैं।

vii) कार्यसूची मदें या तो सदस्यों से मंगाई जाती हैं अथवा मंत्रालयों द्वारा समिति के सदस्यों के परामर्श से स्वयं निर्धारित की जाती हैं।

viii) जो सदस्य किसी समिति के सदस्य नहीं है, यदि उन्होंने बैठक में विचार हेतु कार्यसूची में सम्मिलित करने के लिए किसी विषय की सूचना दी है और वह मद कार्यसूची में सम्मिलित हो गई है अथवा उन्होंने ऐसी समिति की किसी बैठक की चर्चा में भाग लेने की अपनी इच्छा व्यक्त की हो, तो संसदीय कार्य मंत्री के अनुमोदन से उन्हें समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

ix) इन समितियों द्वारा कोई निर्णय नहीं लिए जाते हैं। तथापि, समिति द्वारा किसी विषय पर सर्वसम्मति से व्यक्त किए गए मत को, दिशा-निर्देशों में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए आमतौर पर सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है।

x) मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारीगण मंत्रियों की सहायतार्थ और कोई भी अपेक्षित स्पष्टीकरण देने के लिए बैठकों में उपस्थित रहते हैं।

xi) बैठकों में चर्चा की अनौपचारिक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, दिशा-निर्देश सदस्यों को और सरकार को बाध्य करते हैं कि इन समितियों की बैठकों में हुई किसी भी चर्चा का उल्लेख किसी भी सदन में नहीं किया जाए।

xii) परामर्शदात्री समिति की उप-समितियां गठित नहीं की जाएंगी।

8.4 सामान्यत: लोक सभा के आम चुनावों के पश्चात, नई लोक सभा गठित होने पर परामर्शदात्री समितियां गठित की जाती हैं। 18वीं लोक सभा में, विभिन्न मंत्रालयों के लिए 42 परामर्शदात्री समितियां गठित की गई हैं **(परिशिष्ट-7)।**

8.5 प्रतिवेदित अवधि के दौरान आयोजित परामर्शदात्री समितियों की बैठकों का ब्यौरा और उनमें चर्चा किए गए महत्वपूर्ण विषय **परिशिष्ट-8** में दिए गए हैं।

8.6 परामर्शदात्री समितियों के गठन, कार्यों और प्रक्रियाओं संबंधी दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुसार समिति के अध्यक्ष यदि चाहें तो, एक कलेंडर वर्ष में, अंत:सत्रावधि के दौरान परामर्शदात्री समिति की एक बैठक दिल्ली से बाहर भारत में कहीं भी आयोजित की जा सकती है।

प्रतिवेदित अवधि के दौरान, निम्नलिखित मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों की बैठकें दिल्ली से बाहर आयोजित की गईं:-

क्र.सं.	**मंत्रालय का नाम जिससे परामर्शदात्री समिति संबद्ध है**	**बैठक की तारीख और स्थान**
1.	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	03.07.2025 को श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में
2.	कोयला और खान मंत्रालय	03.07.2025 को रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना में
3.	सहकारिता मंत्रालय	06.12.2025 को बनासकंठा, गुजरात में
4.	रक्षा मंत्रालय	16.10.2025 को पुणे, महाराष्ट्र में
5.	शिक्षा मंत्रालय	06.06.2025 को इंदौर, मध्य प्रदेश में
6.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	23.01.2025 को कोयंबट्टूर, तमिलनाडु में
7.	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	13.11.2025 को जैसलमेर, राजस्थान में
8.	जल शक्ति मंत्रालय	09.10.2025 को सूरत, गुजरात में
9.	विधि और न्याय मंत्रालय	20.06.2025 को लेह, लद्दाख में
10.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	23.05.2025 को गुरूग्राम, हरियाणा में
11.	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	26.05.2025 को मुंबई, महाराष्ट्र में
12.	विद्युत मंत्रालय	28.04.2025 को काकड़ापार, गुजरात में
13.	विद्युत मंत्रालय	17.11.2025 को पिन्नापुरम, आन्ध्र प्रदेश में
14.	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	10.11.2025 को चेन्नई, तमिलनाडु में

अध्याय-9

संसदविदों के सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमण्डलों का आदान-प्रदान

9.1 निरन्तर और तेजी से परिवर्तनशील अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हमारी राष्ट्रीय नीतियों, कार्यक्रमों और समस्याओं को सही और स्पष्ट रूप से विभिन्न देशों में प्रसारित व प्रचारित करने और उनके दृष्टिकोण को समझने की आवश्यकता बहुत समय से अनुभव की जा रही थी। किसी भी देश के संसदविद उस देश की नीति के निर्धारण और अन्य देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विशेषकर, भारत जैसे प्रगतिशील लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए यह नि:संदेह अति आवश्यक और उपयोगी है कि वह कुछ संसद सदस्यों व गण्यमान्य व्यक्तियों का चयन करे और इस कार्य के लिए उनका प्रभावी ढंग से उपयोग करें कि वे अन्य देशों में उनके समकक्ष व्यक्तियों और अन्य नीति निर्माताओं को विभिन्न क्षेत्रों में हमारी नीतियों, कार्यक्रमों, समस्याओं और उपलब्धियों को स्पष्ट करके उनको भारत के पक्ष में कर सकें। निसंदेह, पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित संसद सदस्यों के शिष्टमण्डलों का आदान-प्रदान एक प्रभावी माध्यम साबित हुआ है। अत: संसद सदस्यों के तीन से चार शिष्टमंडल संसदीय कार्य मंत्री/संसदीय कार्य राज्य मंत्री के नेतृत्व में, जिसमें संसद के दोनों सदनों में मुख्य सचेतक तथा अपने-अपने राजनैतिक दलों द्वारा चुने गए विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल होते हैं, विदेशों का दौरा करते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय भी अन्य देशों से ऐसे ही शिष्टमंडलों का स्वागत करता है।

9.2 इस वर्ष, संसद सदस्यों का सरकार द्वारा प्रायोजित कोई भी सद्भावना शिष्टमंडल किसी भी देश में नहीं भेजा गया है।

विदेश जाने वाले सरकारी शिष्टमंडलों पर संसद सदस्यों का नामांकन

9.3 संसदीय कार्य मंत्री विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विदेश भेजे जाने वाले शिष्टमंडलों के लिए संसद सदस्यों को नामित करते हैं/उनके नामों को अनुमोदित करते हैं।

विदेश से आए शिष्टमंडलों के साथ बैठक

9.4 विदेशों में शिष्टमंडल भेजने के अलावा, विदेशों के विभिन्न शिष्टमंडल संसदीय कार्य मंत्री/संसदीय कार्य राज्य मंत्री से मुलाकात करते हैं और संसद के कार्यचालन एवं परस्पर हित के अन्य मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान करते हैं।

9.5 इस वर्ष, यूनाइटेड किंगडम, रूस और सऊदी अरब से आए ऐसे ही संसदीय शिष्टमंडलों ने क्रमश: दिनांक 04.08.2025, 18.08.2025 और 03.12.2025 को माननीय संसदीय कार्य मंत्री से मुलाकात की और संसद के कामकाज और आपसी हित के अन्य मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

(रूस से आया संसदीय शिष्टमंडल)

(यूनाइटेड किंगडम से आया संसदीय शिष्टमंडल)

(सऊदी अरब से आया संसदीय शिष्टमंडल)

सोमडेट फ्रा थेरायनमुनि (एसपीटी) के नेतृत्व में थाईलैंड से आए एक और शिष्टमंडल ने दिनांक 16.06.2025 को माननीय संसदीय कार्य मंत्री से मुलाकात की।

(थाईलैंड से आया संसदीय शिष्टमंडल)

संसद सदस्यों के विदेश दौरे

9.6 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, 3 संसद सदस्यों (लोक सभा) ने अपने विदेश दौरों के बारे में इस मंत्रालय को सूचित किया। इन सदस्यों की मांग पर, विदेश मंत्रालय तथा विदेशों में हमारे मिशनों के माध्यम से उन्हें अपेक्षित सहायता प्रदान की गई।

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन अनुमति

9.7 विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन, विदेश जाने वाले संसद सदस्यों के लिए अन्य बातों के साथ-साथ यह आवश्यक है कि ऐसे दौरों के संबंध में, जिनमें विदेशी सरकार या संगठन से 'विदेशी आतिथ्य' स्वीकार किया जाता है, गृह मंत्रालय की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जाए। इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में इस मंत्रालय द्वारा सदस्यों को समय-समय पर सूचित किया जाता है। इस संबंध में सदस्यों द्वारा मांगी गई आवश्यक सहायता भी प्रदान की जाती है।

विदेश दौरों के लिए राज्य सरकारों को अनुमति/अनापत्ति

9.8 मंत्रिमंडल सचिवालय के दिशा-निदेशों (का.ज्ञा.सं.21/1/7/94-मंत्रिमंडल दिनांक 30.03.1995) के अनुसार सरकारी विदेश दौरों से संबंधित मामलों में राज्य सरकारों को संबंधित केंद्रीय प्रशासनिक मंत्रालय से अनुमति लेना/प्राप्त करना अपेक्षित है।

9.9 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, संसदीय कार्य मंत्रालय ने तेलंगाना सरकार को विदेश यात्रा पर जाने वाले उनके सरकारी प्रायोजित शिष्टमंडल के संबंध में मंजूरी/अनापत्ति जारी की है।

अध्याय -10

युवा संसद

एक झलक:

- **अभिविन्यास पाठ्यक्रम**
  1. दिल्ली के विद्यालयों के लिए 58वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2025-26
  2. केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2025-26
  3. जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 27वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2025-26
  4. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए प्रथम राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2025-26
- **मूल्यांकन**
  1. दिल्ली के विद्यालयों के लिए 58वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2025-26
  2. केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2025-26
  3. जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 27वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2025-26
  4. विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के लिए 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2024-25
- **पुरस्कार वितरण समारोह**
  1. जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 25वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2023-24
  2. केंद्रीय विद्यालयों के लिए 34वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2023-24 तथा 35वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2024-25
  3. दिल्ली के विद्यालयों के लिए 57वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2024-25

प्रस्तावना

10.1 युवा पीढ़ी में लोकतांत्रिक मूल्यों एवं लोकतांत्रिक आचरण की भावना का विकास करने के उद्देश्य से, इस मंत्रालय द्वारा वर्ष 1966-67 में दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में, दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के सहयोग से युवा संसद प्रतियोगिता कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था। इस गतिविधि के दायरे का विस्तार करने के लिए वर्ष 1995 से नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) द्वारा संचालित विद्यालयों को भी युवा संसद कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया। इसके पश्चात राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिताओं के 4 पृथक कार्यक्रमों के अंतर्गत युवा संसद कार्यक्रम का विस्तार केंद्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों, विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों तथा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों तक किया गया। प्रत्येक प्रतियोगिता से पूर्व, इस मंत्रालय द्वारा प्रतिभागी विद्यालयों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के प्रभारी शिक्षकों के लाभ एवं मार्गदर्शन के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रत्येक प्रतियोगिता के समापन पर मंत्रालय द्वारा एक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाता है, जिसमें विजेता विद्यार्थियों, संस्थानों तथा प्रभारी शिक्षकों को ट्रॉफी, शील्ड, प्रमाण-पत्र तथा स्मृति-चिह्न प्रदान किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, 7वें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन की सिफारिश के अनुसरण में, यह मंत्रालय ऊपर उल्लिखित युवा संसद प्रतियोगिताओं के आयोजन के अलावा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

इन प्रतियोगिताओं के अतिरिक्त, युवा संसद कार्यक्रम के दायरे में विस्तार करने के उद्देश्य से इस मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में राष्ट्रीय युवा संसद योजना (एनवाईपीएस) के एक वेब-पोर्टल की शुरूआत की गई थी। इसके दायरे को देश के प्रत्येक नागरिक तक विस्तारित करने के लिए वर्ष 2024 में इसके उन्नत संस्करण अर्थात एनवाईपीएस 2.0 का भी शुभारंभ किया गया था।

<u>शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के अधीन विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता</u>

10.2 अभिविन्यास पाठ्यक्रम: 58वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2025-26 के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम का आयोजन 14 अक्टूबर, 2025 को किया गया। इस पाठ्यक्रम में दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय तथा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के 41 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं प्रभारी शिक्षकों ने भाग लिया था और इसका आयोजन कान्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, रफ़ी मार्ग, नई दिल्ली में किया गया था। अभिविन्यास पाठ्यक्रम के दौरान मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा व्याख्यान प्रस्तुत किए गए।

(दिल्ली के विद्यालयों के लिए 58वीं युवा संसद प्रतियोगिता हेतु 14 अक्टूबर, 2025 को आयोजित अभिविन्यास पाठ्यक्रम)

10.3 मूल्यांकन: दिल्ली के विद्यालयों के लिए युवा संसद कार्यक्रम के भाग के रूप में युवा संसद प्रतियोगिता के 57वें संस्करण का मूल्यांकन 13 फरवरी, 2025 को पूरा हुआ। 58वीं युवा संसद प्रतियोगिता के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया 17 नवम्बर, 2025 से प्रारम्भ होकर 12 जनवरी, 2026 को पूरी हुई।

(दिल्ली के एक विद्यालय में 58वीं युवा संसद प्रतियोगिता के मूल्यांकन के दौरान आयोजित युवा संसद की बैठक)

10.4 पुरस्कार वितरण समारोह: मंत्रालय द्वारा दिल्ली के विद्यालयों के लिए 57वीं युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह 22 अगस्त, 2025 को जी.एम.सी. बालयोगी सभागार, संसद ग्रंथालय, संसद भवन परिसर, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। श्री अर्जुन राम मेघवाल, विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने इस समारोह की अध्यक्षता की और पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर सर्वोदय कन्या विद्यालय नं.1, सी-ब्लॉक, यमुना विहार, दिल्ली को प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर संसदीय चल वैजन्ती (रनिंग पार्लियामेंट्री शील्ड) से सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में सराहनीय प्रदर्शन के लिए 9 विद्यालयों को योग्यता ट्रॉफी से सम्मानित किया गया।

(22 अगस्त, 2025 को जी.एम.सी. बालयोगी सभागार में 57वीं युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह)

केंद्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता

केंद्रीय विद्यालयों के लिए एक पृथक युवा संसद प्रतियोगिता योजना वर्ष 1988 में प्रारम्भ की गई थी। अब तक केंद्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के 35 संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके हैं।

10.5 अभिविन्यास पाठ्यक्रम: 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2025-26 के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम का आयोजन 11 जुलाई, 2025 को किया गया। इस अभिविन्यास पाठ्यक्रम में 200 केंद्रीय विद्यालयों के सहायक आयुक्तों, प्रधानाचार्यों तथा प्रभारी शिक्षकों ने भाग लिया और इसका आयोजन केंद्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) में आभासी माध्यम से किया गया। पाठ्यक्रम के दौरान संसदीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा व्याख्यान प्रस्तुत किए गए।

10.6 मूल्यांकन: 35वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2024-25 का राष्ट्रीय/आंचलिक स्तर का मूल्यांकन जनवरी, 2025 में पूर्ण किया गया। प्रतिवेदित वर्ष के दौरान केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2024-25 का आयोजन देश के विभिन्न भागों में स्थित 200 केंद्रीय विद्यालयों के बीच किया गया। प्रतियोगिताएँ प्रारम्भ में संबंधित क्षेत्रों के भाग लेने वाले केंद्रीय विद्यालयों के बीच क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित की गईं। इसके पश्चात 25 क्षेत्रीय विजेताओं के मध्य 5 आंचलिक स्तर की प्रतियोगिताएँ निम्नलिखित स्थानों पर आयोजित की गईं:

क्र.सं.	तारीख	मेज़बान क्षेत्र	मेज़बान केन्द्रीय विद्यालय	अंचल	प्रतिभागी क्षेत्र
1	03.11.2025 और 04.11.2025	देहरादून	के.वि. ओएनजीसी देहरादून	उत्तर	चंडीगढ़, दिल्ली, देहरादून, गुरुग्राम, जम्मू
2	10.11.2025 और 11.11.2025	आगरा	पीएम श्री के.वि. केएनएन गाजियाबाद	पश्चिम	अहमदाबाद, जयपुर, मुंबई, आगरा, रांची
3	18.11.2025 और 19.11.2025	जबलपुर	पीएम श्री के.वि. आयुध निर्माणी खमरिया	दक्षिण	हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, एर्नाकूलम, जबलपुर
4	25.11.2025 और 26.11.2025	वाराणसी	पीएम श्री के.वि. पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर	मध्य	वाराणसी, भोपाल, लखनऊ, पटना, रायपुर
5	02.12.2025 और 03.12.2025	गुवाहाटी	के.वि. आईआईटी गुवाहाटी	पूर्व	तिनसुकिया, कोलकाता, गुवाहाटी, सिल्चर, भुवनेश्वर

10.7 पुरस्कार वितरण समारोह:

(i) केन्द्रीय विद्यालयों के लिए 34वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2023-24 का पुरस्कार वितरण समारोह 10 जनवरी, 2025 को जी.एम.सी. बालयोगी सभागार, संसद ग्रंथालय, संसद भवन परिसर, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। श्री किरेन रीजीजू, माननीय संसदीय कार्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने इस समारोह की अध्यक्षता की और पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय, आईआईटी खड़गपुर (कोलकाता क्षेत्र, पूर्वी अंचल) को प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर नेहरू रनिंग पार्लियामेंटरी शील्ड प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, अपने-अपने अंचल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 4 केन्द्रीय विद्यालयों को आंचलिक विजेता ट्रॉफियाँ तथा क्षेत्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 20 केन्द्रीय विद्यालयों को योग्यता ट्रॉफियाँ प्रदान की गईं।

(केन्द्रीय विद्यालयों के लिए 34वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2023-24 का 10 जनवरी, 2025 को जी.एम.सी. बालयोगी सभागार में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह)

(ii) केन्द्रीय विद्यालयों के लिए 35वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2024-25 का पुरस्कार वितरण समारोह 29 अगस्त, 2025 को जी.एम.सी. बालयोगी सभागार, संसद ग्रंथालय, संसद भवन परिसर, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। लोक सभा सदस्य, सुश्री बांसुरी स्वराज ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की अध्यक्षता की तथा केन्द्रीय विद्यालयों और विद्यार्थियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी श्रीकोना (सिल्चर क्षेत्र, पूर्वी अंचल) को प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सरदार वल्लभभाई पटेल रनिंग पार्लियामेंटरी शील्ड प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, अपने-अपने अंचल अंचल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 4 केन्द्रीय विद्यालयों को आंचलिक विजेता ट्रॉफियाँ तथा क्षेत्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 20 केन्द्रीय विद्यालयों को योग्यता ट्रॉफियाँ प्रदान की गईं।

(केन्द्रीय विद्यालयों के लिए 35वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2024-25 का 29 अगस्त, 2025 को जी.एम.सी. बालयोगी सभागार में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह)

जवाहर नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता

जवाहर नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का कार्यक्रम वर्ष 1997 में प्रारम्भ किया गया था और अब तक इस प्रतियोगिता के 26 संस्करण सम्पन्न किए जा चुके हैं।

10.8 अभिविन्यास पाठ्यक्रम: 27वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2025-26 के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम 15 जुलाई, 2025 को आयोजित किया गया। इस अभिविन्यास पाठ्यक्रम में 100 जवाहर नवोदय विद्यालयों के सहायक आयुक्तों, प्रधानाचार्यों तथा प्रभारी शिक्षकों ने भाग लिया और इसका आयोजन नवोदय विद्यालय समिति (मुख्यालय) में आभासी माध्यम से किया गया। पाठ्यक्रम के दौरान संसदीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा व्याख्यान दिए गए।

10.9 मूल्यांकन: जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2024-25 के राष्ट्रीय स्तर का मूल्यांकन फरवरी, 2025 में सम्पन्न किया हुआ।

जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 27वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2025-26 का आयोजन देश के विभिन्न भागों में स्थित 100 जवाहर नवोदय विद्यालयों के बीच किया गया। प्रतियोगिताएँ प्रारम्भ में संबंधित क्षेत्रों के प्रतिभागी जवाहर नवोदय विद्यालयों के बीच क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित की गईं। इसके उपरांत 8 क्षेत्रीय विजेताओं के बीच राष्ट्रीय स्तर की 3 प्रतियोगिताएँ निम्नलिखित स्थानों पर आयोजित की गईं:

क्र.सं.	मूल्यांकन की तारीखें	स्थान	भाग लेने वाले ज.न.वि.
1.	22-23 दिसंबर 2025	ज.न.वि. जींद, हरियाणा	1. श्रीगंगानगर-II, राजस्थान 2. उधमसिंह नगर, उत्तराखंड 3. शिमला, हिमाचल प्रदेश
2.	5-6 जनवरी 2026	ज.न.वि. सिद्दीपेट, तेलंगाना	1. कोल्लम, केरल 2. वलसाड, गुजरात
3.	13-14 जनवरी 2026	ज.न.वि. रांची, झारखंड	1. उखरुक-I, मणिपुर 2. पुरुलिया, पश्चिम बंगाल 3. बिलासपुर, छत्तीसगढ़

10.10 पुरस्कार वितरण समारोह: 25वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2023-24 का पुरस्कार वितरण समारोह 16 जनवरी, 2025 को जी.एम.सी. बालयोगी सभागार, संसद ग्रंथालय, संसद भवन परिसर, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। श्री अर्जुन राम मेघवाल, विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने इस समारोह की अध्यक्षता की और पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर जवाहर नवोदय विद्यालय, चंद्रपुर, महाराष्ट्र को प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर रनिंग पार्लियामेंटरी शील्ड प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 7 जवाहर नवोदय विद्यालयों को योग्यता ट्रॉफियाँ प्रदान की गईं।

(25वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का 16 जनवरी, 2025 को जी.एम.सी. बालयोगी सभागार में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह)

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता

वर्ष 1997-98 से अब तक देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के 17 संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं।

10.11 मूल्यांकन: विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के लिए 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2024-25 के कार्यक्रम की समय-सारणी के अनुसार, समूह स्तर की प्रतियोगिताएँ जनवरी से मई, 2025 के दौरान आयोजित की गईं। विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के लिए 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2024-25 का राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन 10 सितम्बर, 2025 से प्रारम्भ होकर 14 नवम्बर, 2025 को देश के निम्नलिखित आठ स्थानों पर सम्पन्न हुआ:

क्र.सं.	समूह	संस्थान का नाम (समूह विजेता)	युवा संसद बैठक की तारीख
1	समूह -1	कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र	23-10-2025
2	समूह -2	डीएवी कॉलेज, जालंधर	30-10-2025
3	समूह -3	जादवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता	16-09-2025
4	समूह -4	शिवाजी यूनिवर्सिटी, कोल्हापुर	09-10-2025
5	समूह -5	यूनिवर्सिटी ऑफ़ कश्मीर, श्रीनगर	14-11-2025
6	समूह -6	चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पटना	19-09-2025
7	समूह -7	एसएसएमआरवी कॉलेज, बेंगलुरु	16-10-2025
8	समूह -8	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ़ पंजाब, बठिंडा	10-09-2025

10.12 विज्ञापन: विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के लिए 18वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2025-26 में प्रतिभागिता हेतु विज्ञापन 4 जुलाई, 2025 को प्रकाशित किया गया, जिसके माध्यम से विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों से प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता :

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) के आदिवासी विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के एक नए कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, श्री किरेन रीजीजू द्वारा 11 सितम्बर, 2024 को किया गया।

10.13 अभिविन्यास पाठ्यक्रम: 36 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों तथा प्रभारी शिक्षकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2025-26 का अभिविन्यास पाठ्यक्रम 12-13 नवम्बर, 2025 को कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, रफी मार्ग, नई दिल्ली स्थित में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा समिति (एनईएसटीएस) के सहयोग से आयोजित किया गया।

(12-13 नवम्बर, 2025 को कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, रफी मार्ग, नई दिल्ली में प्रथम राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2025-26 के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम का आयोजन)

युवा संसद प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता

10.14 युवा संसद प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना के अंतर्गत त्रिपुरा, उत्तराखण्ड तथा हरियाणा राज्यों से दावे प्राप्त होने पर उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

"राष्ट्रीय युवा संसद योजना" का वेब-पोर्टल

10.15 युवा संसद कार्यक्रम के दायरे का अभी तक देश के अछूते वर्गों और स्थानों तक विस्तार करने के लिए, केंद्रीय कक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली में 26 नवंबर, 2019 को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता योजना के एक वेब-पोर्टल का शुभारंभ किया गया था।

10.16 माननीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, श्री किरेन रीजीजू ने 11 सितंबर, 2024 को एनवाईपीएस के नए संस्करण यानी एनवाईपीएस 2.0 का शुभारंभ किया। एनवाईपीएस 2.0 को मंत्रालय द्वारा इसलिए विकसित किया गया है ताकि पोर्टल में प्रतिभागियों की संख्या को मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थानों के छात्रों की परवाह किए बिना देश के सभी नागरिकों के लिए पोर्टल को खोलकर तेज़ी से बढ़ाया जा सके। एनवाईपीएस 2.0 के वेब-पोर्टल पर देश के सभी नागरिक मंत्रालय के युवा संसद कार्यक्रम में निम्नलिखित तीन प्रकार से भाग ले सकते हैं:

प्रकार	**विवरण**
संस्थान द्वारा प्रतिभागिता	सभी शैक्षणिक संस्थान पोर्टल पर उपलब्ध दिशा-निर्देशों के अनुसार युवा संसद की बैठकें आयोजित करके इस श्रेणी के अंतर्गत भाग ले सकते हैं। कक्षा VI से XII तक के विद्यार्थियों का चयन "किशोर सभा" उप-श्रेणी के लिए किया जा सकता है तथा स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों का चयन "तरुण सभा" उप-श्रेणी के लिए किया जा सकता है।
समूह द्वारा प्रतिभागिता	नागरिकों का एक समूह पोर्टल पर उपलब्ध दिशा-निर्देशों के अनुसार युवा संसद की बैठकें आयोजित करके इस श्रेणी के अंतर्गत भाग ले सकता है।
व्यक्तिगत प्रतिभागिता	कोई भी नागरिक 'क्रियाशील भारतीय लोकतंत्र' विषय पर प्रश्नोत्तरी के जवाब देकर इस श्रेणी के अंतर्गत भाग ले सकता है।

10.17 ई-प्रशिक्षण सामग्री जैसे युवा संसद संबंधी साहित्य, आदर्श वाद-विवाद, आदर्श प्रश्न, आदर्श कार्यसूची, आदर्श पांडुलिपि, वीडियो ट्यूटोरियल आदि एनवाईपीएस 2.0 के वेब-पोर्टल पर प्रशिक्षण संसाधनों के रूप में उपलब्ध हैं। यह पोर्टल https://nyps.mpa.gov.in/ पर उपलब्ध है।

एनवाईपीएस का डैशबोर्ड

अध्याय-11

मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग

11.1 राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अनुसरण में, मंत्रालय दिनांक 5.1.1978 को केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यालय के रूप में अधिसूचित किया गया था जिसके कर्मचारी वर्ग ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

11.2 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अधीन यह अनिवार्य है कि उसमें विनिर्दिष्ट कुछ मामलों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाए। उक्त अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत कुछ कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कागजात द्विभाषी रूप में अथवा केवल हिंदी में ही जारी हों, मंत्रालय के सामान्य अनुभाग (प्रेषण अनुभाग) में एक जांच-बिन्दु स्थापित किया गया है।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

11.3 राजभाषा नीति का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें दिनांक 28.03.2025, 27.06.2025, 25.09.2025 और 11.12.2025 को आयोजित की गईं। इन बैठकों में मंत्रालय के सभी अनुभागों में हिंदी में किए जा रहे कार्य की प्रगति पर चर्चा की गई।

हिंदी सलाहकार समिति

11.4 हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विषयों एवं राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में सलाह देने के लिए मंत्रालय में एक हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया जाता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, समिति की एक बैठक 22 अगस्त, 2025 को आयोजित की गई।

11.5 मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा हिन्दी के प्रयोग संबंधी उपबंधों के कार्यान्वयन पर लगातार निगरानी रखने के लिए मंत्रालय के अनुभागों का निरीक्षण किया जाता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान 11 अनुभागों का निरीक्षण किया गया।

हिंदी पखवाड़ा

11.6 मंत्रालय में 14 से 30 सितंबर, 2025 के दौरान "हिंदी पखवाड़ा" मनाया गया। पखवाड़े के उद्घाटन के दौरान, माननीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रीजीजू) द्वारा मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों से अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने के लिए अपील जारी की गई। पखवाड़े के दौरान, निम्नलिखित आठ प्रतियोगिताएं स्थल पर आयोजित की गईं:-

1. हिंदी टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता;
2. हिंदी टंकण प्रतियोगिता;
3. हिंदीतर भाषी कर्मचारियों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता;
4. हिंदी श्रुतलेखन प्रतियोगिता;
5. हिंदी अनुवाद प्रतियोगिता;
6. हिंदी प्रश्नोत्तरी;
7. हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता; और
8. हिंदी कविता लेखन प्रतियोगिता।

11.7 हिंदी पखवाड़े का समापन समारोह 30 सितंबर, 2025 को आयोजित किया गया। समारोह के दौरान, विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। हिंदी टिप्पण - आलेखन नकद पुरस्कार योजना (एक वर्ष में टिप्पण और आलेखन में हिंदी के कम से कम 20,000 शब्द लिखने वाले कर्मचारियों के लिए) के पुरस्कार विजेताओं सहित कुल 27 अधिकारियों/कर्मचारियों **(परिशिष्ट -11)** को पुरस्कार प्रदान किए गए।

हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह के दौरान डॉ. सत्य प्रकाश, अपर सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय कर्मचारियों को संबोधित करते हुए।

11.8 अनुसंधान प्रकोष्ठ और नेवा प्रकोष्ठ को छोड़कर मंत्रालय के 15 अनुभागों में से आठ अनुभाग शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में करने के लिए और अन्य सात अनुभाग 50 प्रतिशत कार्य हिन्दी में करने के लिए विनिर्दिष्ट हैं। विभिन्न अनुभागों द्वारा हिन्दी में किए जाने वाले कार्य का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

1.	सामान्य अनुभाग	100%
2.	आश्वासन (लोक सभा) अनुभाग	100%
3.	आश्वासन (राज्य सभा) अनुभाग	100%
4.	हिंदी अनुभाग	100%
5.	प्रशासन अनुभाग	100%
6.	ई-शासन और ई-समन्वय अनुभाग	100%
7.	विधायी-II अनुभाग	100%
8.	आरटीआई/शिकायत प्रकोष्ठ	100%
9.	युवा संसद-I अनुभाग	50%
10.	युवा संसद-II अनुभाग	50%
11.	प्रोटोकॉल और कल्याण अनुभाग	50%
12.	समिति अनुभाग	50%
13.	विधायी-I अनुभाग	50%
14.	सांसद परिलब्धियां अनुभाग	50%
15.	लेखा और क्रय अनुभाग	50%

हिंदी कार्यशालाएँ

11.9 मंत्रालय में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, प्रतिवेदित अवधि के दौरान चार बार हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। पहली कार्यशाला 13-14 जनवरी, 2025 को, दूसरी 24-25 फरवरी, 2025 को, तीसरी 28-29 अगस्त, 2025 को तथा चौथी 1-2 सितंबर, 2025 को आयोजित की गई। इन कार्यशालाओं में कुल 58 कर्मचारियों को हिंदी में टिप्पण एवं प्रारूपण का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

11.10 मंत्रालय द्वारा सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किए जा रहे सतत प्रयासों के अंतर्गत, प्रतिवेदित अवधि के दौरान दो बार हिंदी संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। पहली संगोष्ठी का आयोजन 19 सितंबर, 2025 को तथा दूसरी का आयोजन 9 अक्टूबर, 2025 को किया गया। मंत्रालय में इन संगोष्ठियों के माध्यम से हिंदी के प्रयोग को सुदृढ़ एवं संस्थागत रूप प्रदान करते हुए, कुल 16 अधिकारियों को हिंदी में प्रशासनिक कार्य करने के विभिन्न पहलुओं पर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

11.11 “अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, 2025” के अवसर पर मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए 11 जून, 2025 को एक योग कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के सहायक योग प्रशिक्षक डॉ. रमेश कुमार द्वारा सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को व्यावहारिक एवं प्रदर्शनात्मक योग का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

अध्याय -12

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा)

एक झलक

1. परिचय
2. ई-विधान एमएमपी के तहत स्वचालन के क्षेत्र
3. वर्ष 2025 में आयोजित प्रमुख कार्यक्रम
4. राज्यों के विधानमंडलों में नेवा की उपलब्धियां
5. नेवा के कार्यान्वयन की स्थिति
6. नेवा सारांश
7. क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण

12.1 प्रस्तावना

- ई-विधान भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (डीआईपी) के तहत एक मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) है। ई-विधान के अंतर्गत, राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) 'एक राष्ट्र-एक एप्लिकेशन' के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य विधानसभाओं के भीतर समस्त सरकारी कार्य के कागज-रहित निष्पादन की सुविधा के माध्यम से सभी राज्य विधानमंडलों को "डिजिटल सदनों" में परिवर्तित करके उनके कामकाज का डिजिटलीकरण करना है, ताकि राज्य सरकार के विभागों के साथ निर्बाध सूचना विनिमय हो सके और सार्वजनिक पोर्टल पर अनुमोदित सामग्री का वास्तविक समय पर प्रकाशन हो सके। यह नवीनतम सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) उपकरणों का लाभ उठाकर विधायी चर्चाओं में राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अधिक प्रभावी भागीदारी को भी सशक्त बनाती है। यह बृहत्तर प्रतिभागिता और सुविज्ञ निर्णय लेने को बढ़ावा देकर विधायी प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाती है।
- संसदीय कार्य मंत्रालय को विधानसभाओं/परिषदों वाले सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नेवा एमएमपी के कार्यान्वयन के लिए 'नोडल मंत्रालय' के रूप में नामित किया गया है और इसे विधानमंडलों वाले सभी 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) के रूप में पुनः नामित ई-विधान को प्रोत्साहित और कार्यान्वित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का अधिकार दिया गया है।
- मानकीकृत जेनेरिक नेवा को विकसित किया गया है जो द्विभाषी (अंग्रेजी और हिंदी / राज्य भाषा) होगी और नेशनल क्लाउड-मेघराज पर मल्टी-टेनेंसी एप्लिकेशन के रूप में काम करेगी। एप्लिकेशन को विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उनके जोखिम और लागत पर अनुकूलित किया जा सकता है।

नेवा की मुख्य विशेषताएं

क. **अद्‌वितीय:** यह नवाचार अद्‌वितीय है और पूरे देश में लागू होने वाला अपनी तरह का पहला है। नेवा का उद्‌देश्य देश के सभी विधानमंडलों को एक साथ एक मंच पर लाना और ऐसा करके अनेक एप्लिकेशनों की जटिलता के बिना एक बृहत डेटा निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) का सृजन करना है।

ख. **सदस्य-केंद्रित और डिवाइस-एग्नॉस्टिक एप्लिकेशन:** नेवा को एक सदस्य-केंद्रित, डिवाइस-तटस्थ, यूनिकोड-अनुपालक और उपयोगकर्ता-अनुकूल ऐप के रूप में कार्य करने के लिए विकसित किया गया है, जो विभिन्न राज्य विधानमंडलों के सभी सदस्यों को उनके हाथ में पकड़े जाने वाले उपकरण/टैबलेट में उनके लिए आवश्यक संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराके सदन के विविध कार्य को संभालने में समर्थ बनाती है।

ग. **सभी संबंधित हितधारकों के लिए एकल एप्लिकेशन के रूप में विकसित**: नेवा को विधानसभाओं/परिषदों के सदस्यों, मंत्रियों, सदन सचिवालय कर्मियों, सरकारी विभाग के कर्मियों, नागरिकों, मीडिया, शोधकर्ताओं आदि जैसे विभिन्न हितधारकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। सदस्यों को सदन के विविध कार्य को संभालने की सुविधा प्रदान करने के अलावा, यह विधानमंडलों/विभागों की सभी शाखाओं को कुशलतापूर्वक कार्य करने में समर्थ बनाती है। नेवा हितधारक विभागों के बीच इलेक्ट्रॉनिक सूचना विनिमय सुनिश्चित करती है।

घ. **यह एक पूर्णत: प्रक्रिया आधारित एप्लिकेशन है:** नेवा सदन की आवश्यक प्रक्रियाओं को स्वचालित करती है। इसमें प्रश्न संसाधन, विभागीय उत्तर, विधेयक प्रबंधन, कार्यसूची निर्माण, समिति प्रबंधन, शब्दशः निर्माण आदि जैसी विभिन्न प्रक्रियाएँ शामिल हैं।

ङ. **सभी राज्य विधानमंडलों की आवश्यकताओं को पूरा करती है:** नेवा एक सामान्य वेब-एप्लिकेशन है जो सभी राज्य विधानमंडलों की आवश्यकताओं को पूरा करती है और नेशनल क्लाउड - मेघराज पर एक मल्टी-टेनेंसी एप्लिकेशन के रूप में कार्य करती है। इसे देश भर के सभी विधानमंडलों के लिए विशिष्ट रूप से विकसित किया गया है।

च. **आकस्मिक स्थितियों के लिए लचीलापन:** किसी घटना या आपदा के मामले में, राष्ट्रीय डेटा केंद्र नेवा वेबसाइट को आपदा रिकवरी साइट से बहाल होने का निर्देश देगा, जो एनआईसी राज्य केंद्र, भुवनेश्वर में स्थित है। आदर्श रूप से बहाली में 3-4 घंटे लगेंगे।

छ. **दस्तावेज़/रिकॉर्ड प्रबंधन:** नेवा विधायी दस्तावेज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए दस्तावेज़ साझाकरण और संग्रह सहित सटीक दस्तावेज़ प्रबंधन सुविधा प्रदान करता है।

12.2 ई-विधान एमएमपी के तहत स्वचालन के क्षेत्र

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) उन प्रक्रियाओं को स्वचालित करती है जो सदन के कागज रहित कामकाज और सूचनाओं के डिजिटल आदान-प्रदान के लिए प्रासंगिक हैं। नेवा परियोजना के तहत निम्नलिखित मॉड्यूल विकसित और कार्यान्वित किए गए हैं-

डिजिटल सदन, मास्टर डाटा, प्रयोगकर्ता प्रबंधन, विभागीय उत्तर, मोबाइल एप्लिकेशन, विधेयक प्रबंधन प्रणाली, कार्यसूची, समिति प्रबंधन प्रणाली, प्रश्न संसाधन, पब्लिक पोर्टल, सदस्य मॉड्यूल, रिपोर्टर्स मॉड्यूल, डिजिटल अभिलेखागार मॉड्यूल, सरकारी आश्वासन मॉड्यूल।

12.3 वर्ष 2025 में आयोजित प्रमुख कार्यक्रम

नेवा पर तृतीय राष्ट्रीय सम्मेलन:

- ✓ 30 अक्टूबर, 2025 को संसदीय सौध, नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नेवा पर तृतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन माननीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, श्री किरेन रीजीजू द्वारा किया गया। सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता माननीय संसदीय कार्य और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री, डॉ. एल. मुरुगन द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन का आयोजन नेवा परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने और इसके तीव्र अंगीकरण तथा निर्बाध एकीकरण की कार्ययोजना पर विचार-विमर्श करने के लिए किया गया था। सम्मेलन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों, राज्य सरकार के विभागों और एनआईसी के 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

- ✓ इस सम्मेलन की मुख्य उपलब्धि 'नई दिल्ली प्रस्ताव' को सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाना था। यह प्रस्ताव अन्य मुख्य बिंदुओं के साथ-साथ नेवा के सार्वभौमिक अंगीकरण की परिकल्पना करता है –जिसमें लंबवत रूप से नेवा के सभी मॉड्यूलों का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करना और क्षैतिज रूप से उन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ना शामिल है, जिन्होंने अब तक इसे नहीं अपनाया है।

श्री किरेन रीजीजू, माननीय केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, नेवा की परिवर्तनकारी उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए और इसके भविष्य के लिए अपना दृष्टिकोण साझा करते हुए।

डॉ. एल. मुरुगन, माननीय संसदीय कार्य और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री, नेवा के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान अपने समापन भाषण के माध्यम से प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए।

श्री निकुंज बिहारी धल, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, अपने परिचयात्मक भाषण में नेवा परियोजना की व्यापकता और प्रगति को रेखांकित करते हुए।

डॉ. सत्य प्रकाश, अपर सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय एवं नेवा मिशन लीडर सभी हितधारकों के साझा प्रयासों की सराहना करते हुए और सभी विधायी सदनों में इसके पूर्ण कार्यान्वयन हेतु भविष्य की कार्ययोजना को रेखांकित करते हुए।

12.4 राज्यों के विधानमंडलों में नेवा की उपलब्धियां

राजस्थान नेवा पर लाइव: राजस्थान विधानसभा 31 जनवरी 2025 से नेवा के माध्यम से अपने बजट सत्र का सीधा संचालन करके पूर्णतः डिजिटल सदन में परिवर्तित होने वाली देश की 16वीं राज्य विधानसभा बन गई है।

राजस्थान विधानसभा अपने बजट सत्र का पूर्णतः नेवा प्लेटफॉर्म पर संचालन करते हुए।

ओडिशा में नेवा का शुभारंभ: नेवा के माध्यम से पूर्णतः डिजिटल सदन में परिवर्तित होने वाली देश की 17वीं राज्य विधानसभा, ओडिशा ने 13 फरवरी 2025 को इस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। इस समारोह में मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी के साथ-साथ ओडिशा विधानसभा की माननीय अध्यक्ष श्रीमती सुरमा पाढ़ी और संसदीय कार्य मंत्रालय के तत्कालीन सचिव श्री उमंग नरूला भी उपस्थिति थे।

ओडिशा विधानसभा में नेवा का शुभारंभ समारोह

उत्तराखंड द्वारा नेवा का अंगीकरण: उत्तराखंड विधानसभा 18 फरवरी 2025 को नेवा को अपनाने वाली देश की 18वीं राज्य विधानसभा बन गई । देहरादून विधानसभा में आयोजित इस शुभारंभ समारोह की शोभा माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी एवं उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष श्रीमती ऋतु खंडूरी ने बढ़ाई।

उत्तराखंड विधानसभा में नेवा का शुभारंभ समारोह

पुडुचेरी नेवा पर लाइव: पुडुचेरी विधानसभा 17 जून 2025 को पूर्णतः डिजिटल सदन में परिवर्तित होकर नेवा को अपनाने वाली देश की 19वीं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानसभा बन गई। इससे पूर्व, 9 जून 2025 को आयोजित शुभारंभ समारोह की शोभा संसदीय कार्य एवं सूचना और प्रसारण मंत्रालय में माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, डॉ. एल. मुरुगन ने बढ़ाई। इस गरिमामयी अवसर पर पुडुचेरी के उप-राज्यपाल, श्री के. कैलाशनाथन, मुख्यमंत्री, श्री एन. रंगासामी, अध्यक्ष, श्री आर. सेल्वम, संसदीय कार्य मंत्रालय के तत्कालीन सचिव श्री उमंग नरूला तथा अपर सचिव डॉ. सत्य प्रकाश सहित अन्य गण्यमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

पुडुचेरी विधानसभा में नेवा का शुभारंभ समारोह

दिल्ली विधानसभा नेवा पर लाइव: 4 अगस्त 2025 को दिल्ली विधानसभा नेवा प्लेटफॉर्म को अपनाने वाली देश की 20वीं विधानसभा बन गई। उल्लेखनीय है कि दिल्ली विधानसभा ने इसके कार्यान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद 100 दिनों से भी कम समय में इस उपलब्धि को प्राप्त कर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है।

श्री किरेन रीजीजू, माननीय केंद्रीय मंत्री दिल्ली विधानसभा में नेवा के उद्घाटन समारोह में भाग लेते हुए।

दिल्ली विधानसभा नेवा प्लेटफॉर्म पर लाइव।

12.5 नेवा के कार्यान्वयन की स्थिति

नेवा परियोजना ने अपनी उल्लेखनीय यात्रा में शानदार उपलब्धियाँ हासिल की हैं। वर्तमान में, 28 विधानमंडल मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। इनमें से 26 विधानमंडलों को परियोजना की मंजूरी और वित्तपोषण प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा, 20 विधानमंडलों ने नेवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने सदनों को सफलतापूर्वक डिजिटल कर लिया है। ये उपलब्धियाँ परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन और बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करती हैं।

विभिन्न विधानमंडलों में नेवा के कार्यान्वयन की स्थिति: -

क्र.सं.	राज्य	वर्तमान स्थिति
1	गुजरात विधानसभा	लाइव
2	राजस्थान विधानसभा	लाइव
3	उत्तर प्रदेश विधान परिषद	लाइव
4	उत्तर प्रदेश विधानसभा	लाइव
5	बिहार विधान परिषद	लाइव
6	पंजांब विधानसभा	लाइव
7	हरियाणा विधानसभा	लाइव
8	उत्तराखंड विधानसभा	लाइव
9	दिल्ली विधानसभा	लाइव
10	ओडिशा विधानसभा	लाइव
11	नागालैंड विधानसभा	लाइव
12	मिजोरम विधानसभा	लाइव
13	मेघालय विधानसभा	लाइव
14	मणिपुर विधानसभा	लाइव
15	सिक्किम विधानसभा	लाइव
16	असम विधानसभा	लाइव
17	त्रिपुरा विधानसभा	लाइव
18	तमिलनाडु विधानसभा	लाइव
19	पुडुचेरी विधानसभा	लाइव
20	हिमाचल प्रदेश विधानसभा	लाइव
21	झारखंड विधानसभा	परियोजना मंजूर और पहली किस्त जारी की जा चुकी है
22	बिहार विधानसभा	परियोजना मंजूर और दूसरी किस्त जारी की जा चुकी है
23	मध्य प्रदेश विधानसभा	परियोजना मंजूर और दूसरी किस्त जारी की जा चुकी है
24	जम्मू और कश्मीर विधानसभा	परियोजना मंजूर और पहली किस्त जारी की जा चुकी है
25	आंध्र प्रदेश विधानसभा	परियोजना मंजूर और पहली किस्त जारी की जा चुकी है
26	आंध्र प्रदेश विधान परिषद	परियोजना मंजूर और पहली किस्त जारी की जा चुकी है
27	अरूणाचल प्रदेश विधानसभा	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं
28	छत्तीसगढ़ विधानसभा	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं

12.6 नेवा सारांश

नेवा के साथ लाइव होने के चरण

निम्नलिखित प्रवाह संचित्र एक विधानमंडल को अब तक कम कागज वाले विधानमंडल में और बाद में पूरी तरह से कागज रहित विधानमंडल में परिवर्तित करने की चरणबद्ध प्रक्रिया के बारे में बताता है।

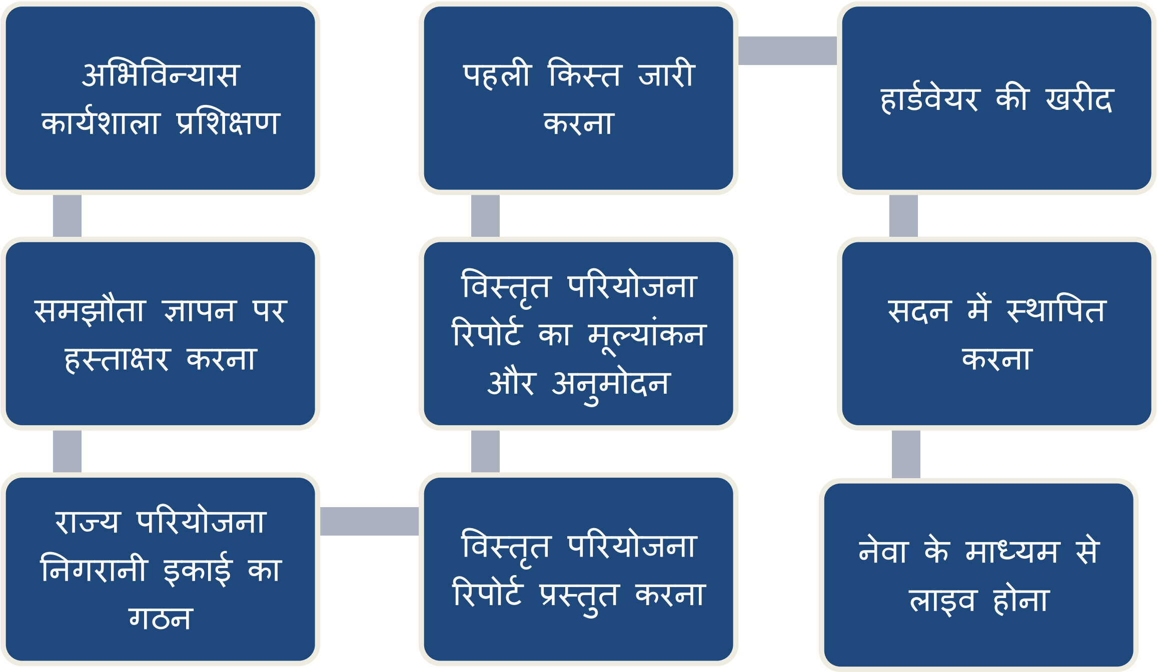

12.7 क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण

केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई (सीपीएमयू) के मुख्य कार्यों में से एक है विभिन्न हितधारकों जैसे राज्य विधानमंडलों के सदस्यों, संबंधित राज्य विधानमंडल सचिवालयों के अधिकारियों और राज्य सरकार के विभागों के अन्य अधिकारियों की क्षमता का निर्माण और प्रशिक्षण तथा नेवा सेवा केंद्र (एनएसके), ई-लर्निंग सह ई-सुविधा केंद्र स्थापित करके सदस्यों की सहायता करना। हितधारकों को एसपीएमयू (राज्य परियोजना निगरानी इकाई) के परामर्श से विभिन्न माध्यमों से प्रशिक्षण और सहायता प्रदान की जाती है ताकि नेवा को सुचारू रूप से अपनाया जा सके:-

- केंद्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशालाएँ आयोजित करके।
- संबंधित विधानमंडलों में और केंद्र में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों के सदस्यों, विधानमंडल सचिवालय और राज्य सरकार के विभागों के अधिकारियों के लिए अभिविन्यास कार्यशालाएँ आयोजित करके।
- आभासी अभिविन्यास कार्यक्रम/कार्यशालाएँ आयोजित करके
- नेवा वेबसाइट पर नियम पुस्तक और वीडियो ट्यूटोरियल अपलोड करके।

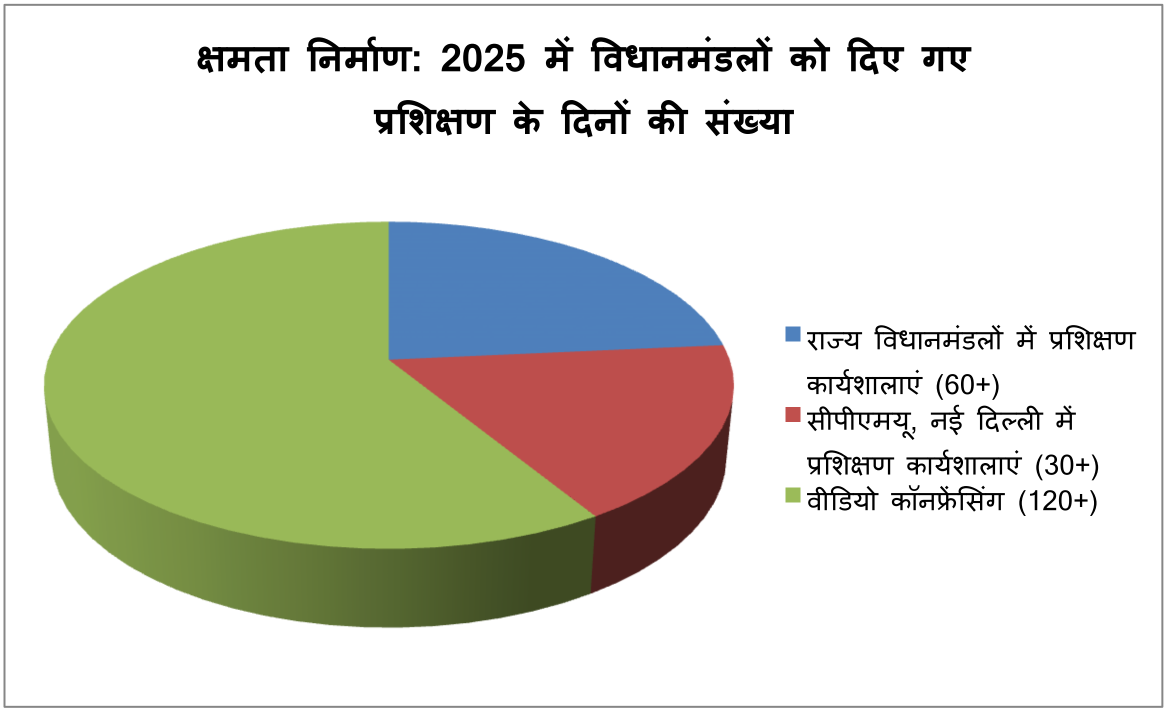

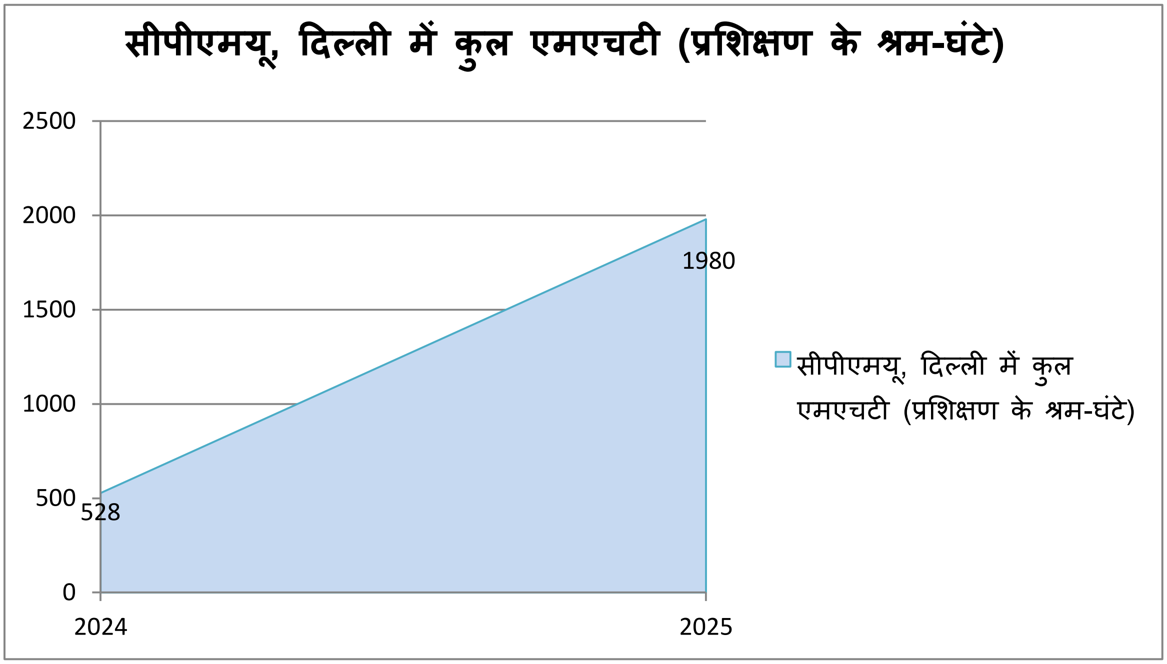

प्रतिभागिता करने वाले राज्य विधामंडलों की कुल संख्या	**21**
कुल एमएचटी (प्रशिक्षण के श्रम-घंटे)	**1980 एमएचटी**

वर्ष 2025 में, इन प्रयासों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों के लगभग 110 अधिकारियों के लिए 23 सितंबर, 2025 से सीपीएमयू, नई दिल्ली में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। लगभग 30 दिनों की अवधि (संलग्न सूची के अनुसार)* वाले इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों को नेवा प्लेटफॉर्म की बेहतर समझ प्रदान करना और एप्लिकेशन में एकीकृत नई विशेषताओं एवं कार्यात्मकताओं के अनुरूप उनके कौशल को अद्यतन करना था। इसके अतिरिक्त, पूरे वर्ष के दौरान, विधायी सचिवालयों के अधिकारियों और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ 120 दिनों से अधिक की वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) भी आयोजित की गई हैं।

*__सीपीएमयू, नई दिल्ली में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची__

क्र.सं.	**विधानमंडल**	**प्रशिक्षण की अवधि**
1	बिहार विधानमंडल (विधानसभा एवं विधान परिषद दोनों)	23 से 26 सितंबर, 2025
2	उत्तर प्रदेश विधानमंडल (विधानसभा एवं विधान परिषद दोनों)	28 से 30 अक्टूबर, 2025
3	आंध्र प्रदेश विधानमंडल (विधानसभा एवं विधान परिषद दोनों)	4, 6 एवं 7 नवंबर, 2025
4	झारखंड विधानसभा	12 से 14 नवंबर, 2025
5	मणिपुर विधानसभा	19 से 21 नवंबर, 2025
6	त्रिपुरा विधानसभा	
7	नागालैंड विधानसभा	
8	दिल्ली विधानसभा	
9	सिक्किम विधानसभा	26 से 28 नवंबर, 2025
10	पुडुचेरी विधानसभा	
11	तमिलनाडु विधानसभा	
12	मिजोरम विधानसभा	3 एवं 4 दिसंबर, 2025
13	अरुणाचल प्रदेश विधानसभा	
14	पंजाब विधानसभा	10 से 12 दिसंबर, 2025
15	गुजरात विधानसभा	
16	मेघालय विधानसभा	
17	असम विधानसभा	
18	राजस्थान विधानसभा	17 से 19 दिसंबर, 2025

04.11.2025 को संसदीय सौध में आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम।

19.11.2025 को संसदीय सौध में आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम।

21.10.2025 को संसदीय सौध में आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम के समापन के पश्चात राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों को 'सहभागिता प्रमाणपत्रों' का वितरण।

अध्याय - 13

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और लोक शिकायतें

संसदीय कार्य मंत्रालय ऑनलाइन पोर्टल और भौतिक रूप दोनों के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त सूचना के अधिकार संबंधी आवेदनों/प्रथम अपीलों पर कार्रवाई कर रहा है। मंत्रालय ने सूचना के अधिकार संबंधी आवेदनों के निपटान हेतु उप सचिवों को प्रथम अपील प्राधिकारी और अवर सचिवों को केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों के रूप में नामित किया है। जैसा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) के तहत अपेक्षित है, सक्रिय/स्वप्रेरित प्रकटीकरण को इस मंत्रालय की वेबसाइट पर 'सूचना का अधिकार' शीर्ष के अंतर्गत अपलोड किया जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25(3) के तहत अपेक्षित रूप में केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर वर्ष 2024-25 की त्रैमासिक विवरणियां पहले ही अपलोड की जा चुकी हैं। सूचना का अधिकार पारदर्शिता "वर्ष 2024-25 के लिए तृतीय पक्ष ऑडिट रिपोर्ट" जिसे केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा अनुमोदित एजेंसी, भारतीय जनसंचार संस्थान (आईएमसी) द्वारा ऑडिट किया गया है, पहले ही इस मंत्रालय की वेबसाइट पर 'सूचना का अधिकार' शीर्षक के अंतर्गत अपलोड की जा चुकी है। मंत्रालय में एक नामित आरटीआई/पीजी सेल है जो आरटीआई/पीजी के समन्वय और निपटान संबंधी कार्य को देखता है।

13.1 इसी प्रकार, मंत्रालय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त होने वाली लोक शिकायतों के साथ-साथ भौतिक रूप से प्राप्त होने वाली लोक शिकायतों का भी निपटारा कर रहा है। डीएआरपीजी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, मंत्रालय ने लोक शिकायतों के निपटारे के लिए मंत्रालय के अवर सचिवों को शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) के रूप में नामित किया है।

13.2 दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 की अवधि के दौरान, मंत्रालय द्वारा निपटाए गए सूचना के अधिकार संबंधी आवेदनों/अपीलों का विवरण नीचे दिया गया है:-

आवेदन प्राप्त हुए	आवेदन निपटाए गए	प्रथम अपील प्राप्त हुई	प्रथम अपील निपटाई गई	केंद्रीय सूचना आयोग से प्राप्त दूसरी अपील	केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा निपटाई गई दूसरी अपील	क्या वेबसाइट पर स्वप्रेरित प्रकटीकरण को वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है
374	374	31	31	02	02	हाँ

13.3 दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 की अवधि के दौरान, मंत्रालय द्वारा निपटाई गई लोक शिकायतों का विवरण नीचे दिया गया है:-

लोक शिकायत प्राप्त हुई	लोक शिकायत निपटाई गई
1883	1883

13.4 लोक शिकायतों के समय पर और गुणवत्तापूर्ण निपटान के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा तैयार रैंकिंग के अनुसार मंत्रालय को फरवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, सितंबर और नवंबर, 2025 में 6 बार शीर्ष प्रदर्शनकर्ता का दर्जा दिया गया है। मंत्रालय ने उक्त अवधि के दौरान शिकायतों के निपटान के लिए 2 दिन का समय भी बनाए रखा।

अध्याय 14

विविध

एक झलक
• संसदीय कार्य मंत्री ने निम्नलिखित नामांकन किए:-
(i) विभिन्न सरकारी निकायों, परिषदों, बोर्डों इत्यादि पर 206 संसद सदस्य (140 लोक सभा से और 66 राज्य सभा से); और
(ii) विभिन्न हिंदी सलाहकार समितियों पर 104 संसद सदस्य (50 लोक सभा से और 54 राज्य सभा से)

सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, बोर्डों, आयोगों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन

14.1 भारत सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में गठित विभिन्न समितियों, परिषदों, बोर्डों, आयोगों इत्यादि पर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा संसद सदस्यों का नामांकन किया जाता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान 206 संसद सदस्यों (लोक सभा से 140 और राज्य सभा से 66) को विभिन्न सरकारी निकायों पर नामांकित किया गया, जैसा कि **परिशिष्ट-9** में दिखाया गया है।

हिंदी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन

14.2 भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा नीति के अंतर्गत आने वाले सरकारी कार्य और संबद्ध कार्यों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी मामलों पर परामर्श देने के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा गठित हिंदी सलाहकार समितियों के साथ संसद सदस्यों को सहयोजित किया जाता है। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा इन प्रत्येक समितियों में चार संसद सदस्य (2 लोक सभा और 2 राज्य सभा) नामांकित किए जाते हैं। प्रतिवेदित अवधि के दौरान **परिशिष्ट-10** में दर्शाए गए रूप में 104 संसद सदस्यों (लोक सभा से 50 और राज्य सभा से 54) को विभिन्न हिंदी सलाहकार समितियों पर नामित किया गया।

याचिका संबंधी संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई

14.3 संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई:

प्रतिवेदित अवधि के दौरान, निम्नलिखित प्रतिवेदनों की जांच की गई और यह पाया गया कि समिति ने सामान्य प्रकृति की कोई ऐसी सिफारिश नहीं की है जिसे अपेक्षित कार्रवाई हेतु सभी मंत्रालयों को परिचालित करना आवश्यक हो:-

(i) 18वीं लोक सभा की याचिका समिति का पहला, दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन।

(ii) राज्य सभा की याचिका समिति का 163वां प्रतिवेदन।

संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन

14.4 यह मंत्रालय संसद के निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है:-

(क) संसद सदस्य वेतन, भत्ता एवं पेंशन अधिनियम, 1954;
(ख) संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953;
(ग) संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977; और
(घ) संसद में मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) अधिनियम, 1998

14.5 संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 की धारा 9 के अंतर्गत, संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति, जिसमें क्रमश: अध्यक्ष, लोक सभा और सभापति, राज्य सभा द्वारा नामांकित लोक सभा के 10 सदस्य और राज्य सभा के 5 सदस्य शामिल होते हैं, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट मामलों पर नियम बनाने के लिए गठित की जाती है। संयुक्त समिति की सिफारिशों पर लोक/राज्य सभा सचिवालयों एवं संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से इस मंत्रालय में कार्रवाई की जाती है। जहां आवश्यक हो विधि-निर्माण के लिए कार्रवाई की जाती है।

लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर सांसदों/पूर्व सांसदों के वेतन, भत्तों और पेंशन में संशोधन

14.6 संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निहित उपबंधों के अनुसार, सांसदों/पूर्व सांसदों के वेतन, दैनिक भत्ते, पेंशन, अतिरिक्त पेंशन, निर्वाचन क्षेत्र भत्ते, कार्यालय-व्यय भत्ते और फर्नीचर के लिए धनीय सीमा को आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) के तहत उपबंधित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर 01 अप्रैल, 2023 से शुरू प्रत्येक पांच वर्ष पश्चात संशोधन किया जाएगा। इसलिए सरकार ने संसदीय कार्य मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना जीएसआर 188(ई) दिनांक 21.03.2025 और लोक सभा सचिवालय की राजपत्र अधिसूचना जीएसआर 196(ई) दिनांक 27.03.2025 के माध्यम से ऊपर उल्लिखित परिलब्धियों में संशोधन किया है।

सांसदों/पूर्व सांसदों के वेतन, भत्तों और पेंशन में संशोधन निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	**शीर्ष**	**मौजूदा दर (रू) 1.4.2018 से प्रभावी**	**संशोधित दर (रू) 1.4.2023 से प्रभावी**
1	वेतन	1,00,000/- प्रति मास	1,24,000/- प्रति मास
2	दैनिक भत्ता	2,000/-	2,500/-
3	पेंशन	25,000/- प्रति मास	31,000/- प्रति मास
4	पांच वर्ष से अधिक सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त पेंशन	2,000/- प्रति मास	2,500/- प्रति मास
5	निर्वाचन क्षेत्र संबंधी भत्ता	70,000/- प्रति मास	87,000/- प्रति मास

6	कार्यालय व्यय भत्ता: (i) कम्प्यूटर साक्षर व्यक्ति के लिए (ii) लेखन सामग्री मदों के लिए	 40,000/- प्रति मास 20,000/- प्रति मास	 50,000/- प्रति मास 25,000/- प्रति मास
7	फर्नीचर की धनीय सीमा (कार्यकाल के दौरान एक बार) (i) टिकाऊ (ii) गैर-टिकाऊ	 80,000/- 20,000/-	 1,00,000/- 25,000/-

14.7 सांसदों और पूर्व सांसदों को स्वीकार्य वेतन, भत्ते, पेंशन और सुविधाएं इत्यादि दर्शाने वाला अद्यतन विवरण क्रमश: **परिशिष्ट-12** और **परिशिष्ट-13** पर दिया गया है।

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई

14.8 लोक सभा और राज्य सभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की सामान्य प्रकृति की सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जाती है।

नेताओं/मुख्य सचेतकों और सचेतकों की व्यवस्था

14.9 संसदीय प्रणाली का सुचारू कार्यचालन बहुत हद तक विधानमण्डलों में दलीय मशीनरी की कार्यकुशलता पर निर्भर करता है। संसद में दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक दल के महत्वपूर्ण कार्यकर्त्ता होते हैं, जो विधानमंडलों में दलों और समूहों के सुचारू कामकाज में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। संसदीय कार्य मंत्री, सरकारी मुख्य सचेतक के रूप में, संसद में सभी दलों/समूहों के नेताओं/मुख्य सचेतकों/सचेतकों के साथ-साथ संसद के दोनों सदनों में कार्य के सुचारू संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं।

अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन

14.10 सचेतकों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए तथा संसद और राज्य विधानमंडलों में सचेतकों के बीच विचारों के परस्पर आदान-प्रदान और आवधिक बैठकों के लिए एक उपयुक्त मंच उपलब्ध कराने के लिए, मंत्रालय समय-समय पर अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन आयोजित करता रहा है। वर्ष 1952 से अब तक अठारह अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। अंतिम 18वां अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन राजस्थान सरकार के सहयोग से 8-9 जनवरी, 2018 को उदयपुर में आयोजित किया गया था।

संसद सदस्यों का कल्याण

14.11 ईलाज के लिए अस्पताल में भर्ती अस्वस्थ संसद सदस्यों की आवश्यकताओं की देख-रेख करने के उद्देश्य से, दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों के साथ अस्वस्थ संसद सदस्यों की दिन-प्रतिदिन की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी टेलीफोन संदेश द्वारा प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। इस मंत्रालय के अधिकारी सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करने तथा सदस्य की मांग पर अन्य कोई सहायता प्रदान करने के लिए अस्पताल का दौरा करते हैं। संसदीय कार्य मंत्री/राज्य मंत्री एवं उच्च अधिकारी भी शिष्टाचार के नाते अस्पताल में भर्ती अस्वस्थ संसद सदस्य के स्वास्थ्य के बारे में, जब-जब अपेक्षित हो, जानकारी लेते हैं।

14.12 संसदीय कार्य मंत्रालय अपनी वेबसाइट http://www.mpa.nic.in पर दिल्ली में विभिन्न अस्पतालों में भर्ती बीमार संसद सदस्यों की द्विभाषी जानकारी दैनिक आधार पर उपलब्ध कराता है।

14.13 किसी संसद सदस्य की दिल्ली में मृत्यु होने की दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था में, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा दिवंगत सदस्य के अंतिम संस्कार के लिए सदस्य के पार्थिव शरीर को उसके परिवार की पसंद के स्थान पर ले जाने के लिए शोक संतप्त परिवार को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है।

संसद सदस्यों के लिए परिवहन और रात्रि भोजन की व्यवस्था

14.14 संसदीय कार्य मंत्रालय सदन (सदनों) की देर तक चलने वाली बैठकों के दौरान, जब भी आवश्यक हो, देर रात्रि में अपने आवास तक जाने के लिए संसद सदस्यों/ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों हेतु विशेष किराए पर दिल्ली परिवहन निगम (डी.टी.सी.) की बसों की व्यवस्था करता है।

14.15 यह मंत्रालय सदन (सदनों) की देर तक चलने वाली बैठक (बैठकों) के दौरान संसद सदस्यों, प्रेस तथा संसद भवन में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के लिए रात्रि भोजन/जलपान की व्यवस्था करता है।

महत्वपूर्ण समारोहों पर अगवानी कार्य

14.16 यह मंत्रालय महत्वपूर्ण सार्वजनिक समारोहों पर, जिनमें संसद सदस्य आमंत्रित किए जाते हैं, अगवानी कार्य करता है। ऐसी ड्यूटी गणतंत्र दिवस परेड, उसके समापन समारोह, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा पद-ग्रहण समारोह आदि के अवसर पर की जानी अपेक्षित होती है।

संसद में विभिन्न दलों/समूहों के नेताओं के साथ संपर्क

14.17 संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों और ग्रुपो के नेताओं और सचेतकों के साथ संपर्क करना भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अंतर्गत इस मंत्रालय को आबंटित प्रमुख कार्यों में से एक है। इस मंत्रालय का प्रोटोकॉल और कल्याण अनुभाग महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों/ग्रुपों के नेताओं में सर्वसम्मति बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और अन्य केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा बुलाई गई बैठकों के लिए आवश्यक व्यवस्था/समन्वय करता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निम्नलिखित बैठकें बुलाई गई:

क्र.सं.	**तारीख**	**किसने बैठक बुलाई/ बैठक की अध्यक्षता की**	**विषय**	**आयोजन स्थल**
1	30.01.2025	संसदीय कार्य मंत्री / श्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री	बजट सत्र का सुचारू संचालन	मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध, नई दिल्ली
2	24.04.2025	संसदीय कार्य मंत्री / श्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री	पहलगाम में आतंकवादी हमले के पश्चात ब्रीफिंग	जी- 074, संसद ग्रंथालय, नई दिल्ली

3	08.05.2025	संसदीय कार्य मंत्री / श्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री	ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ब्रीफिंग	जी- 074, संसद ग्रंथालय, नई दिल्ली
4	20.07.2025	संसदीय कार्य मंत्री/ श्री जगत प्रकाश नड्डा (केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक मंत्री तथा राज्य सभा में सदन के नेता)	मानसून सत्र का सुचारू संचालन	मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध, नई दिल्ली
5	30.11.2025	संसदीय कार्य मंत्री / श्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री	शीतकालीन सत्र का सुचारू संचालन	मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध, नई दिल्ली

(संसद के शीतकालीन सत्र, 2025 से पहले मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध, नई दिल्ली में 30 नवंबर, 2025 को आयोजित सर्वदलीय बैठक)

बजट की स्थिति

14.18 संसदीय कार्य मंत्रालय के बजट की स्थिति निम्न प्रकार है:-

(करोड़ रूपयों में)

मुख्य शीर्ष	**विषय-शीर्ष**				
	राजस्व खंड	**बजट अनुमान 2025-26**	**संशोधित अनुमान 2025-26**	**बजट अनुमान 2026-27**	**वास्तविक व्यय** (29/12/2025 तक)
1	2	3	4	5	6
1 राजस्व खंड मुख्य शीर्ष “2052” सचिवालय सामान्य सेवाएं, 00.090 सचिवालय-13 संसदीय कार्य मंत्रालय	13.00 - स्थापना				
	13.00.01 - वेतन	8.99	9.05	9.32	7.57
	13.00.05 - पुरस्कार	0.07	0.07	0.07	0.06
	13.00.06 - चिकित्सा उपचार	0.30	0.60	0.30	0.47
	13.00.07 - भत्ते	7.99	8.43	9.02	6.93
	13.00.08 - छुट्टी यात्रा रियायत	0.12	0.12	0.13	0.08
	13.00.09 - प्रशिक्षण व्यय	0.02	0.02	0.02	0.01
	13.00.11 - घरेलू यात्रा व्यय	0.50	0.50	0.50	0.41
	13.00.12 - विदेश यात्रा व्यय	2.40	0.50	2.20	0.20
	13.00.13 - कार्यालय व्यय	3.60	4.00	4.00	3.35
	13.00.16 - मुद्रण और प्रकाशन	0.10	0.10	0.10	0.06
	13.00.18 -अन्य के लिए किराया	0.60	1.00	0.80	0.59
	13.00.19 - डिजिटल उपकरण	0.30	0.30	0.32	0.20
	13.00.24 - ईंधन और स्नेहक	0.09	0.10	0.09	0.08
	13.00.26 - विज्ञापन और प्रचार	1.62	0.66	1.32	0.32
	13.00.28 - वृत्तिक सेवाएं	0.40	0.40	0.40	0.28
	13.00.29 - मरम्मत और अनुरक्षण	0.18	0.32	0.30	0.17
	13.00.49 - अन्य राजस्व व्यय	0.03	0.04	0.04	0.03
	13.02 - राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन 13.02.09 प्रशिक्षण व्यय	0.40	0.15	0.20	0.00
	13.02 - राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन 13.02.13 कार्यालय व्यय	0.50	0.50	0.35	0.23
	13.02 - राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन 13.02.26 विज्ञापन और प्रचार	0.10	0.10	0.10	0.02
	13.02 - राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन 13.02.28 वृत्तिक सेवाएं	0.05	0.05	0.05	0.04
	13.02 - राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन	30.24	30.24	30.20	18.16

	13.02.31 सहायतानुदान - सामान्य				
	13.03 - राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम 13.03.40 अवार्ड और पुरस्कार	1.20	1.25	1.25	0.81
	13.96 - स्वच्छता कार्य योजना 13.96.40 अवार्ड और पुरस्कार	0.10	0.10	0.10	0.06
	कुल मुख्य शीर्ष '2052'	**59.90**	**58.60**	**61.18**	**40.13**
<u>पूंजीगत खंड</u> मुख्य शीर्ष "4070" अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय, लघु शीर्ष "00.001" दिशा और प्रशासन 31-सचिवालय सामान्य सेवाएं, 13.21 संसदीय - कार्य मंत्रालय	31.21.51 - मोटर वाहन	0.10	0.20	0.10	0.20
	31.21.52 - मशीनरी और उपकरण	0.20	0.20	0.25	0.14
	31.21.71 - सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण	6.30	7.25	6.84	5.94
	31.21.74 - फर्निचर और फिक्सचर्स	0.03	0.03	0.04	0.02
	31.21.77 - अन्य अचल परिसंपत्ति	0.03	0.03	0.04	0.02
	कुल मुख्य शीर्ष '4070'	**6.66**	**7.71**	**7.27**	**6.32**
	कुल जोड़ - संसदीय कार्य मंत्रालय	**66.56**	**66.31**	**68.45**	**46.45**

लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर ए.टी.एन. की स्थिति

14.19 वित्तीय वर्ष 2025-26 में लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर ए.टी.एन. की स्थिति निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	वर्ष	उन पैराग्राफों/पी.ए. रिपोर्टों की संख्या जिन पर लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षण के पश्चात पी.ए.सी. को ए.टी.एन. प्रस्तुत की गई है	उन पैराग्राफों/पी.ए. रिपोर्टों का विवरण जिन पर ए.टी.एन. लंबित है		
			मंत्रालय द्वारा प्रथम बार भी नहीं भेजी गई ए.टी.एन. की संख्या	भेजी गई परंतु टिप्पणी के साथ लौटाई गई ए.टी.एन. की संख्या और मंत्रालय द्वारा जिनके पुन: प्रस्तुतीकरण की लेखापरीक्षा प्रतीक्षा कर रही है	उन ए.टी.एन. की संख्या जिनका लेखापरीक्षा द्वारा अंतिम रूप से पुनरीक्षण कर लिया गया है परंतु जिन्हें मंत्रालय द्वारा पी.ए.सी. को प्रस्तुत नहीं किया गया है
	2025-26 तक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

दिव्यांजनों के लाभार्थ किए गए क्रियाकलाप

14.20 यह मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियुक्तियों इत्यादि में दिव्यांगजनों के लाभ के मामलें में जारी नियमों, विनियमों और अनुदेशों का पालन करता है। इस विषय पर नीति निर्माण का कार्य मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है।

अनुसंधान कार्य

14.21 अनुसंधान प्रकोष्ठ भारत सरकार में संसदीय प्रक्रिया की नियम पुस्तिका और संसदीय कार्य मंत्रालय के कार्यचालन संबंधी पुस्तिका की समीक्षा और अद्यतनीकरण के लिए जिम्मेदार है। यह केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को, जब भी मांग की जाए, संसदीय प्रक्रियाओं और परिपाटियों संबंधी मामलों पर सलाह/मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसके अलावा, समय-समय पर विभिन्न संसदीय और संवैधानिक मामलों पर टिप्पणियां और संक्षिप्त विवरण तैयार किए जाते हैं।

अनुसंधान प्रकोष्ठ संसदीय कार्य मंत्रालय की वार्षिक सांख्यिकीय पुस्तिका और वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी जिम्मेदार है, यह मंत्रालय के नागरिक चार्टर को अद्यतन करता है और प्रशासनिक सुधार आयोग की विभिन्न रिपोर्टों में निहित सभी प्रासंगिक सिफारिशों पर कार्रवाई करता है। यह लाभ के पद, संसद सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों से संबंधित मामलों और संसदीय सचिवालयों के कार्यचालन से संबंधित मामलों को भी देखता है। इसके अतिरिक्त प्रकोष्ठ के कार्यों में नीति-संबंधी कार्य तथा इस मंत्रालय की टिप्पणियों के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से इस मंत्रालय में प्राप्त विभिन्न मामलों पर अनुसंधान कार्य भी शामिल हैं।

स्वच्छता पखवाड़ा, 2025

14.22 भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के अनुसरण में, संसदीय कार्य मंत्रालय ने मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा निर्धारित कैलेंडर के अनुसार 16 से 30 अप्रैल, 2025 तक स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव द्वारा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वच्छता शपथ दिलाने के साथ किया गया। पखवाड़े के दौरान कई गतिविधियाँ आयोजित की गईं, जिनमें कार्यालय परिसर में गहन स्वच्छता अभियान, पुरानी भौतिक फाइलों की समीक्षा एवं उनकी छंटनी, अप्रचलित वस्तुओं एवं ई-कचरे की पहचान व उनका निपटान, बिजली के उपकरणों की सफाई, कार्यालय कक्षों की सफेदी व सामान्य रखरखाव तथा स्वच्छ एवं हरित कार्य परिवेश को बढ़ावा देने हेतु इनडोर पौधों को लगाना शामिल था। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विभिन्न अनुभागों का निरीक्षण किया गया और समापन समारोह के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अनुभागों को पुरस्कृत किया गया। इस पहल ने कुशल शासकीय कार्यप्रणाली के अनिवार्य घटक के रूप में स्वच्छता, संधारणीयता और डिजिटल स्वच्छता के महत्व को पुनः स्थापित किया।

(पखवाड़े के दौरान शपथ ग्रहण समारोह, स्वच्छता गतिविधियाँ, सचिव महोदय द्वारा निरीक्षण और पुरस्कार वितरण)

स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) अभियान, 2025

14.23 संसदीय कार्य मंत्रालय ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2025 तक आयोजित राष्ट्रव्यापी स्वच्छता ही सेवा-2025 अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस अभियान का शुभारंभ मंत्रालय के सचिव द्वारा स्वच्छता शपथ दिलाने के साथ हुआ, जिसके पश्चात दिवस-वार निर्धारित कार्य-योजना का कार्यान्वयन किया गया। इस अभियान की प्रमुख गतिविधियों में विशेष स्वच्छता अभियान एवं श्रमदान, इनडोर पौधों के वितरण के माध्यम से हरित पहल को बढ़ावा देना, कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी हेतु रंगोली प्रतियोगिता, सफाई मित्रों का सम्मान एवं स्वास्थ्य जाँच शिविर तथा एक औपचारिक समापन समारोह शामिल था। इस अभियान का मुख्य आकर्षण गोल मार्केट स्थित जैन हैप्पी स्कूल में आयोजित 'एक घंटा - एक दिन - एक साथ श्रमदान' कार्यक्रम रहा, जिसका नेतृत्व माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री किरेन रीजीजू ने किया। इसके साथ ही 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के अंतर्गत पौधारोपण भी किया गया। इस अभियान में अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय समुदाय की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई, जिसने स्वच्छता, श्रम की गरिमा और नागरिक उत्तरदायित्व के संदेश को सुदृढ़ किया

(स्वच्छता ही सेवा अभियान, 2025 का शपथ ग्रहण समारोह)

(जैन हैप्पी स्कूल, गोल मार्केट, नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा अभियान)

(स्वच्छता ही सेवा अभियान का समापन समारोह)

स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटान हेतु विशेष अभियान 5.0

14.24 संसदीय कार्य मंत्रालय ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के मार्गदर्शन में 2 से 31 अक्टूबर, 2025 तक संचालित भारत सरकार के स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटान हेतु विशेष अभियान 5.0 में सक्रिय रूप से भाग लिया। यह अभियान दो चरणों में कार्यान्वित किया गया, जिसमें 15 से 30 सितंबर, 2025 तक का प्रारम्भिक चरण लंबित मामलों की पहचान करने, भौतिक एवं ई-फाइलों की समीक्षा करने तथा अप्रचलित अभिलेखों, अनावश्यक सामगी और ई-कचरे को सूचीबद्ध करने पर केंद्रित था। इसके पश्चात, अक्टूबर माह के दौरान एक गहन कार्यान्वयन चरण संचालित किया गया। सतत और व्यवस्थित

प्रयासों के माध्यम से, मंत्रालय ने लंबित संदर्भों और फाइलों का शत-प्रतिशत निपटान सुनिश्चित किया। इसके अंतर्गत सभी अनुभागों में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया, पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप अप्रचलित मदों एवं ई-कचरे का निस्तारण किया गया तथा अभिलेखों की बड़े स्तर पर छंटनी की गई, जिसके परिणामस्वरूप कार्यक्षमता में वृद्धि हुई और कार्यालय स्थल का इष्टतम उपयोग संभव हो सका। ई-ऑफिस, ई-एचआरएमएस, परामर्शदात्री समिति प्रबंधन प्रणाली, दावा एवं सूची प्रबंधन प्रणाली, राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा), ओएएमएस और राष्ट्रीय युवा संसद योजना पोर्टल जैसे प्लेटफॉर्मों के उन्नत उपयोग के माध्यम से डिजिटल शासन पर विशेष बल दिया गया। इन पहलों के फलस्वरूप कागज के उपयोग में उल्लेखनीय कमी आई तथा पारदर्शिता और कार्यक्षमता सुदृढ़ हुई। इस अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन को एक सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के रूप में रेखांकित किया गया, जो राज्य विधानमंडलों को कागजरहित संस्थानों में रूपांतरित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जिससे न केवल महत्वपूर्ण वित्तीय बचत हुई है, बल्कि पर्यावरणीय लाभ भी प्राप्त हुए हैं। मंत्रालय ने #SpecialCampaign5.0 और #SHS2025 जैसे हैशटैग का उपयोग करते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से जमीनी गतिविधियों के साथ-साथ जन-संपर्क को भी बढ़ावा दिया। इसके अंतर्गत वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित अपडेट और समीक्षाएं साझा की गईं, जिससे कर्मचारियों की भागीदारी को प्रोत्साहन मिला और स्वच्छता, कार्यकुशलता एवं कागजरहित कार्यप्रणाली के संदेश को बल मिला। विशेष अभियान 5.0 का सफल समापन प्रशासनिक सुधार, संधारणीय शासन और भारत सरकार के 'स्वच्छ, स्मार्ट और नागरिक-केंद्रित प्रशासन' के विजन के प्रति मंत्रालय की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

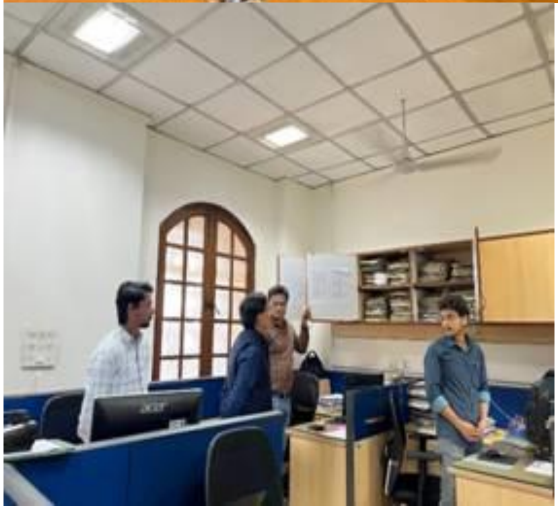

(विशेष अभियान 5.0 के दौरान)

राष्ट्रीय गीत "वन्दे मातरम्" का सामूहिक गायन - राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष

14.25 भारत के राष्ट्रीय गीत वन्दे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने के राष्ट्रव्यापी स्मरण में, संसदीय कार्य मंत्रालय ने 7 नवंबर, 2025 को अपने परिसर में वन्दे मातरम् के पूर्ण संस्करण के सामूहिक गायन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में संसदीय कार्य राज्य मंत्री, सचिव, अपर सचिव तथा मंत्रालय के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। यह आयोजन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित मुख्य उद्घाटन समारोह के क्रम में आयोजित किया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों और माननीय राज्य मंत्री ने अपने संबोधन में स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद भी राष्ट्रीय एकता और प्रेरणा के प्रतीक के रूप में वन्दे मातरम् के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और देशभक्तिपूर्ण महत्व पर प्रकाश डाला। मंत्रालय के सभी सदस्य माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन के सीधे प्रसारण से भी जुड़े, जिसमें उन्होंने एकता, सांस्कृतिक गौरव

और एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने में राष्ट्रीय गीत की चिरस्थायी प्रासंगिकता पर बल दिया। यह कार्यक्रम 7 नवंबर, 2025 से 7 नवंबर, 2026 तक चलने वाले एक वर्ष के राष्ट्रव्यापी कीर्तिगान समारोहों के शुभारंभ का प्रतीक बना।

(वन्दे मातरम् का सामूहिक गायन)

संविधान दिवस समारोह, 2025

14.26 संवैधानिक मूल्यों के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए 26 नवंबर, 2025 को संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में एक भव्य राष्ट्रीय समारोह के आयोजन के साथ 'संविधान दिवस' मनाया गया। इस समारोह की अध्यक्षता भारत की राष्ट्रपति महोदया द्वारा की गई जिसमें उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोक सभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्रीगण, संसद सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। इस अवसर पर महत्वपूर्ण डिजिटल पहलों का विमोचन किया गया, जिसमें विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग द्वारा 9 भारतीय भाषाओं जैसे मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, ओडिया और असमिया में तैयार भारत का संविधान तथा संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रकाशित स्मारक पुस्तिका “भारत की संविधान से कला और कैलीग्राफी” प्रमुख थे। राष्ट्रपति जी ने सभा को संबोधित किया और संविधान की प्रस्तावना के वाचन का नेतृत्व किया। अपने संबोधन में, राष्ट्रपति महोदया ने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा के मार्गदर्शन में संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया और नागरिकों से इसके मूल सिद्धांतों–न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को बनाए रखने का आहवान किया। संविधान दिवस 2025 के समारोहों/गतिविधियों के आयोजन के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय ने संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर नोडल मंत्रालय के रूप में सक्रिय भूमिका निभाई। मंत्रालय ने 'मायगोव' (MyGov) के सहयोग से “हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान” विषय पर राष्ट्रव्यापी निबंध एवं ब्लॉग लेखन प्रतियोगिताएं तथा ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी और प्रस्तावना-पठन जैसी पहलों का संचालन किया। मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सीधे प्रसारण को देखकर और ऑनलाइन गतिविधियों में शामिल होकर संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराया।

(संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में संविधान दिवस का मुख्य कार्यक्रम)

परिशिष्ट

24-Nov

परिशिष्ट-1

(देखें पैरा 1.2)

संसदीय कार्य मंत्रालय को आबंटित कार्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए भारत सरकार (कार्य का आबंटन) नियम, 1961 के अधीन मंत्रालय को सौंपे गए कार्य:-

1. संसद की दोनों सभाओं को बुलाने और उनका सत्रावसान करने की तिथियां, लोक सभा का विघटन, संसद के समक्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण।
2. दोनों सभाओं में विधायी और अन्य सरकारी कार्य की आयोजना तथा समन्वय।
3. सदस्यों द्वारा सूचित किए गए प्रस्तावों पर चर्चा के लिए संसद में सरकारी समय का नियतन।
4. संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न दलों और ग्रुपों के नेताओं और सचतेकों के साथ सम्पर्क।
5. विधेयकों संबंधी प्रवर और संयुक्त समितियों के सदस्यों की सूचियां।
6. सरकार द्वारा गठित समितियों और अन्य निकायों पर संसद सदस्यों की नियुक्ति।
7. विभिन्न मंत्रालयों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समितियों का कार्यचालन।
8. संसद में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों का कार्यान्वयन।
9. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रूख।
10. संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल की समिति को सचिवालयिक सहायता।
11. प्रक्रियागत और अन्य संसदीय मामलों में मंत्रालयों को सलाह।
12. संसदीय समितियों द्वारा की गई सामान्य रूप से लागू होने वाली सिफारिशों पर मंत्रालयों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का समन्वय।
13. संसद सदस्यों के सरकार द्वारा प्रायोजित रोचक स्थानों के दौरे।
14. संसद सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों संबंधी मामले।
15. संसदीय सचिव - कार्य।
16. सम्पूर्ण देश में विद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन।
17. अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का आयोजन।
18. संसद सदस्यों के सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमंडलों का दूसरे देशों के साथ आदान-प्रदान।
19. लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियम के नियम 377 के अधीन तथा राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए जाने वाले मामलों के संबंध में नीति का अवधारण और अनुवर्ती कार्रवाई।
20. मंत्रालयों/विभागों में संसदीय कार्य करने संबंधी नियम पुस्तक।
21. संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 (1953 का 20)।
22. संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30)।
23. संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 (1977 का 33)।
24. संसद में मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) अधिनियम, 1998 (1999 का 5)।

परिशिष्ट-2

(देखें पैरा 4.7)

दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 की अवधि के दौरान संसद के दोनों सदनों द्‌वारा पारित विधेयक					
					लो.स.= लोक सभा, रा.स. = राज्य सभा
क्र.सं.	**अधिनियम का नाम**	**विधेयक के पुर:स्थापन की तारीख (तारीखें)**	**विधेयक पर विचार करने तथा पारित करने की तारीख**		**अधिनियम संख्या एवं राष्ट्रपति की स्वीकृति**
			लो.स.	**रा.स.**	
1	2	3	4	5	6
अठारहवीं लोक सभा का चौथा सत्र और राज्य सभा का 267वां सत्र					
1.	रेल (संशोधन) विधेयक, 2025	09.08.2024 (लो.स.)	11.12.2024	10.03.2025	2025 का 9 29.03.2025
2.	तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2025	05.08.2024 (रा.स.)	12.03.2025	03.12.2024	2025 का 6 28.03.2025
3.	विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2025	11.03.2025 (लो.स.)	11.03.2025	18.03.2025	2025 का 3 20.03.2025
4.	विनियोग विधेयक, 2025	11.03.2025 (लो.स.)	11.03.2025	18.03.2025	2025 का 2 20.03.2025
5.	मणिपुर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2025	11.03.2025 (लो.स.)	11.03.2025	18.03.2025	2025 का 5 20.03.2025
6.	मणिपुर विनियोग विधेयक, 2025	11.03.2025 (लो.स.)	11.03.2025	18.03.2025	2025 का 4 20.03.2025
7.	आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक2025 ,	01.08.2024 (लो.स.)	12.12.2024	25.03.2025	2025 का 10 29.03.2025
8.	बायलर विधेयक, 2025	08.08.2024 (रा.स.)	25.03.2025	04.12.2024	2025 का 12 04.04.2025
9.	बैंककारी विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025	09.08.2024 (लो.स.)	03.12.2024	26.03.2025	2025 का 16 15.04.2025
10.	विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2025	21.03.2025 (लो.स.)	21.03.2025	27.03.2025	2025 का 8 29.03.2025
11.	वित्त विधेयक, 2025	01.02.2025 (लो.स.)	25.03.2025	27.03.2025	2025 का 7 29.03.2025
12.	“त्रिभुवन” सहकारी युनिवर्सिटी विधेयक, 2025	03.02.2025 (लो.स.)	26.03.2025	01.04.2025	2025 का 11 03.04.2025
13.	आप्रवास और विदेशियों विषयक विधेयक, 2025	11.03.2025 (लो.स.)	27.03.2025	02.04.2025	2025 का 13 04.04.2025

14.	क्फ (संशोधन) विधेयक, 2025	08.08.2024 (लो.स.)	02.04.2025	03.04.2025	2025 का 14 05.04.2025
15.	मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2025	08.08.2024 (लो.स.)	02.04.2025	03.04.2025	2025 का 15 05.04.2025
16.	वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक, 2025	10.02.2025 (रा.स.)	03.04.2025	01.04.2025	2025 का 17 16.04.2025
अठारहवीं लोक सभा का पांचवां सत्र और राज्य सभा का 268वां सत्र					
1.	वहन-पत्र विधेयक, 2025	09.08.2024 (लो.स.)	10.03.2025	21.07.2025	2025 का 18 24.07.2025
2.	समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक, 2025	09.08.2024 (लो.स.)	28.03.2025	06.08.2025	2025 का 19 08.08.2025
3.	तटीय पोत परिवहन विधेयक, 2025	02.12.2024 (लो.स.)	03.04.2025	07.08.2025	2025 का 20 09.08.2025
4.	मणिपुर माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025	07.08.2025 (लो.स.)	07.08.2025	11.08.2025	2025 का 22 18.08.2025
5.	मणिपुर विनियोग (संख्याक 2) विधेयक, 2025	07.08.2025 (लो.स.)	07.08.2025	11.08.2025	2025 का 23 18.08.2025
6.	वाणिज्यिक पोत परिवहन विधेयक, 2025	10.12.2024 (लो.स.)	06.08.2025	11.08.2025	2025 का 24 18.08.2025
7.	गोवा राज्य, सभा निर्वाचन-क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुन:समायोजन विधेयक, 2025	05.08.2024 (लो.स.)	05.08.2025	11.08.2025	2025 का 21 13.08.2025
8.	राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025	23.07.2025 (लो.स.)	11.08.2025	12.08.2025	2025 का 25 18.08.2025
9.	राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025	23.07.2025 (लो.स.)	11.08.2025	12.08.2025	2025 का 26 18.08.2025
10.	आयकर विधेयक, 2025	11.08.2025 (लो.स.)	11.08.2025	12.08.2025	2025 का 30 21.08.2025
11.	कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2025	11.08.2025 (लो.स.)	11.08.2025	12.08.2025	2025 का 29 21.08.2025
12.	भारतीय पत्तन विधेयक, 2025	28.03.2025 (लो.स.)	12.08.2025	18.08.2025	2025 का 27 21.08.2025
13.	खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025	11.08.2025 (लो.स.)	12.08.2025	19.08.2025	2025 का 28 21.08.2025

14.	भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025	18.08.2025 (लो.स.)	19.08.2025	20.08.2025	2025 का 31 21.08.2025
15.	ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025	20.08.2025 (लो.स.)	20.08.2025	21.08.2025	2025 का 32 22.08.2025
अठारहवीं लोक सभा का छठा सत्र और राज्य सभा का 269वां सत्र					
1.	मणिपुर माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025	01.12.2025 (लो.स.)	01.12.2025	02.12.2025	2025 का 33 10.12.2025
2.	केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025	01.12.2025 (लो.स.)	03.12.2025	04.12.2025	2025 का 34 11.12.2025
3.	स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025	01.12.2025 (लो.स.)	05.12.2025	08.12.2025	2025 का 35 15.12.2025
4.	विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2025	15.12.2025 (लो.स.)	15.12.2025	16.12.2025	2025 का 38 20.12.2025
5.	निरसन और संशोधन विधेयक, 2025	15.12.2025 (लो.स.)	16.12.2025	17.12.2025	2025 का 37 20.12.2025
6.	सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा विधि संशोधन) विधेयक, 2025	16.12.2025 (लो.स.)	16.12.2025	17.12.2025	2025 का 40 20.12.2025
7.	भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन एवं अभिवर्धन विधेयक, 2025	15.12.2025 (लो.स.)	17.12.2025	18.12.2025	2025 का 39 20.12.2025
8.	विकसित भारत–रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी) विधेयक, 2025	16.12.2025 (लो.स.)	18.12.2025	18.12.2025	2025 का 36 20.12.2025

परिशिष्ट-3

(देखें पैरा 4.7)

18वीं लोक सभा के छठे सत्र और राज्य सभा के 269वें सत्र (शीलकालीन सत्र, 2025) की समाप्ति पर लोक सभा और राज्य सभा में लंबित विधेयकों की सूची

<u>लोक सभा</u>

I. विधेयक जिस पर प्रवर समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है

1. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025

II. संयुक्त समिति को भेजे गए विधेयक

1. संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024
2. संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024
3. संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025
4. संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2025
5. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025
6. विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025

III. प्रवर समिति को भेजा गया विधेयक

1. जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2025

IV. स्थायी समिति को भेजा गया विधेयक

1. प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक, 2025

<u>राज्य सभा</u>

I. स्थायी समिति को नहीं भेजे गए विधेयक

1. तमिलनाडु विधान परिषद (निरसन) विधेयक, 2012
2. संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन (तीसरा) विधेयक, 2013
3. दिल्ली किराया (निरसन) विधेयक, 2013
4. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2019

II. विधेयक जिन पर स्थायी समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

1. संविधान (79वां संशोधन) विधेयक, 1992 (विधायकों के लिए छोटे परिवार के मानक)
2. दिल्ली किराया (संशोधन) विधेयक, 1997
3. नगरपालिकाओं का उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तारण) विधेयक, 2001
4. बीज विधेयक, 2004
5. भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी फार्मेसी विधेयक, 2005

6. खान (संशोधन) विधेयक, 2011
7. अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्तें) संशोधन विधेयक, 2011
8. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार संबंधित विधियां (संशोधन) विधेयक, 2013
9. रोजगार नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) विधेयक, 2013
10. राजस्थान विधान परिषद विधेयक, 2013
11. असम विधान परिषद विधेयक, 2013
12. रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013
13. अनिवासी भारतीय विवाह रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2019
14. संविधान (एक सौ पच्चीसवां संशोधन) विधेयक, 2019
15. नाशकजीवमार प्रबंधन विधेयक, 2020

परिशिष्ट - 4
(देखें पैरा 4.10)

केंद्रीय बजट 2025-26							
क्र.सं.	**विषय**	**लोक सभा**			**राज्य सभा**		
		तारीख (तारीखें)	**लिया गया समय**		**तारीख (तारीखें)**	**लिया गया समय**	
			घंटे	**मिनट**		**घंटे**	**मिनट**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1.	वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट का प्रस्तुतिकरण	01.02.2025	01	16	01.02.2025	-	-
2.	वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा	07.02.2025 10.02.2025 11.02.2025	16	13	10.02.2025 11.02.2025 13.02.2025	17	56
3.	वर्ष 2025-26 के लिए मणिपुर राज्य के अंतरिम बजट का प्रस्तुतिकरण	10.03.2025	-	-	-	-	-
4.	वर्ष 2025-26 के लिए मणिपुर राज्य के अंतरिम बजट पर सामान्य चर्चा	11.03.2025	07	53	17.03.2025 18.03.2025	04	30
5.	वर्ष 2025-26 के लिए मणिपुर राज्य से संबंधित लेखानुदान मांगें।				#		
6.	वर्ष 2024-25 के लिए मणिपुर राज्य से संबंधित अनुपूरक अनुदान मांगें।				#		
7.	वर्ष 2024-25 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों का दूसरा बैच।				#		
8.	वर्ष 2021-22 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगें।				#		
9.	रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान	17.03.2025 18.03.2025	11	35	-	-	-
10.	जल शक्ति मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान	18.03.2025 19.03.2025 21.03.2025	08	11	-	-	-
11.	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान	21.03.2025	04	20	-	-	-
12.	निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के संबंध में वर्ष 2025-26 के बजट (सामान्य) से संबंधित अनुदान मांगों को सदन में मतदान के लिए प्रस्तुत किया गया और उन पर पूर्ण मतदान हुआ: (1) परमाणु ऊर्जा (2) आयुष (3)	21.03.2025	00	10	#	#	#

	रसायन और उर्वरक (4) नागर विमानन (5) कोयला (6) वाणिज्य और उद्योग (7) संचार (8) उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण (9) सहकारिता (10) कारपोरेट कार्य (11) संस्कृति (12) रक्षा (13) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास (14) पृथ्वी-विज्ञान (15) शिक्षा (16) इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी (17) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन (18) विदेश (19) वित्त (20) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी (21) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (22) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (23) भारी उद्योग (24) गृह (25) आवासन और शहरी कार्य (26) सूचना और प्रसारण (27) श्रम और रोजगार (28) विधि और न्याय (29) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (30) खान (31) अल्पसंख्यक कार्य (32) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा (33) पंचायती राज (34) संसदीय कार्य (35) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन (36) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (37) योजना (38) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग (39) विद्युत (40) लोक सभा (41) राज्य सभा (42) उप राष्ट्रपति सचिवालय (43) सड़क परिवहन और राजमार्ग (44) ग्रामीण विकास (45) विज्ञान और प्रौद्योगिकी (46) कौशल विकास और उद्यमशीलता (47) सामाजिक न्याय और अधिकारिता (48) अंतरिक्ष विभाग (49) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन (50) इस्पात (51) वस्त्र (52) पर्यटन (53) जनजातीय कार्य (54) महिला और बाल विकास (55) युवा कार्यक्रम और खेल।						
13.	वर्ष 2025-26 के लिए मणिपुर राज्य के बजट का प्रस्तुतिकरण	06.08.2025	-	-	-	-	-
14.	वर्ष 2025-26 के लिए मणिपुर राज्य के बजट पर सामान्य चर्चा	07.08.2025	00	13	11.08.2025	00	41

15.	वर्ष 2025-26 के लिए मणिपुर राज्य के लिए अनुदान मांगें				#		
16.	वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों का पहला बैच।	12.12.2025 15.12.2025	07	01	16.12.2025 #	03	11

टिप्पणी: #राज्य सभा में विभिन्न मांगों से संबंधित विनियोग विधेयकों को लौटाया गया।

- क्र.सं.4 से 8 पर उल्लिखित मदों पर एक साथ चर्चा की गई।
- क्र.सं.14 और 15 पर उल्लिखित मदों को एक साथ लिया गया।

परिशिष्ट-5

(देखें पैरा 5.5)

लोक/राज्य सभा में पुरःस्थापित गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक (01.01.2025 से 31.12.2025 तक)

लोक सभा में पुरःस्थापित गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक

1. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी, संसद सदस्य द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2025 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
2. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (नए अनुच्छेद 21 ख का अंतःस्थापन)
3. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (अनुच्छेद 243छ का संशोधन, आदि)।
4. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश, संसद सदस्य द्वारा स्वास्थ्य परिचर्या वृत्तिक और नैदानिक स्थापन (हिंसा निवारण) विधेयक, 2025
5. डॉ. निशिकान्त दुबे, संसद सदस्य द्वारा गौ संरक्षण विधेयक, 2025
6. डॉ. निशिकान्त दुबे, संसद सदस्य द्वारा पवित्र शहर देवघर (सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण) विधेयक, 2025
7. डॉ. निशिकान्त दुबे, संसद सदस्य द्वारा बांधों, जलाशयों और नदियों की अनिवार्य आवधिक गाद-शोधन विधेयक, 2025
8. श्रीमती स्मिता उदय वाघ, संसद सदस्य द्वारा अनाथ बालक (सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) विधेयक, 2025
9. श्रीमती स्मिता उदय वाघ, संसद सदस्य द्वारा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2025 (धारा 5 और 9 का संशोधन)
10. श्रीमती स्मिता उदय वाघ, संसद सदस्य द्वारा महिला कार्यबल (समर्थन और कल्याण) विधेयक 2025
11. श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य द्वारा पितृत्व और माता-पिता हितलाभ विधेयक, 2025
12. श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य द्वारा संपर्क-विच्छेद का अधिकार विधेयक, 2025
13. श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य द्वारा सामाजिक सुरक्षा संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
14. श्री अरविंद गणपत सावंत, संसद सदस्य द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2025 (धारा 36 का संशोधन, आदि)
15. श्री अरविंद गणपत सावंत, संसद सदस्य द्वारा शोधन धन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2025 (धारा 49 आदि का संशोधन)
16. श्री अरविंद गणपत सावंत, संसद सदस्य द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2025 (धारा 2, आदि का संशोधन)
17. श्री राजीव प्रताप रूडी, संसद सदस्य द्वारा मानसिक स्वास्थ्य देखरेख (संशोधन) विधेयक, 2024 (धारा 2, आदि का संशोधन)
18. श्री राजीव प्रताप रूडी, संसद सदस्य द्वारा सरीसृप दंश (रोकथाम और उपचार) और सरीसृप संरक्षण विधेयक, 2025
19. एडवोकेट चन्द्र शेखर आजाद, संसद सदस्य द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2024 (खंड 3क का अंतःस्थापन)
20. एडवोकेट चन्द्र शेखर आजाद, संसद सदस्य द्वारा किसान का कृषि उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्ति का अधिकार विधेयक, 2024
21. एडवोकेट चन्द्र शेखर आज़ाद, संसद सदस्य द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचार और जातिगत भेदभाव के मामलों का पता लगाने और रिपोर्ट करने के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक, 2024

22. श्री मणिक्कम टैगोर बी., संसद सदस्य द्वारा विरुधुनगर में खेल अवसंरचना की स्थापना विधेयक, 2024
23. श्री मणिक्कम टैगोर बी., संसद सदस्य द्वारा विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) विधेयक, 2024 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
24. श्री मणिक्कम टैगोर बी., संसद सदस्य द्वारा तमिलनाडु राज्य के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) छूट विधेयक, 2024
25. डॉ. जयंत कुमार राय, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)
26. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका, संसद सदस्य द्वारा ओडिशा राज्य के केबीके क्षेत्र को विशेष आर्थिक सहायता विधेयक, 2024
27. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका, संसद सदस्य द्वारा संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 (अनुसूची का संशोधन)
28. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 (आठवीं अनुसूची में संशोधन)
29. श्री मनीश तिवारी, संसद सदस्य द्वारा पंजाब नगर निगम कानून (चंडीगढ़ तक विस्तार) संशोधन विधेयक, 2025 (अनुसूची का संशोधन)
30. श्री मनीश तिवारी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (दसवीं अनुसूची का संशोधन)
31. श्री मनीश तिवारी, संसद सदस्य द्वारा हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक, 2025 (धारा 13 का संशोधन
32. डॉ. शशि थरूर, संसद सदस्य द्वारा राज्य और संघ राज्यक्षेत्र पुनर्गठन आयोग विधेयक, 2024
33. डॉ. शशि थरूर, संसद सदस्य द्वारा भारतीय न्याय संहिता (संशोधन) विधेयक, 2024 (धारा 63 का संशोधन)
34. डॉ. शशि थरूर, संसद सदस्य द्वारा उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, (संशोधन) विधेयक, 2025 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
35. डॉ. आलोक कुमार सुमन, संसद सदस्य द्वारा रेल (संशोधन) विधेयक, 2024 (नई धारा 24क का अंतःस्थापन)
36. डॉ. आलोक कुमार सुमन, संसद सदस्य द्वारा रेल (संशोधन) विधेयक, 2024 (नई धारा 24क का अंतःस्थापन)
37. डॉ. आलोक कुमार सुमन, संसद सदस्य द्वारा दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2024 (नई धारा 106क का अंतःस्थापन, आदि)
38. डॉ. हेमंत विष्णु सवरा, संसद सदस्य द्वारा महाराष्ट्र केन्द्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2024
39. डॉ. हेमंत विष्णु सवरा, संसद सदस्य द्वारा तटीय पर्यटन विकास बोर्ड विधेयक, 2024
40. डॉ. हेमंत विष्णु सवरा, संसद सदस्य द्वारा महाराष्ट्र राज्य में जल निकायों के विकास और संरक्षण के लिए विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2024
41. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि, संसद सदस्य द्वारा मृत्युदंड (उन्मूलन) विधेयक, 2025
42. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि, संसद सदस्य द्वारा जलवायु परिवर्तन (शमन एवं अनुकूलन) विधेयक, 2025
43. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि, संसद सदस्य द्वारा नमक कामगार (कल्याण) विधेयक, 2025
44. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन, संसद सदस्य द्वारा स्तन कैंसर (जागरूकता) विधेयक, 2024
45. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन, संसद सदस्य द्वारा डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2024 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
46. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन, संसद सदस्य द्वारा घरेलू कर्मकार (रोजगार और कार्य की शर्तो का विनियमन) विधेयक, 2024
47. श्री लुम्बा राम, संसद सदस्य द्वारा स्वदेशी गाँ और गौ-संतति संरक्षण बोर्ड विधेयक, 2024
48. श्री लुम्बा राम, संसद सदस्य द्वारा चारा भांडागार बोर्ड विधेयक, 2025
49. श्री लुम्बा राम, संसद सदस्य द्वारा दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद (लाभकारी समर्थन मूल्य) विधेयक, 2025
50. सुश्री एस. जोतिमणि, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (अनुच्छेद 15 और 16 का संशोधन)
51. सुश्री एस. जोतिमणि, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (अनुच्छेद 15 का संशोधन, आदि)
52. सुश्री एस. जोतिमणि, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 (धारा 14 का संशोधन, आदि)
53. डॉ. बायरेड्डी शबरी, संसद सदस्य द्वारा केंद्रीय कैंसर जांच एवं रोकथाम संस्थान विधेयक, 2024

54. डॉ. बायरेड्डी शबरी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2025 (अनुसूची का संशोधन)
55. डॉ. धर्मवीर गांधी, संसद सदस्य द्वारा सिख विवाह विधेयक, 2024
56. डॉ. धर्मवीर गांधी, संसद सदस्य द्वारा स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2024 (धारा 1 का संशोधन, आदि)
57. श्री दामोदर अग्रवाल, संसद सदस्य द्वारा राजस्थान राज्य में वृक्षों के भू-मानचित्रण के लिए विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2024
58. श्री दामोदर अग्रवाल, संसद सदस्य द्वारा हिंदू धार्मिक उपासना स्थल (पशुवध, मांस और अन्य मांसाहारी खादय के विपणन, व्यापार, पकाने, परोसने और उपभोग का प्रतिषेध) विधेयक, 2024
59. श्री दामोदर अग्रवाल, संसद सदस्य द्वारा राजस्थान में प्राचीन स्मारकों और पुरातत्वीय स्थलों तथा अवशेष के लिए विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2024
60. श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य द्वारा शरणार्थियों को वैध शरण विधेयक, 2024
61. श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य द्वारा मवेशी वध रोकथाम व संरक्षण विधेयक, 2024
62. श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य द्वारा दिव्यांग बालक (कल्याण) विधेयक, 2024
63. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संसद सदस्य द्वारा डीपफेक विधयेक, 2024 विनियमन
64. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा प्रतिरोध और प्राकृतिक आपदा पीडित कल्याण बोर्ड विधेयक, 2024
65. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संसद सदस्य द्वारा गौ कल्याण एवं संरक्षण विधेयक, 2024
66. डॉ. कडियम काव्य, संसद सदस्य द्वारा ऋतुस्त्राव प्रसुविधा विधेयक, 2024
67. डॉ. कडियम काव्य, संसद सदस्य द्वारा परित्यक्त विधवाएं और एकल महिलाएं (संरक्षण, पुनर्वासन और कल्याण) विधेयक, 2025
68. श्री विष्णु दयाल राम, संसद सदस्य द्वारा स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2024 (धारा 31क का संशोधन)
69. श्री विष्णु दयाल राम, संसद सदस्य द्वारा अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2024 (धारा 2 और 3 का संशोधन)
70. श्री विष्णु दयाल राम, संसद सदस्य द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन विधेयक, 2025 (धारा 3 का संशोधन)
71. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर, संसद सदस्य द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (धारा 12 का संशोधन)
72. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर, संसद सदस्य द्वारा यातना निवारण विधेयक, 2024
73. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2024 (धारा 15 का संशोधन, आदि)
74. श्री आनंद भदौरिया, संसद सदस्य द्वारा आवारा पशु नियंत्रण विधेयक, 2024
75. श्री आनंद भदौरिया, संसद सदस्य द्वारा बेरोजगारी भत्ता विधेयक, 2025
76. डॉ. के. सुधाकर, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय पुष्पकृषि बोर्ड विधेयक, 2024
77. डॉ. के. सुधाकर, संसद सदस्य द्वारा डेयरी किसान (कल्याण) विधेयक, 2024
78. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू, संसद सदस्य द्वारा प्रतिषेध बाल-विवाह (संशोधन) विधेयक, 2025 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
79. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू, संसद सदस्य द्वारा काश्तकार किसानों के अधिकार विधेयक, 2025
80. श्री बिद्युत बरन महतो, संसद सदस्य द्वारा सब्जी उत्पाद (लाभकारी समर्थन मूल्य और बीमा) विधेयक, 2024
81. श्री बिद्युत बरन महतो, संसद सदस्य द्वारा भगवान बिरसा मुंडा जन्म स्थान उलिहातु राष्ट्रीय स्मारक विधेयक, 2024
82. श्री बिद्युत बरन महतो, संसद सदस्य द्वारा संविधान विधेयक, 2025 (आठवीं (संशोधन) अनुसूची का संशोधन)
83. श्री जगदम्बिका पाल, संसद सदस्य द्वारा अवसंरचना परियोजना (निगरानी एवं प्रबंधन) बोर्ड विधेयक, 2024

84. श्री जगदम्बिका पाल, संसद सदस्य द्वारा डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2024 (धारा 9 का संशोधन, आदि)
85. श्री जगदम्बिका पाल, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)
86. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर, संसद सदस्य द्वारा अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2024 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
87. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील, संसद सदस्य द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें तथा पदावधि) संशोधन विधेयक, 2024 (धारा 5 का संशोधन, आदि)
88. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील, संसद सदस्य द्वारा पत्रकार (हिंसा निवारण एवं संरक्षण) विधेयक, 2024
89. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील, संसद सदस्य द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2024 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
90. एडवोकेट गोवाल के. पाडवी, संसद सदस्य द्वारा उच्चशिक्षा स्कूल, स्नातक स्कूल और विश्वविद्यालय (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) विधेयक 2024
91. एडवोकेट गोवाल के. पाडवी, संसद सदस्य द्वारा अनुसूचित जनजाति घटक (वित्तीय संसाधनों की योजना, आवंटन और उपयोग) विधेयक, 2024
92. सुश्री इकरा चौधरी, संसद सदस्य द्वारा सरकारी कर्मचारियों के बच्चों का सरकारी विद्यालयों में नामांकन (संप्रवर्तन) विधेयक, 2024
93. श्री राव राजेन्द्र सिंह, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल नागरिक वर्ग आयोग विधेयक, 2025
94. श्री राव राजेन्द्र सिंह, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 (प्रस्तावना का संशोधन, आदि)
95. श्री पी. पी. चौधरी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (अनुच्छेद 51क का संशोधन)
96. श्री पी. पी. चौधरी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (अनुच्छेद 124 का संशोधन)
97. श्री पी. पी. चौधरी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (सातवीं अनुसूची का संशोधन)
98. श्री पुट्टा महेश कुमार, संसद सदस्य द्वारा गुमशुदा व्यक्ति ब्यूरो विधेयक 2025
99. श्री मनोज तिवारी, संसद सदस्य द्वारा सांस्कृतिक मानचित्रण विधेयक, 2024
100. श्री मनोज तिवारी, संसद सदस्य द्वारा किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2025 (धारा 14 का संशोधन, आदि)
101. श्री मनोज तिवारी, संसद सदस्य द्वारा विद्यालयों में अनिवार्य योग अभ्यास विधेयक, 2025
102. श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर, संसद सदस्य द्वारा महाराष्ट्र राज्य में जल निकायों के विकास और पुनरुद्धार के लिए विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2024
103. श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय जल विश्वविद्यालय विधेयक, 2024
104. श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर, संसद सदस्य द्वारा स्वच्छता कर्मचारी संरक्षण एवं कल्याण विधेयक, 2024
105. श्री राजीव राय, संसद सदस्य द्वारा पारंपरिक बुनकर (संरक्षण और कल्याण) विधेयक, 2024
106. श्री राजीव राय, संसद सदस्य द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2024 (नई धारा 3क का अंतःस्थापन)
107. श्री राजीव राय, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)
108. श्रीमती शांभवी, संसद सदस्य द्वारा माहवारी अवकाश एवं स्वच्छता विधेयक, 2024
109. श्रीमती शांभवी, संसद सदस्य द्वारा पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (संशोधन) विधेयक, 2024 (धारा 11 का संशोधन, आदि)
110. श्रीमती शांभवी, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 (धारा 10 का संशोधन)
111. श्री गणेश सिंह, संसद सदस्य द्वारा निजीक्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, विमुक्त जनजातियों और अर्ध-घुमंतू समुदायों के लिए आरक्षण विधेयक, 2024
112. श्री गणेश सिंह, संसद सदस्य द्वारा सर्वोच्च न्यायालय (कार्यवाही में हिंदी का प्रयोग और अन्य उपबंध) विधेयक, 2024
113. श्री अरुण भारती, संसद सदस्य द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पदों और सेवाओं में आरक्षण तथा समयबद्ध तरीके से रिक्तियों को भरना) विधेयक, 2024

114. श्री अरुण भारती, संसद सदस्य द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2024 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
115. श्री अरुण भारती, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (नए अनुच्छेद 338ग का अंतःस्थापन)
116. श्रीमती भारती पारथी, संसद सदस्य द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2025 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
117. श्रीमती भारती पारथी, संसद सदस्य द्वारा बीमा (संशोधन) विधेयक, 2025 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
118. श्रीमती भारती पारथी, संसद सदस्य द्वारा कृत्रिम बुद्धिमता (नैतिकता एवं उत्तरदायित्व) विधेयक, 2025
119. श्री रमाशंकर राजभर, संसद सदस्य द्वारा संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2025 (अनुसूची का संशोधन)
120. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी, संसद सदस्य द्वारा नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2025 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
121. श्री राजकुमार रोत, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (आठवी अनुसूची का संशोधन)
122. श्री मड्डीला गुरुमूर्ति, संसद सदस्य द्वारा उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2025 (धारा 2 का संशोधन)
123. श्री मड्डीला गुरुमूर्ति, संसद सदस्य द्वारा माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2025 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
124. श्री हनुमान बेनीवाल, संसद सदस्य द्वारा विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2025 (नई धारा 126क का अंतःस्थापन)
125. श्री धर्मेन्द्र यादव, संसद सदस्य द्वारा निजी क्षेत्र की सेवाओं और नियुक्तियों में अन्य पिछड़े वर्गो, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण विधेयक, 2025
126. श्री धर्मेन्द्र यादव, संसद सदस्य द्वारा निजी शैक्षणिक संस्थानों (सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त) में प्रवेश में अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण विधेयक, 2025
127. श्री कैप्टन विरयाटो फर्नाडीस, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (नए अनुच्छेद 371झक का अंतःस्थापन)
128. श्री राजू बिष्ट, संसद सदस्य द्वारा पारिस्थितिकी पर्यटन संवर्धन विधेयक, 2025
129. श्री राजू बिष्ट, संसद सदस्य द्वारा सिविल विमानन सुरक्षा विधिविरुद्ध कार्य दमन (संशोधन) विधेयक, 2025 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
130. श्री परषोत्तमभाई रुपाला, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय रक्त आधान विधेयक, 2025
131. श्री जी. एम. हरीश बालयोगी, संसद सदस्य द्वारा मोटरवाहन (संशोधन) विधेयक, 2025 (धारा 134क का संशोधन, आदि)
132. श्री दर्शन सिंह चौधरी, संसद सदस्य द्वारा प्राकृतिक कृषि संवर्धन विधेयक, 2025
133. श्री दर्शन सिंह चौधरी, संसद सदस्य द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2025 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
134. डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले, संसद सदस्य द्वारा चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को हमले, आपराधिक बल और धमकी से सुरक्षा विधेयक, 2025
135. श्री बलवंत बसवंत वानखडे, संसद सदस्य द्वारा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल (संशोधन) विधेयक, 2025 (नई धारा 31क का अंतःस्थापन, आदि)
136. श्री अमरसिंग टिस्सो, संसद सदस्य द्वारा असम पुनर्गठन (कार्बी दिमांचल) विधेयक, 2025
137. श्री अनूप संजय धोत्रे, संसद सदस्य द्वारा प्राकृतिक रेशा उपयोग संवर्धन विधेयक, 2025

राज्य सभा में पुरःस्थापित गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक

1. श्रीमती मौसम बी नूर द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (कर्मचारियों के अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2023 पुरःस्थापित किया गया।
2. श्रीमती मौसम बी नूर द्वारा डीपफेक निवारण और अपराधीकरण विधेयक, 2023 पुरःस्थापित किया गया।
3. श्रीमती मौसम बी नूर द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 (अनुच्छेद 368 का संशोधन) पुरःस्थापित किया गया।
4. डा. अशोक कुमार मित्तल द्वारा आशा कार्यकर्ता (सेवा और अन्य प्रसुविधाओं का नियमितीकरण) विधेयक, 2024 पुरःस्थापित किया गया।

5. डा. अशोक कुमार मित्तल द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 (नये अनुच्छेद 21-ख का अंतः स्थापन और सातवीं अनुसूची में संशोधन) पुरःस्थापित किया गया।
6. श्री विवेक के. तन्खा द्वारा उद्यमिता छुट्टी विधेयक, 2024 पुरःस्थापित किया गया।
7. श्री देरेक ओब्राईन द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 (अनुच्छेद 85 का संशोधन) द्वारा पुरःस्थापित किया गया।
8. श्री देरेक ओब्राईन द्वारा डिजिटल साक्षरता का अधिकार विधेयक, 2024 द्वारा पुरःस्थापित किया गया।
9. श्री देरेक ओब्राईन द्वारा भारतीय न्याय संहिता (संशोधन) विधेयक, 2024 पुरःस्थापित किया गया।
10. श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय विरासत परिषद् विधेयक, 2024 पुरःस्थापित किया गया।
11. कोचिंग संस्थान (जवाबदेही और विनियमन) विधेयक, 2024 डा. फौजिया खान ने विधेयक को पुरःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव उपस्थित किया।
12. डा. फौजिया खान द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 (नए भाग XIV-ख का अंतःस्थापन और सातवीं अनुसूची का संशोधन) पुरःस्थापित किया गया।
13. डा. फौजिया खान द्वारा राष्ट्रीय कृषि आयोग विधेयक, 2024 पुरःस्थापित किया गया।
14. श्री कार्तिकेय शर्मा द्वारा नैदानिक स्थापनों द्वारा पार्थिव अवशेषों की निर्मुक्ति विधेयक, 2024 पुरःस्थापित किया गया।
15. श्री पी. विल्सन द्वारा आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पुरःस्थापित किया गया।
16. श्री पी. विल्सन द्वारा वर्चुअल न्यायालयी कार्यवाही विधेयक, 2024 पुरःस्थापित किया गया।
17. श्री पी. विल्सन द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 (अनुच्छेद 124, 217 और 224 का संशोधन) पुरःस्थापित किया गया।
18. डा. वी. शिवादासन द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 (नए अनुच्छेद 21-ख का अंतःस्थापन और अनुच्छेद 39-क का प्रतिस्थापन) पुरःस्थापित किया गया।
19. डा. वी. शिवादासन द्वारा निःशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार विधेयक, 2024 पुरःस्थापित किया गया।
20. डा. वी. शिवादासन द्वारा राष्ट्रीय कर्मकार आयोग विधेयक, 2024 पुरःस्थापित किया गया।
21. श्री संदोष कुमार पी. द्वारा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2024 पुरःस्थापित किया गया।
22. श्री संदोष कुमार पी. द्वारा डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2024 पुरःस्थापित किया गया।
23. श्री संदोष कुमार पी द्वारा राष्ट्रीय नमक कर्मकार कल्याण आयोग विधेयक, 2024 पुरःस्थापित किया गया।
24. श्री मनोज कुमार झा द्वारा संसद (उत्पादकता संवर्धन) विधेयक, 2024 पुरःस्थापित किया गया।
25. श्री मनोज कुमार झा द्वारा अभिरक्षा में यातना का निवारण विधेयक, 2024 पुरःस्थापित किया गया।
26. श्री मनोज कुमार झा द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 (अनुच्छेद 124 और 216 का संशोधन) पुरःस्थापित किया गया।
27. डा. अजित माधवराव गोपछड़े द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 (नये अनुच्छेद 48-ख और 51-ख का अंतःस्थापन) पुरःस्थापित किया गया।
28. डा. अजित माधवराव गोपछड़े द्वारा लोक कार्य (गुणवत्ता आश्वासन और पारदर्शिता) विधेयक, 2024 पुरःस्थापित किया गया।
29. श्री ए.ए. रहीम द्वारा राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2024 पुरःस्थापित किया गया।
30. श्री ए.ए. रहीम द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 (नए अनुच्छेद 21-ख का अंतःस्थापन और सातवीं अनुसूची का संशोधन) पुरःस्थापित किया गया।
31. श्री ए.ए. रहीम द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2024 पुरःस्थापित किया गया।
32. श्री ए. डी. सिंह द्वारा मखाना उद्योग (संवर्धन तथा विकास) विधेयक, 2024 पुरःस्थापित किया गया।
33. श्री ए. डी. सिंह द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक 2025 (अनुच्छेद 293 का संशोधन) पुरःस्थापित किया गया।
34. डा. जॉन ब्रिटास द्वारा सामाजिक सुरक्षा संहिता (संशोधन) विधेयक, 2024 पुरःस्थापित किया गया।
35. डा. जॉन ब्रिटास द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 (अनुच्छेद 158 का संशोधन) पुरःस्थापित किया गया।

36. डा. जॉन ब्रिटास द्वारा दंड विधि (निरसन) विधेयक, 2024 पुरःस्थापित किया
37. श्री सतनाम सिंह संधू द्वारा नदियों को विधिक व्यक्ति का दर्जा देने की मान्यता विधेयक, 2024 पुरःस्थापित किया गया।
38. श्री संजीव अरोड़ा द्वारा काला जादू, डायन प्रताड़ना और अंधविश्वासी प्रथा का निवारण विधेयक, 2024 पुरःस्थापित किया गया।
39. श्री इमरान प्रतापगढ़ी द्वारा निजी विश्वविद्यालय (डिग्रियों की बिक्री का निवारण) विधेयक, 2024 पुरःस्थापित किया गया।
40. श्रीमती सागरिका घोष द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 (सातवीं अनुसूची में संशोधन) पुरःस्थापित किया गया।
41. श्री संजय सेठ द्वारा सरकारी स्थापनों और विद्यालयों में वर्षाजल का संचयन विधेयक, 2024 पुरःस्थापित किया गया।
42. श्री संजय सेठ द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में अनिवार्य आत्मरक्षा प्रशिक्षण विधेयक, 2024 पुरःस्थापित किया गया।
43. श्री संजय सेठ द्वारा सामाजिक सुरक्षा संहिता (संशोधन) 2024 पुरःस्थापित किया गया।
44. डा. सैयद नासिर हुसैन द्वारा दृश्यरतिकता (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) विधेयक, 2024 पुरःस्थापित किया गया।
45. श्री शक्तिसिंह गोहिल द्वारा औषधि और चिकित्सीय उपकरण (मूल्य नियंत्रण और सुगम्यता) विधेयक, 2025 पुरःस्थापित किया गया।
46. श्री शक्तिसिंह गोहिल द्वारा डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेख (अनिवार्य उपयोग)विधेयक, 2025 पुरःस्थापित किया गया।
47. श्री सुजीत कुमार द्वारा संधारणीय फैशन (संवर्धन और विनियमन) विधेयक, 2025 पुरःस्थापित किया गया।
48. श्री विक्रमजीत सिंह साहनी द्वारा ऑनलाइन घृणास्पद भाषण (निवारण) विधेयक, 2024 पुरःस्थापित किया गया।
49. श्री सुजीत कुमार द्वारा वायरल यकृतशोथ (निवारण और नियंत्रण) विधेयक, 2025 पुरःस्थापित किया गया।
50. श्री मोहम्मद नदीमुल हकद्वारा राष्ट्रीय मीडियाकर्मी सुरक्षा समिति विधेयक, 2024, पुरःस्थापित किया गया।
51. श्री मोहम्मद नदीमुल हकद्वारा सरोगेसी विधि (संशोधन) विधेयक, 2024, पुरःस्थापित किया गया।
52. श्री मोहम्मद नदीमुल हकद्वारा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) संशोधन विधेयक, 2024, पुरःस्थापित किया गया।
53. डा. भीम सिंह द्वारा शहरी क्षेत्र (विकास और विनियमन) विधेयक, 2024, पुरःस्थापित किया
54. डा. भीम सिंह द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (उद्देशिका में संशोधन), पुरःस्थापित किया गया।
55. श्री के.आर. सुरेश रेड्डी द्वारा विधायी प्रभाव आकलन विधेयक, 2024, पुरःस्थापित किया गया।
56. श्रीमती जेबी माथेर हीशम द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2024, पुरःस्थापित किया गया।
57. श्रीमती जेबी माथेर हीशम द्वारा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) (संशोधन) विधेयक, 2024, पुरःस्थापित किया गया।
58. श्री साकेत गोखले द्वारा सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2025, पुरःस्थापित किया गया।
59. श्री साकेत गोखले द्वारा न्यायालयी कार्यवाही अभिलेख विधेयक, 2025, पुरःस्थापित किया गया।
60. डा. सस्मित पात्रा द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (अनुच्छेद 124 और 217 का संशोधन) पुरःस्थापित किया गया।
61. डा. सस्मित पात्रा द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025, पुरःस्थापित किया गया।
62. डा. सस्मित पात्रा द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2025, पुरःस्थापित किया गया।
63. श्रीमती सुधा मूर्ती द्वारा पशुओं के प्रति कूरता का निवारण (संशोधन) विधेयक, 2025, पुरःस्थापित किया गया।
64. डा. अशोक कुमार मित्तल द्वारा स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का अधिकार विधेयक, 2025, पुरःस्थापित किया गया।
65. डा. अशोक कुमार मित्तल द्वारा आवारा और जंगली पशुओं के हमले (निवारण और कल्याण) विधेयक, 2025, पुरःस्थापित किया गया।
66. डा. अशोक कुमार मित्तल द्वारा राष्ट्रीय पुरुष आयोग विधेयक, 2025, पुरःस्थापित किया गया।
67. डा. वी. शिवादासन द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (अनुच्छेद 19 का संशोधन) पुरःस्थापित किया गया।

68. डा. वी. शिवादासन द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2025, पुरःस्थापित किया गया।
69. डा. वी. शिवादासन द्वारा अध्ययन का अधिकार विधेयक, 2025, पुरःस्थापित किया गया।
70. डा. फौजिया खान द्वारा मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2025, पुरःस्थापित किया गया।
71. डा. फौजिया खान द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2025, पुरःस्थापित किया गया।
72. डा. फौजिया खान द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य देख-रेख कर्मियों और चिकित्सा स्थापनों का हिंसा से संरक्षण विधेयक, 2025, पुरःस्थापित किया गया।
73. श्री देरेक ओब्राईन द्वारा राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी विधेयक, 2025, पुरःस्थापित
74. श्री देरेक ओब्राईन द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2025, पुरःस्थापित किया गया।
75. श्री देरेक ओब्राईन द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (अनुच्छेद 107 का संशोधन), पुरःस्थापित किया गया।
76. डा. अजित माधवराव गोपछड़े द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2025, पुरःस्थापित किया गया।
77. डा. अजित माधवराव गोपछड़े द्वारा राष्ट्रीय रक्त-आधान विधेयक, 2025, पुरःस्थापित किया गया।
78. डा. अजित माधवराव गोपछड़े द्वारा ज्योतिषशास्त्र (विनियमन एवं संवर्धन) विधेयक, 2025, पुरःस्थापित किया गया।
79. डा. जॉन ब्रिटास द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (अनुच्छेद 282 का संशोधन) पुरःस्थापित किया गया।
80. डा. जॉन ब्रिटास द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2025 पुरःस्थापित किया गया।
81. डा. जॉन ब्रिटास द्वारा डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2025 पुरःस्थापित किया गया।
82. श्री ए.डी. सिंह द्वारा जल निकाय (संरक्षण, पुनरुज्जीवन और सतत विकास) विधेयक, 2025 पुरःस्थापित किया गया।
83. श्री ए.डी. सिंह द्वारा बाल-विवाह प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2025 पुरःस्थापित किया गया।
84. श्री ए.डी. सिंह द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (नए अनुच्छेद 21ख का अंतःस्थापन) पुरःस्थापित किया गया।
85. श्री सुजीत कुमार द्वारा मशीन सृजित बौद्धिक आस्ति विधेयक, 2025 पुरःस्थापित किया गया।
86. श्री सुजीत कुमार द्वारा वर्गीकृत सूचना और गुप्तचरी नियंत्रण विधेयक, 2025 पुरःस्थापित किया गया।
87. श्री सुजीत कुमार द्वारा पर्यावरण संहार (निवारण और जवाबदेही) विधेयक, 2025 पुरःस्थापित किया गया।
88. श्री संदोष कुमार पी. द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2025 पुरःस्थापित किया गया।
89. श्री संदोष कुमार पी. द्वारा राष्ट्रीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण संवर्धन आयोग विधेयक, 2025 पुरःस्थापित किया गया।
90. श्री संदोष कुमार पी. द्वारा कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2025 पुरः स्थापित किया गया।
91. डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 पुरःस्थापित किया गया।
92. डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2025 पुरःस्थापित किया गया।
93. डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी द्वारा सभी धर्मों का संरक्षण और आस्थाओं के परस्पर सम्मान में संवर्धन विधेयक, 2025 पुरःस्थापित किया गया।
94. श्री आर. गिरिराजन द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विधेयक, 2025 पुरःस्थापित किया गया।
95. डा. कनिमोझी एनवीएन सोमू द्वारा अनैतिक व्यापार (निवारण) संशोधन विधेयक, 2025 पुरःस्थापित किया गया।
96. डा. कनिमोझी एनवीएन सोमू द्वारा स्तन कैंसर (जागरूकता, प्रारंभिक संसूचन और निदान) विधेयक, 2025 पुरःस्थापित किया गया।
97. डा. कनिमोझी एनवीएन सोमू द्वारा अनिवार्य जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, 2025 पुरःस्थापित किया गया।
98. सुश्री स्वाति मालिवाल द्वारा भारतीय न्याय संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 पुरःस्थापित किया गया।
99. सुश्री स्वाति मालिवाल द्वारा माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2025 पुरःस्थापित किया गया।

100. श्री धनंजय भीमराव महादिक द्वारा विद्यालयों में अनिवार्य खेल शिक्षा और खेलों के लिए बुनियादी अवसंरचना विकास विधेयक, 2025 पुरःस्थापित किया गया।

101. श्री धनंजय भीमराव महादिक द्वारा ऐतिहासिक धरोहर संरक्षण विधेयक, 2025 पुरःस्थापित किया गया।

102. श्री धनंजय भीमराव महादिक द्वारा निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और अनाथ बालकों के लिए (आवास सुविधा) विधेयक, 2025 पुरःस्थापित किया गया।

103. श्री ईरण्ण कडाडी द्वारा राष्ट्रीय गन्ना किसान और कर्मकार कल्याण आयोग विधेयक, 2024 पुरःस्थापित किया गया।

104. श्री ईरण्ण कडाडी द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2024 पुरःस्थापित किया गया।

105. श्री ईरण्ण कडाडी द्वारा बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 पुरःस्थापित किया गया।

106. श्री राघव चड्डा द्वारा दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2024 पुरःस्थापित किया गया।

107. श्री राघव चड्डा द्वारा लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2024 पुरःस्थापित किया गया।

108. श्री राघव चड्डा द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2024 पुरःस्थापित किया गया।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक - लोक सभा में विचाराधीन

1. श्री सी.एन. अन्नादुरई द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग विनियमन और विकास विधेयक, 2024

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक - राज्य सभा में विचाराधीन

1. डॉ. फौजिया खान द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2024

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक - वापस लिए गए

1. डॉ. फौजिया खान द्वारा फ्रॉड कॉल की रोकथाम विधेयक, 2024

परिशिष्ट - 6
(देखें पैरा 8.2)

विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के गठन और कार्यचालन को विनियमित करने के लिए सितम्बर, 2005 में बनाए गए दिशा-निर्देश

1. प्रस्तावना

वर्ष, 1954 में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए अनौपचारिक परामर्शदात्री समिति प्रणाली स्थापित की गई थी। इसे अप्रैल, 1969 में विपक्षी दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ परामर्श करके, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के गठन और कार्यचालन को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करके एक औपचारिक रूप दे दिया गया था।

2. उद्देश्य

- सरकार के कार्यचालन के बारे में संसद सदस्यों में जागरूकता पैदा करना।
- सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों तथा उनके कार्यान्वयन की रीति पर सरकार और संसद सदस्यों के बीच अनौपचारिक परामर्श को बढ़ावा देना।
- नीतिगत मामलों तथा कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में संसद सदस्यों की सलाह और मार्गदर्शन से सरकार को लाभ के अवसर उपलब्ध कराना।

3. गठन और विघटन

3.1 यथासंभव भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियाँ गठित की जाएंगी। संसद में विभिन्न दलों की अपनी-अपनी सदस्य संख्या के अनुसार इन समितियों का संगठन सरकार निश्चित करेगी।

3.2 एक परामर्शदात्री समिति की न्यूनतम सदस्य संख्या 10 होगी और अधिकतम सदस्य संख्या 30 होगी।

3.3 परामर्शदात्री समितियों की सदस्यता स्वैच्छिक है। यदि संसद सदस्य किसी परामर्शदात्री समिति पर नियमित सदस्य के रूप में कार्य करना चाहती/चाहता है तो वह अपना अनुरोध (संलग्न प्रोफार्मा में) लोक सभा/राज्य सभा में अपने दलों/ग्रुपों के नेता को तीन मंत्रालयों/विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के विकल्प प्राथमिकता के क्रम पर उपलब्ध कराएगा, जबकि मनोनीत सदस्य तथा छोटे दलों/ग्रुपों के सदस्य (5 सदस्यों से कम) अपनी प्राथमिकता सीधे संसदीय कार्य मंत्रालय को भेज सकते हैं। दल/ग्रुप के नेता इस पर विचार के पश्चात उनकी सिफारिश को संसदीय कार्य मंत्रालय को भेजेंगे। एक संसद सदस्य किसी भी समय में केवल किसी एक परामर्शदात्री समिति का नियमित सदस्य बन सकता है।

3.4 यदि संसद सदस्य किसी विशेष मंत्रालय/विभाग के विषयों में विशेष रूचि रखते हैं तो उन्हें उस परामर्शदात्री समिति पर स्थायी विशेष आमंत्रित व्यक्ति के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। एक सदस्य को केवल एक ही परामर्शदात्री समिति पर स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में नामित किया जा सकता है। तथापि, ऐसा सदस्य परामर्शदात्री समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार नहीं होगा। प्रत्येक परामर्शदात्री समिति पर अधिकतम 5 स्थायी विशेष आमंत्रित अनुमत होंगे।

3.5 संसदीय कार्य मंत्रालय रिक्ति की स्थिति और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर संसद सदस्य की प्राथमिकता को देखते हुए किसी परामर्शदात्री समिति पर संसद सदस्य की सदस्यता को अधिसूचित करेगा।

3.6 एक सदस्य, जो न तो एक नियमित सदस्य है और न ही स्थायी विशेष आमंत्रित है, को परामर्शदात्री समिति की बैठक में विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है, यदि उसने चर्चा के लिए किसी विषय का नोटिस दिया है और उस विषय को कार्यसूची में शामिल कर लिया गया है अथवा यदि उसने परामर्शदात्री समिति की बैठक के लिए अधिसूचित कार्यसूची मद (मदों) पर चर्चा में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की है और उनके इस अनुरोध को संसदीय कार्य मंत्री द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। तथापि, ऐसा सदस्य परामर्शदात्री समिति की बैठक में भाग लेने के लिए किसी यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार नहीं होगा।

3.7 परामर्शदात्री समिति का नियमित सदस्य उसकी हकदारी के अनुसार अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

3.8 मंत्रालय/विभाग के प्रभारी मंत्री अपने मंत्रालय/विभाग से संबद्ध परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जब भी आपवादिक कारणों से, प्रभारी मंत्री पहले से बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता कर पाने में असमर्थ होते हैं, तो या तो बैठक की अध्यक्षता उस मंत्रालय/विभाग के राज्य मंत्री करेंगे अथवा बैठक स्थगित कर दी जाएगी।

3.9 परामर्शदात्री समिति उस स्थिति में भंग हो जाएगी, यदि उसकी सदस्य संख्या सदस्य (सदस्यों) की सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र देने के कारण दस से कम हो जाती है। ऐसी भंग समिति के शेष सदस्यों से अनुरोध किया जाएगा कि उपरोक्त पैरा 3.3 में निर्धारित मार्ग-निर्देशों के अनुसार अपनी प्राथमिकताएं दर्शाएं ताकि उन्हें जहां भी रिक्तियां उपलब्ध हैं उस परामर्शदात्री समिति पर नामित किया जा सके।

3.10 प्रत्येक लोक सभा के भंग होने पर परामर्शदात्री समितियां भी भंग हो जाएंगी और प्रत्येक लोक सभा का गठन होने पर पुनर्गठित की जाएंगी।

3.11 संसदीय कार्य मंत्रालय परामर्शदात्री समितियों के गठन को अधिसूचित करेगा।

4. कार्य और सीमाएं

4.1 परामर्शदात्री समितियां संबंधित मंत्रालयों/विभागों की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं पर अनौपचारिक वातावरण में मुक्त और खुली चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करती हैं।

4.2 संसद सदस्य किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिस पर संसद में समुचित रूप में चर्चा की जा सकती है। तथापि, परामर्शदात्री समिति की बैठक में उठाए गए किसी भी विषय का संसद के किसी भी सदन में हवाला देना वांछनीय नहीं होगा। यह सरकार और सदस्यों दोनों के लिए बाध्य होगा।

4.3 परामर्शदात्री समितियों को किसी गवाह को बुलाने, किसी मिसिल को मंगवाने अथवा प्रस्तुत कराने अथवा किसी सरकारी रिकार्ड की जांच करने का अधिकार नहीं होगा।

5. बैठकें

<u>बैठकों की संख्या</u>

5.1 सामान्यतया परामर्शदात्री समितियों की 6 बैठकें सत्रावधि और अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित की जाएंगी। परामर्शदात्री समितियों की एक वर्ष में 6 बैठकों में से, 4 बैठकें होनी अनिवार्य हैं। इनमें से, समिति के अध्यक्ष की सुविधानुसार, 3 बैठकें अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित की जानी चाहिए तथा एक बैठक सत्रावधि अथवा अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित की जानी चाहिए।

<u>दिल्ली से बाहर बैठकें</u>

5.2 समिति के अध्यक्ष यदि चाहें तो, एक कलैंडर वर्ष में अंत:सत्रावधि के दौरान परामर्शदात्री समिति की एक बैठक दिल्ली से बाहर भारत में कहीं भी आयोजित की जा सकती है।

<u>बैठक की तारीख</u>

5.3 जहां तक संभव हो, परामर्शदात्री समिति की अगली बैठक की तारीख का निर्णय समिति की पिछली बैठक में कर लिया जाए।

<u>अवधि</u>

5.4 बैठक की अवधि का निर्णय निष्पादित किए जाने वाले कार्य को देखते हुए अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

<u>बैठक के लिए सूचना</u>

5.5 परामर्शदात्री समितियों की बैठकों के लिए पर्याप्त प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तथा ऐसी बैठकों के एक साथ होने से बचने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों, को जहाँ तक संभव हो, बैठक आयोजित करने के निर्णय की सूचना संसदीय कार्य मंत्रालय को बैठक की तारीख से कम से कम चार सप्ताह पूर्व भेज देनी चाहिए।

5.6 परामर्शदात्री समिति की बैठक की सूचना सदस्यों और आमंत्रितों को संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा सत्रावधि के दौरान कम से कम 10 दिन पहले और अंत:सत्रावधि के दौरान कम से कम दो सप्ताह पूर्व भेजी जाएगी।

5.7 सदस्यों को बैठक की सूचना सत्रावधि के दौरान दिल्ली में उनके आवास के पते पर भेजी जाएंगी और अंत:सत्रावधि के दौरान उनके दिल्ली के पते के साथ-साथ स्थायी पतों पर भी भेजी जाएंगी।

<u>गणपूर्ति (कोरम)</u>

5.8 परामर्शदात्री समिति की बैठक के संचालन के लिए कोई गणपूर्ति (कोरम) नियत नहीं की गई है।

6. कार्यसूची

6.1 जहां तक संभव हो, परामर्शदात्री समिति की बैठक के लिए कार्यसूची का निर्णय अध्यक्ष द्वारा सदस्यों के परामर्श से किया जाए। सदस्यगण भी अध्यक्ष के विचार हेतु कार्यसूची में शामिल करने के लिए मद (मदों) का सुझाव दे सकते हैं।

6.2 जहां तक संभव हो, परामर्शदात्री समिति की उत्तरवर्ती बैठक की कार्यसूची का निर्णय समिति की पिछली बैठक के दौरान कर लिया जाए।

6.3 परामर्शदात्री समिति की बैठक के लिए कार्यसूची कागजात (हिन्दी और अंग्रेजी रूपांतर दोनो) (पिछली बैठक का कार्यवृत्त, पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर कार्रवाई रिपोर्ट और आगामी बैठक के लिए कार्यसूची मद (मदों) पर ब्रीफ/टिप्पणियों सहित) संबंधित मंत्रालय द्वारा संसदीय कार्य मंत्रालय को कम से कम दस दिन पूर्व भेज दिए जाएं ताकि उन्हें बैठक के दौरान चर्चा में सुविधा हेतु पर्याप्त समय पहले सदस्यों को परिचालित किया जा सके।

6.4 संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा संसदीय कार्य मंत्रालय को कार्यसूची कागजात की प्रतियां (अंग्रेजी और हिन्दी रूपांतर) पर्याप्त संख्या में भेजी जाएं (सत्रावधि के दौरान सदस्यों की संख्या जमा दस और अंत:सत्रावधि के दौरान सदस्यों की संख्या से दोगुनी जमा दस)।

6.5 सदस्यगण संसदीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से संबंधित मंत्रालय/विभाग से कार्यसूची की मदों/अतिरिक्त मदों पर विवरण अथवा अतिरिक्त जानकारी मांग सकते हैं।

7. सिफारिशें

7.1 बैठक की अनुमोदित कार्यसूची मदों पर हुई चर्चा का संक्षिप्त रिकार्ड रखा जाए और उसे सदस्यों को परिचालित किया जाए।

7.2 निम्न अपवादों को छोड़कर समिति के दृष्टिकोण में जहां कहीं भी एकमतता होगी, सरकार सामान्यत: उस सिफारिश को मान लेगी अर्थात:-

(i) वित्तीय निहितार्थ सहित कोई सिफारिश;
(ii) सुरक्षा, रक्षा, विदेश और परमाणु ऊर्जा से संबंधित कोई सिफारिश; और
(iii) स्वायत्त संस्थान के कार्यक्षेत्र में आने वाला कोई मामला।

8. प्रशासनिक मामले

8.1 संसदीय कार्य मंत्रालय परामर्शदात्री समितियों से संबंधित मामलों के संबंध में सम्पूर्ण समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा।

8.2 संबंधित मंत्रालय/विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण परामर्शदात्री समिति की बैठकों में उपस्थित होंगे और कार्यसूची मदों के प्रस्तुतिकरण में मंत्री को जानकारी और स्पष्टीकरण इत्यादि उपलब्ध कराके सहायता प्रदान करेंगे।

8.3 सभी सूचनाएं, कार्यसूची कागजात, कार्यवृत्त इत्यादि सत्रावधि के दौरान दिल्ली में सदस्यों के आवास के पतों पर भेजे जाएंगे और अन्त: सत्रावधि के दौरान उनके दिल्ली के पतों के साथ-साथ स्थायी पतों पर भी भेजे जाएंगे।

9. उप-समिति

परामर्शदात्री समिति की उप-समितियां गठित नहीं की जाएंगी।

(दिशा-निर्देशों के पैरा 3.3 में उल्लिखित प्रोफार्मा)

संसदीय कार्य मंत्रालय

परामर्शदात्री समिति पर नामांकन

मुझे निम्नलिखित परामर्शदात्री समितियों में से किसी एक पर प्राथमिकता क्रम में नामांकित कर दिया जाए:-

क्र.सं.	परामर्शदात्री समिति का नाम
1.	
2.	
3.	

हस्ताक्षर ....

नाम ....

(स्वच्छ अक्षरों में)

सदस्य: लोक/राज्य सभा

दल जिससे संबद्‌ध हैं:

निम्नलिखित स्थानों पर मोबाइल/टेलीफोन तथा फैक्स नंबर

(क) दिल्ली का पता:..

...

(ख) स्थायी पता:..

...

(ग) ईमेल आईडी:

सेवा में

अवर सचिव,
संसदीय कार्य मंत्रालय,
92, संविधान सदन,
नई दिल्ली।
टेलीफोन नंबर : 011-23034746/44
ई-मेल आईडी : committee-mpa@gov.in

परिशिष्ट - 7
(देखें पैरा 8.4)

<u>18वीं लोक सभा के दौरान गठित परामर्शदात्री समितियों की सूची</u>

क्रम सं.	परामर्शदात्री समिति का नाम
1.	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
2.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय
3.	नागर विमानन मंत्रालय
4.	कोयला और खान मंत्रालय
5.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
6.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
7.	सहकारिता मंत्रालय
8.	कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
9.	संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय
10.	रक्षा मंत्रालय
11.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
12.	शिक्षा मंत्रालय
13.	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
14.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
15.	विदेश मंत्रालय
16.	वित्त मंत्रालय
17.	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
18.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
19.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
20.	भारी उद्योग मंत्रालय
21.	गृह मंत्रालय
22.	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
23.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय
24.	जल शक्ति मंत्रालय
25.	श्रम और रोजगार मंत्रालय
26.	विधि और न्याय मंत्रालय
27.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
28.	पंचायती राज मंत्रालय
29.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
30.	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

31.	विद्युत मंत्रालय
32.	रेल मंत्रालय
33.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
34.	ग्रामीण विकास मंत्रालय
35.	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
36.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
37.	इस्पात मंत्रालय
38.	वस्त्र मंत्रालय
39	जनजातीय कार्य मंत्रालय
40	महिला और बाल विकास मंत्रालय
41	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
42	आयुष मंत्रालय

परिशिष्ट - 8

(देखें पैरा 8.5)

वर्ष 2025 के दौरान आयोजित परामर्शदात्री समितियों की बैठकों की तारीखें और उनमें चर्चा किए गए महत्वपूर्ण विषय

क्र.सं.	परामर्शदात्री समिति का नाम	बैठक की तारीख और समय	कार्यसूची का विषय	बैठकों का स्थान	2025 में आयोजित बैठकों की कुल संख्या
1	कृषि और किसान कल्याण	03-07-2025 अपराह्न 2:00 बजे	“प्राकृतिक खेती और राष्ट्रीय तिलहन मिशन”	श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर	**2**
		20-08-2025 सायं 5:00 बजे	प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना	समिति कक्ष “जी-074”, संसद ग्रंथालय, नई दिल्ली	
2	रसायन और उर्वरक	27-11-2025 सायं 4:00 बजे	जन औषधि तक वर्धित पहुंच और जागरूकता	समिति कक्ष ‘2’, संसदीय सौध (विस्तार बिल्डिंग), नई दिल्ली	**2**
		09-12-2025 सायं 5:30 बजे	उर्वरक उपलब्धता और राज्य सरकार की भूमिका	समिति कक्ष “जी-074”, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली	
3	कोयला और खान	19-03-2025 सायं 6:30 बजे	कोयले का वैकल्पिक इस्तेमाल: कोयला गैसीफिकेशन/साफ़ इस्तेमाल की ओर	“मुख्य” समिति कक्ष, संसदीय सौध, नई दिल्ली	**2**
		03-07-2025 पूर्वाह्न 10:00 बजे	(i) “खनन से आगे: खदान बंद करना और दोबारा इस्तेमाल करना” (ii) “भारत में मिनरल एक्सप्लोरेशन”।	सम्मेलन हॉल, कान्हा शांति वनम, कान्हा गांव नंदीगाम मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना	
4	वाणिज्य और उद्योग	12-08-2025 सायं 6:30 बजे	(i) कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना और (ii) राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) में सुधार	समिति कक्ष ‘1’, संसदीय सौध (विस्तार बिल्डिंग), नई दिल्ली	**2**
		08-09-2025 अपराह्न 1:00 बजे	“आईपीआर व्यवस्था: अब तक की प्रगति और आगे सुधार”	सम्मेलन कक्ष नं.31, भूतल, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली	
5	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	21-05-2025 सायं 4:00 बजे	“उपभोक्ताओं को उत्पादों के गुणवत्ता आश्वासन के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का उपयोग”	समिति कक्ष ‘1’, संसदीय सौध (विस्तार बिल्डिंग), नई दिल्ली	**3**
		04-09-2025 सायं 4:00 बजे	"खाद्य सब्सिडी"	समिति कक्ष “ख”, संसदीय सौध, नई दिल्ली	

		18-12-2025 सायं 6:15 बजे	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के माध्यम से उपभोक्ता अधिकारों को सुदृढ़ करना	समिति कक्ष "ग", संसदीय सौध, नई दिल्ली	
6	सहकारिता	11-02-2025 सायं 6:00 बजे	सहकारी सोसाइटियों को मज़बूत करने के लिए पहले से उठाए गए कदम और अभी उठाए जा रहे कदम	समिति कक्ष '1', संसदीय सौध (विस्तार बिल्डिंग), नई दिल्ली	**3**
		05-08-2025 सायं 6:00 बजे	"(i) 2 लाख नई बहुउद्देशीय PACS, डेयरी और फिशरीज़ प्राइमरी सहकारी सोसाइटियों की स्थापना; और (ii) कोऑपरेटिव के नेतृत्व में व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0"	समिति कक्ष '1', संसदीय सौध (विस्तार बिल्डिंग), नई दिल्ली	
		06-12-2025 अपराह्न 2:40 बजे	सहकारी डेयरी क्षेत्र	बानस डेयरी संदर, जिला-बानसकांठा, गुजरात	
7	कॉरपोरेट कार्य	20-08-2025 पूर्वाह्न 9:30 बजे	एलएलपी अधिनियम, 2008 का कार्य और प्रशासन	सम्मेलन कक्ष "जी-074", संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली	**1**
8	संस्कृति और पर्यटन	19-08-2025 सायं 6:00 बजे	संस्कृति मंत्रालय:- 1. "युगे युगीन भारत" 2. "ज्ञान भारतम मिशन" पर्यटन मंत्रालय:- 1. "होमस्टे के ज़रिए ठहरने की उपलब्धता और आजीविका के अवसर बढ़ाना"। 2. "पर्यटन में निवेश और नौकरियां लाने के लिए ईज ऑफ डुइंग बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बढ़ावा देना"।	समिति कक्ष "ग", संसदीय सौध, नई दिल्ली	**1**
9	रक्षा	25-03-2025 पूर्वाह्न 10:00 बजे	रक्षा अनुसंधान और विकास में आत्मनिर्भर भारत के लिए डीआरडीओ द्वारा उठाए गए कदम	सम्मेलन कक्ष 'समन्वय-3', संसद भवन, नई दिल्ली	**4**
		24-07-2025 पूर्वाह्न 9:30 बजे	"सशस्त्र बलों में महिला सशक्तिकरण"	सम्मेलन कक्ष 'समन्वय-3', संसद भवन, नई दिल्ली	
		16-10-2025 अपराह्न 2:00 बजे	उभरती प्रौद्योगिकियाँ और डीआरडीओ	एआरडीई लेब, पुणे, महाराष्ट्र	
		11-12-2025 पूर्वाह्न 9:45 बजे	सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण	समिति कक्ष 'समन्वय-3', संसद भवन, नई दिल्ली	

10	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास	07-02-2025 अपराह्न 3:30 बजे	उत्तर पूर्व क्षेत्र में हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र का विकास	समिति कक्ष “घ”, संसदीय सौध, नई दिल्ली	**4**
		27-03-2025 अपराह्न 2:30 बजे	NESIDS-सड़कें और NESIDS- OTRI	“मुख्य” समिति कक्ष, संसदीय सौध, नई दिल्ली	
		24-07-2025 सायं 4:00 बजे	“उत्तर पूर्व क्षेत्र में 10% जीबीएस का उपयोग”।	“मुख्य” समिति कक्ष, संसदीय सौध, नई दिल्ली	
		03-12-2025 सायं 4:00 बजे	पीएम-डेविन (PM-DevINE)	समिति कक्ष ‘3’, संसदीय सौध (विस्तार बिल्डिंग), नई दिल्ली	
11	शिक्षा	06-02-2025 सायं 6:00 बजे	नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (फाउंडेशन स्टेज) और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (स्कूल एजुकेशन) की खास बातें: खिलौनों पर आधारित पढ़ाई और एनसीइआरटी की नई किताबें	समिति कक्ष ‘1’, संसदीय सौध (विस्तार बिल्डिंग), नई दिल्ली	**3**
		06-06-2025 पूर्वाह्न 11:30 बजे	स्कूलों और हायर एजुकेशन में भारतीय भाषा में शिक्षा को बढ़ावा देना	होटल मेरिअट, इंदौर, मध्य प्रदेश	
		18-12-2025 सायं 6:00 बजे	“शिक्षा में शिक्षण और अधिगम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग”	“मुख्य” समिति कक्ष, संसदीय सौध, नई दिल्ली	
12	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	23-01-2025 पूर्वाह्न 9:30 बजे	प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA)’	वन आनुवंशिकी और वृक्ष प्रजनन संस्थान (आईएफजीटीबी), कोयंबटूर, तमिलनाडु	**2**
		18-12-2025 पूर्वाह्न 9:30 बजे	मानव-पशु संघर्ष	समिति कक्ष ‘3’, संसदीय सौध (विस्तार बिल्डिंग), नई दिल्ली	
13	विदेश	22-03-2025 पूर्वाह्न 11:00 बजे	भारत और पड़ोसी देश: बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार और श्रीलंका	जवाहर लाल नेहरू भवन (सम्मेलन कक्ष नं.1), गेट नं.1, ‘सी’ विंग, 23-घ, जनपथ, नई दिल्ली	**2**
		26-05-2025 पूर्वाह्न 11:00 बजे	सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला	जवाहर लाल नेहरू भवन (सम्मेलन कक्ष नं.1), गेट नं.1, ‘सी’ विंग, 23-घ, जनपथ, नई दिल्ली	
14	वित्त	19-06-2025 पूर्वाह्न 11:00 बजे	अर्थव्यवस्था की स्थिति: सतत सुधार	समिति कक्ष “ग”, संसदीय सौध, नई दिल्ली	**2**
		21-08-2025 पूर्वाह्न 9:30 बजे	इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका बढ़ाने की रणनीति"	“मुख्य” समिति कक्ष, संसदीय सौध, नई दिल्ली	

15	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी	13-05-2025 अपराह्न 3:00 बजे	राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी)	समिति कक्ष '1', संसदीय सौध (विस्तार बिल्डिंग), नई दिल्ली	**4**
		21-08-2025 पूर्वाह्न 9:30 बजे	(i)"मत्स्य पालन हेतु फसल उपरांत अवसंरचना का विकास" (ii)"डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पादन"	समिति कक्ष '2', संसदीय सौध (विस्तार बिल्डिंग), नई दिल्ली	
		13-11-2025 पूर्वाह्न 11:00 बजे	राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनडीपीपी) और ऊंट नस्ल संरक्षण	होटल मेरिअट, जेसलमेर, राजस्थान	
		18-12-2025 सायं 6:30 बजे	वैल्यू एडिशन, क्वालिटी कंप्लायंस और ग्लोबल मार्केट इंटीग्रेशन के ज़रिए सी फ़ूड एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना	समिति कक्ष "घ", संसदीय सौध, नई दिल्ली	
16	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	25-03-2025 सायं 6:30 बजे	विश्व खाद्य भारत-2025	समिति कक्ष '2', संसदीय सौध (विस्तार बिल्डिंग), नई दिल्ली	**2**
		06-08-2025 पूर्वाह्न 10:00 बजे	"पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकरण (पीएमएफएमई)" योजना	समिति कक्ष "ग", संसदीय सौध, नई दिल्ली	
17	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	28-03-2025 सायं 6:00 बजे	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)	समिति कक्ष 'समन्वय-3', संसद भवन, नई दिल्ली	**4**
		20-06-2025 अपराह्न 3:00	"राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम"	समिति कक्ष "ग", संसदीय सौध, नई दिल्ली	
		27-10-2025 पूर्वाह्न 11:00 बजे	सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम	समिति कक्ष "ग", संसदीय सौध, नई दिल्ली	
		30-12-2025 पूर्वाह्न 11:00 बजे	गैर-संचारी रोग (एनसीडी)	समिति कक्ष '1', संसदीय सौध (विस्तार बिल्डिंग), नई दिल्ली	
18	भारी उद्योग	19-03-2025 सायं 5:00 बजे	i) इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन ii) भारी विद्युत उपकरणों का विनिर्माण	समिति कक्ष "ख", संसदीय सौध	**1**
19	गृह	10-02-2025 सायं 6:30 बजे	साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध	समिति कक्ष '2', संसदीय सौध (विस्तार बिल्डिंग), नई दिल्ली	**2**
		19-08-2025 सायं 6:00 बजे	"आपदा प्रबंधन एवं क्षमता निर्माण"	समिति कक्ष '1', संसदीय सौध (विस्तार बिल्डिंग), नई दिल्ली	
20	आवासन और शहरी कार्य	27-03-2025 सायं 7:00 बजे	स्वच्छ भारत मिशन - शहरी 2.0	"मुख्य" समिति कक्ष, संसदीय सौध, नई दिल्ली	**3**
		19-08-2025 सायं 6:30 बजे	रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016	"मुख्य" समिति कक्ष, संसदीय सौध, नई दिल्ली	
		15-12-2025 सायं 6:00 बजे	हुडको की भूमिका और कार्य	"मुख्य" समिति कक्ष, संसदीय सौध, नई दिल्ली	
21	जल शक्ति	18-03-2025 पूर्वाह्न 9:15 बजे	गोबरधन	समिति कक्ष '1', संसदीय सौध (विस्तार बिल्डिंग), नई दिल्ली	**4**

		31-07-2025 सायं 6:00 बजे	सिंचाई में लास्ट माइल डिलीवरी को बेहतर बनाना, जिसमें MCADWM पायलट स्कीम पर खास ध्यान दिया जाएगा	समिति कक्ष “ख”, संसदीय सौध, नई दिल्ली	
		09-10-2025 पूर्वाह्न 9:30 बजे	उपचारित जल का सुरक्षित पुनः उपयोग	सूरत मेरिअट होटल, सूरत, गुजरात	
		15-12-2025 सायं 6:00 बजे	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	समिति कक्ष “ख”, संसदीय सौध, नई दिल्ली	
22	श्रम और रोजगार	12-08-2025 पूर्वाह्न 9:30 बजे	“प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना”	“मुख्य” समिति कक्ष, संसदीय सौध, नई दिल्ली	**1**
23	विधि और न्याय	20-06-2025 पूर्वाह्न 10:00 बजे	“एक राष्ट्र, एक चुनाव”	लेह, लदाख	**1**
24	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	12-03-2025 पूर्वाह्न 9:30 बजे	एमएसएमई प्रदर्शन को बढ़ाना और तेज करना (आरएएमपी)।	समिति कक्ष “ग”, संसदीय सौध, नई दिल्ली	**2**
		21-07-2025 अपराह्न 2:00 बजे	सार्वजनिक खरीद नीति	समिति कक्ष ‘1’, संसदीय सौध (विस्तार बिल्डिंग), नई दिल्ली	
25	पंचायती राज	23-06-2025 दोपहर 12:00 बजे	लीड करने के लिए सशक्त: WER की कैपेसिटी बिल्डिंग के ज़रिए प्रॉक्सी रिप्रेज़ेंटेशन से निपटना	समिति कक्ष “ग”, संसदीय सौध, नई दिल्ली	**2**
		18-12-2025 पूर्वाह्न 9:30 बजे	ग्राम पंचायतों द्वारा अपने राजस्व के स्रोत जुटाना	समिति कक्ष ‘2’, संसदीय सौध (विस्तार बिल्डिंग), नई दिल्ली	
26	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	23-05-2025 पूर्वाह्न 10:00 बजे	“पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता और सामर्थ्य”।	आईटीसी ग्रेंड भारत, गुरूग्राम, हरियाणा	**2**
		16-12-2025 सायं 6:30 बजे	विविधीकरण और ऊर्जा संक्रमण	“मुख्य” समिति कक्ष, संसदीय सौध, नई दिल्ली	
27	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग	26-05-2025 पूर्वाह्न 11:00 बजे	अंतर्देशीय जलमार्ग विकास	होटल ताज (हरिटेज), मुंबई, महाराष्ट्र	**3**
		07-08-2025 पूर्वाह्न 9:30 बजे	राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (एनएमएचसी), लोथल	समिति कक्ष ‘3’, संसदीय सौध (विस्तार बिल्डिंग), नई दिल्ली	
		12-12-2025 पूर्वाह्न 9:30 बजे	जहाज निर्माण की क्षमता और योग्यता	समिति कक्ष ‘3’, संसदीय सौध (विस्तार बिल्डिंग), नई दिल्ली	
28	विद्युत	16-01-2025 सायं 6:00 बजे	पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) का कार्यान्वयन	समिति कक्ष ‘1’, संसदीय सौध (विस्तार बिल्डिंग), नई दिल्ली	**6**
		20-03-2025 सायं 7:00 बजे	नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान- ट्रांसमिशन	“मुख्य” समिति कक्ष, संसदीय सौध, नई दिल्ली	
		28-04-2025 दोपहर 12:00 बजे	परमाणु ऊर्जा उत्पादन के विकास के लिए रोडमैप	काक्रापार, न्यूक्लियर पावर प्लांट (NPP), गुजरात	

		04-08-2025 सायं 7:00 बजे	“ग्रिड स्केल बिजली भंडारण क्षमता का विकास”	“मुख्य” समिति कक्ष, संसदीय सौध, नई दिल्ली	
		17-11-2025 पूर्वाह्न 11:30 बजे	“हैदराबाद में पंप स्टोरेज परियोजनाएं, पिन्नापुरम, पीएसपी के साइट विजिट सहित”	पिन्नापुरम, पीएसपी, आंध्र प्रदेश	
		18-12-2025 सायं 6:00 बजे	मसौदा विद्युत संशोधन विधेयक, 2025	समिति कक्ष ‘3’, संसदीय सौध (विस्तार बिल्डिंग), नई दिल्ली	
29	रेल	25-11-2025 पूर्वाह्न 10:30 बजे	भारतीय रेलवे के कामकाज का अवलोकन	“मुख्य” समिति कक्ष, संसदीय सौध, नई दिल्ली	**1**
30	सड़क परिवहन और राजमार्ग	29-04-2025 पूर्वाह्न 11:30 बजे	नेशनल हाईवे डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन गुणवत्ता	“मुख्य” समिति कक्ष, संसदीय सौध, नई दिल्ली	**1**
31	ग्रामीण विकास	19-08-2025 सायं 5:30 बजे	“प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)”	समिति कक्ष ‘2’, संसदीय सौध (विस्तार बिल्डिंग), नई दिल्ली	**1**
32	कौशल विकास उद्यमिता	11-08-2025 सायं 6:00 बजे	शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस)	समिति कक्ष ‘1’, संसदीय सौध (विस्तार बिल्डिंग), नई दिल्ली	**3**
		10-11-2025 सायं 4:00 बजे	राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना	ताज फिशरमैनस कोव रिजार्ज एण्ड स्पा, चैन्नई, तमिल नाडु	
		17-12-2025 सायं 6:00 बजे	पीएम-सेतु योजना	समिति कक्ष “ग”, संसदीय सौध, नई दिल्ली	
33	सामाजिक न्याय और रोजगार	03-04-2025 पूर्वाह्न 10:00 बजे	दिव्यांगों के आर्थिक सशक्तिकरण और पहुंच से जुड़े मुद्दों पर चर्चा	समिति कक्ष ‘2’, संसदीय सौध (विस्तार बिल्डिंग), नई दिल्ली	**2**
		07-08-2025 पूर्वाह्न 10:00 बजे	NAMSTE (मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना) योजना	सम्मेलन कक्ष '1', डा. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जनपथ, नई दिल्ली	
34	इस्पात	11-12-2025 सायं 4:00 बजे	इस्पात क्षेत्र के लिए कच्चे माल की उपलब्धता	समिति कक्ष “घ”, संसदीय सौध, नई दिल्ली	**1**
35	वस्त्र	11-08-2025 पूर्वाह्न 9:30 बजे	जूट क्षेत्र का विकास	समिति कक्ष ‘1’, संसदीय सौध (विस्तार बिल्डिंग), नई दिल्ली	**2**
		11-12-2025 पूर्वाह्न 9:00 बजे	हथकरघा क्षेत्र	समिति कक्ष ‘3’, संसदीय सौध (विस्तार बिल्डिंग), नई दिल्ली	
36	महिला और बाल विकास	11-08-2025 अपराह्न 1:00 बजे	मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 में लागू किया जा फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम	समिति कक्ष “जी-074”, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली	**2**
		18-12-2025 पूर्वाह्न 10:00 बजे	मिशन वात्सल्य	समिति कक्ष “ग”, संसदीय सौध, नई दिल्ली	
37	युवा कार्यक्रम और खेल	20-08-2025 पूर्वाह्न 9:30 बजे	“खेलो भारत नीति, 2025”	समिति कक्ष “ग”, संसदीय सौध, नई दिल्ली	**1**

38	आयुष	19-08-2025 सायं 4:00 बजे	परिचयात्मक बैठक	समिति कक्ष "जी-074", संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली	**2**
		15-12-2025 सायं 6:00 बजे	किसानों के उत्थान हेतु औषधीय पौधों की खेती के बारे में जागरूकता	समिति कक्ष "घ", संसदीय सौध, नई दिल्ली	

परिशिष्ट - 9
(देखें पैरा 14.1)

वर्ष 2025 में भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों/बोर्डों/परिषदों/आयोगों आदि पर नामित संसद सदस्यों की सूची

क्र.सं.	समिति/बोर्ड/परिषद/आयोग आदि का नाम	नामित संसद सदस्य का नाम		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नामांकन की तारीख
1.	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय नेहरू युवा केंद्र संगठन का संचालक मंडल	श्री मनोज तिवारी	लोक सभा	दिल्ली	03.01.2025
		श्री अनिल फिरोजिया	लोक सभा	मध्य प्रदेश	
		श्री नीरज शेखर	राज्य सभा	उत्तर प्रदेश	
2.	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) की आम सभा	श्री दिलीप शइकिया	लोक सभा	असम	03.01.2025
		श्री सुकांत कुमार पाणिग्रही	लोक सभा	ओडिशा	
		श्री संजय सेठ	राज्य सभा	उत्तर प्रदेश	
3.	रक्षा मंत्रालय केंद्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी)	श्री रविंद्र शुक्ला उर्फ रवि किशन	लोक सभा	उत्तर प्रदेश	07.01.2025
		श्री अभिमन्यु सेठी	लोक सभा	ओडिशा	
		डा. संगीता बलवंत	राज्य सभा	उत्तर प्रदेश	
4.	श्रम और रोजगार मंत्रालय वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई), नोएडा की सामान्य परिषद	डा. लक्ष्मीकांत वाजपेयी	राज्य सभा	उत्तर प्रदेश	04.07.2025
5.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय गोविंद बल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरण एवं विकास समिति	श्री अजय भट्ट	लोक सभा	उत्तराखंड	07.01.2025
		श्री नरेश बंसल	राज्य सभा	उत्तराखंड	
6.	शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद (एनसीपीयूएल)	श्री जगदंबिका पाल	लोक सभा	उत्तर प्रदेश	07.01.2025
		श्री गुलाम अली	राज्य सभा	नाम-निर्देशित	
		श्री शंकर लालवानी	लोक सभा	मध्य प्रदेश	
7.	रेल मंत्रालय **कोंकण रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति** (केआरयूसीसी)	श्री अनूप संजय धोत्रे	लोक सभा	महाराष्ट्र	08.01.2025
		श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी	लोक सभा	कर्नाटक	
		श्री केप्टन विरयाटो फर्नांडिस	लोक सभा	गोवा	
		श्री एन.के. प्रेमचंद्रन	लोक सभा	केरल	
		डा. भागवत कराड़	राज्य सभा	महाराष्ट्र	
		श्री जग्गेश	राज्य सभा	कर्नाटक	
		श्रीमती जेबी माथेर हीशम	राज्य सभा	केरल	
		श्री सदानंद महालू शेट तानवड़े	राज्य सभा	गोवा	

8.	रेल मंत्रालय मेट्रो **रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति** (एमआरयूसीसी)	श्रीमती रचना बेनर्जी	लोक सभा	पश्चिम बंगाल	08.01.2025
		श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो	लोक सभा	पश्चिम बंगाल	
		श्री सामिक भट्टाचार्य	राज्य सभा	पश्चिम बंगाल	
9.	रेल मंत्रालय **आंचलिक रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति** (मध्य रेलवे अंचल)	श्रीमती स्मिता उदय वाघ	लोक सभा	महाराष्ट्र	30.01.2025
		श्री श्रीरंग अप्पा चंदू बारणे	लोक सभा	महाराष्ट्र	
		श्री अनूप संजय धोत्रे	लोक सभा	महाराष्ट्र	
		डा. श्रीकांत एकनाथ शिंदे	लोक सभा	महाराष्ट्र	
		श्री ज्ञानेश्वर पाटील	लोक सभा	मध्य प्रदेश	
		प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड	लोक सभा	महाराष्ट्र	
		छ. उदयनराजे प्रतापसिंह महाराज भोंसले	लोक सभा	महाराष्ट्र	
		श्री धनंजय भीमराव महादिक	राज्य सभा	महाराष्ट्र	
		श्रीमती सुनेत्रा अजीत पवार	राज्य सभा	महाराष्ट्र	
		डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे	राज्य सभा	महाराष्ट्र	
10.	रेल मंत्रालय **क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति** (उत्तर-पूर्वी रेलवे क्षेत्र)	श्री रविंद्र शुक्ला उर्फ रवि किशन	लोक सभा	उत्तर प्रदेश	30.01.2025
		श्री करण भूषण सिंह	लोक सभा	उत्तर प्रदेश	
		श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल	लोक सभा	बिहार	
		श्री अरूण कुमार सागर	लोक सभा	उत्तर प्रदेश	
		श्रीमती विजयलक्ष्मी देवी	लोक सभा	बिहार	
		श्री विजय कुमार दुबे	लोक सभा	उत्तर प्रदेश	
		डा. आनंद कुमार	लोक सभा	उत्तर प्रदेश	
		श्री बाबूराम निषाद	राज्य सभा	उत्तर प्रदेश	
		श्री शंभू शरण पटेल	राज्य सभा	बिहार	
		श्रीमती संगीता यादव	राज्य सभा	उत्तर प्रदेश	
11.	रेल मंत्रालय **क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति** (उत्तर-पूर्व फ्रंट्रीयर रेलवे क्षेत्र)	श्री राजू बिष्ट	लोक सभा	पश्चिम बंगाल	30.01.2025
		डा. जयंत कुमार राय	लोक सभा	पश्चिम बंगाल	
		श्री खगेन मुर्मु	लोक सभा	पश्चिम बंगाल	
		श्री तापिर गाव	लोक सभा	अरूणाचल प्रदेश	
		डा. इंद्रा हाँग सुब्बा	लोक सभा	सिक्किम	
		श्री कृपानाथ मल्लाह	लोक सभा	असम	
		श्री तारिक अनवर	लोक सभा	बिहार	
		श्री नबाम रेबिया	राज्य सभा	अरूणाचल प्रदेश	
		श्रीमती एस. फान्गनॉन कोन्याक	राज्य सभा	नागालैंड	
		श्रीमती एस. फान्गनॉन कोन्याक	राज्य सभा	नागालैंड	
		श्री रवंगवरा नारजारी	राज्य सभा	असम	
12.	रेल मंत्रालय **क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता**	श्री एंटो एंटोनी	लोक सभा	केरल	17.01.2025
		डा. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन	लोक सभा	तमिलनाडु	

	परामर्शदात्री समिति (दक्षिणी रेलवे क्षेत्र)	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	लोक सभा	केरल	
		श्री एन.के. प्रेमचंद्रन	लोक सभा	केरल	
		श्री डग्गुमल्ला प्रसादा राव	लोक सभा	आंध्र प्रदेश	
		श्री एस. वेंकटेशन	लोक सभा	तमिल नाडु	
		श्री मड्डीला गुरूमूर्ति	लोक सभा	आंध्र प्रदेश	
		श्री जी.के. वासन	राज्य सभा	तमिल नाडु	
		श्री एस. सेल्वागनबेथी	राज्य सभा	पुडुचेरी	
13	रेल मंत्रालय **क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति** (दक्षिण-मध्य रेलवे क्षेत्र)	श्रीमती डी.के. अरूणा	लोक सभा	तेलंगाना	17.01.2025
		श्री इटेला राजेंदर	लोक सभा	तेलंगाना	
		श्री जी.एम. हरीश बालयोगी	लोक सभा	आंध्र प्रदेश	
		श्री अरविंद धर्मापुरी	लोक सभा	तेलंगाना	
		श्री बालाशौरी वल्लभनेनी	लोक सभा	आंध्र प्रदेश	
		श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी	लोक सभा	आंध्र प्रदेश	
		श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी	लोक सभा	आंध्र प्रदेश	
		श्री मस्तान राव यादव बीडा	राज्य सभा	आंध्र प्रदेश	
		श्री रायगा कृष्णैया	राज्य सभा	आंध्र प्रदेश	
		श्री साना सतीश बाबू	राज्य सभा	आंध्र प्रदेश	
14	रेल मंत्रालय **क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति** (दक्षिण-पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र)	श्रीमती भारती पारधी	लोक सभा	मध्य प्रदेश	17.01.2025
		श्री बंटी विवेक साहू	लोक सभा	मध्य प्रदेश	
		श्रीमती कमलेश जांगडे	लोक सभा	छतीसगढ़	
		श्री प्रदीप पुरोहित	लोक सभा	ओडिशा	
		श्री आशीष दुबे	लोक सभा	मध्य प्रदेश	
		श्री ब्रजमोहन अग्रवाल	लोक सभा	छतीसगढ़	
		श्री विजय बघेल	लोक सभा	छतीसगढ़	
		श्रीमती माया नारोलिया	राज्य सभा	मध्य प्रदेश	
		श्रीमती फूलो देवी नेताम	राज्य सभा	छतीसगढ़	
		श्री देवेंद्र प्रताप सिंह	राज्य सभा	छतीसगढ़	
15	रेल मंत्रालय **क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति** (उत्तर रेलवे क्षेत्र)	डा. भोला सिंह	लोक सभा	उत्तर प्रदेश	17.01.2025
		श्री नीरज मौर्य	लोक सभा	उत्तर प्रदेश	
		श्री लालजी वर्मा	लोक सभा	उत्तर प्रदेश	
		श्री जुगल किशोर	लोक सभा	जम्मू और कश्मीर	
		श्री चंदन चौहान	लोक सभा	उत्तर प्रदेश	
		श्री अनिल बलूनी	लोक सभा	उत्तराखंड	
		श्री छत्रपाल सिंह गंगवार	लोक सभा	उत्तर प्रदेश	
		श्री नरेश बंसल	राज्य सभा	उत्तराखंड	
		श्री मिथलेश कुमार	राज्य सभा	उत्तर प्रदेश	
		श्री कार्तिकेय शर्मा	राज्य सभा	हरियाणा	
16	रेल मंत्रालय **क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति** (पूर्वी रेलवे क्षेत्र)	श्री खलीलुर रहमान	लोक सभा	पश्चिम बंगाल	17.01.2025
		श्रीमती बाग मिताली	लोक सभा	पश्चिम बंगाल	
		डा. काकोली घोष दस्तीदार	लोक सभा	पश्चिम बंगाल	
		श्रीमती रचना बनर्जी	लोक सभा	पश्चिम बंगाल	
		श्री गिरिधारी यादव	लोक सभा	बिहार	
		डा. निशिकांत दुबे	लोक सभा	झारखंड	

		श्री विजय कुमार हांसदाक	लोक सभा	झारखंड	
		सुश्री डोला सेन	राज्य सभा	पश्चिम बंगाल	
		श्री नागेंद्र रॉय	राज्य सभा	पश्चिम बंगाल	
		श्री सामिक भट्टाचार्य	राज्य सभा	पश्चिम बंगाल	
17	रेल मंत्रालय **क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति** (पूर्व तट रेलवे क्षेत्र)	श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी	लोक सभा	आंध्र प्रदेश	17.01.2025
		श्री बलभद्र माझी	लोक सभा	ओडिशा	
		श्री महेश कश्यप	लोक सभा	छत्तीसगढ़	
		डा. गुम्मा तनुजा रानी	लोक सभा	आंध्र प्रदेश	
		श्री अपराजिता सारंगी	लोक सभा	ओडिशा	
		श्री अनंत नायक	लोक सभा	ओडिशा	
		श्री रूद्र नारायण पाणी	लोक सभा	ओडिशा	
		श्रीमती ममता मोहंता	राज्य सभा	ओडिशा	
		श्री सुजीत कुमार	राज्य सभा	ओडिशा	
		श्री येरम वेंकट सुब्बा रेड्डी	राज्य सभा	आंध्र प्रदेश	
18	रेल मंत्रालय **क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति** (उत्तर-मध्य रेलवे क्षेत्र)	श्री राजकुमार चाहर	लोक सभा	उत्तर प्रदेश	17.01.2025
		श्री देवेंद्र सिंह उर्फ भोले सिंह	लोक सभा	उत्तर प्रदेश	
		श्रीमती संध्या राय	लोक सभा	मध्य प्रदेश	
		श्री रमेश अवस्थी	लोक सभा	उत्तर प्रदेश	
		श्री प्रवीन पटेल	लोक सभा	उत्तर प्रदेश	
		श्री भजन लाल जाटव	लोक सभा	राजस्थान	
		श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि	लोक सभा	उत्तर प्रदेश	
		श्रीमती सीमा द्विवेदी	राज्य सभा	उत्तर प्रदेश	
		श्रीमती चंद्रप्रभा उर्फ गीता	राज्य सभा	उत्तर प्रदेश	
		श्रीमती दर्शना सिंह	राज्य सभा	उत्तर प्रदेश	
19	रेल मंत्रालय **क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति** (मध्य-पूर्व रेलवे क्षेत्र)	श्री रामप्रीत मंडल	लोक सभा	बिहार	
		श्री अशोक कुमार यादव	लोक सभा	बिहार	
		श्री मनीष जायसवाल	लोक सभा	झारखंड	
		श्रीमती शांभवी	लोक सभा	बिहार	
		श्री चंद्र प्रकाश चौधरी	लोक सभा	झारखंड	
		श्री काली चरण सिंह	लोक सभा	झारखंड	
		श्री विष्णु दयाल राम	लोक सभा	झारखंड	
		डा. भीम सिंह	राज्य सभा	बिहार	
		श्री मनन कुमार मिश्रा	राज्य सभा	बिहार	
		श्री उपेंद्र कुशवाहा	राज्य सभा	बिहार	
20	रेल मंत्रालय **क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति** (उत्तर-पश्चिमी रेलवे क्षेत्र)	डा. मन्नालाल रावत	लोक सभा	राजस्थान	17.01.2025
		श्री लुंबा राम	लोक सभा	राजस्थान	
		श्री धर्मबीर सिंह	लोक सभा	हरियाणा	
		श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़	लोक सभा	राजस्थान	
		श्री पी.पी. चौधरी	लोक सभा	राजस्थान	
		श्री राव राजेंद्र सिंह	लोक सभा	राजस्थान	
		श्रीमती मंजू शर्मा	लोक सभा	राजस्थान	
		श्री राजेंद्र गहलोत	राज्य सभा	राजस्थान	
		श्री राम चंदर जांगड़ा	राज्य सभा	हरियाणा	

		श्रीमती रेखा शर्मा	राज्य सभा	हरियाणा	
21	रेल मंत्रालय **क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति** (दक्षिण-पूर्वी रेलवे क्षेत्र)	श्री अधिकारी सौमेन्दु	लोक सभा	पश्चिम बंगाल	17.01.2025
		श्री बिद्युत बरन महतो	लोक सभा	झारखंड	
		श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो	लोक सभा	पश्चिम बंगाल	
		श्री सौमित्र खान	लोक सभा	पश्चिम बंगाल	
		श्री प्रताप चंद्र सारंगी	लोक सभा	ओडिशा	
		डा. शर्मिला सरकार	लोक सभा	पश्चिम बंगाल	
		श्री कालिपद सरेन खेरवाला	लोक सभा	पश्चिम बंगाल	
		श्री खीरू महतो	राज्य सभा	बिहार	
		श्री दीपक प्रकाश	राज्य सभा	झारखंड	
		श्री आदित्य प्रसाद	राज्य सभा	झारखंड	
22	रेल मंत्रालय **क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति** (दक्षिण-पश्चिमी रेलवे क्षेत्र)	श्री तेजस्वी सूर्या	लोक सभा	कर्नाटक	17.01.2025
		श्री ई. तुकाराम	लोक सभा	कर्नाटक	
		डा. सी.एन. मंजूनाथ	लोक सभा	कर्नाटक	
		श्री एम. मल्लेश बाबू	लोक सभा	कर्नाटक	
		श्री बी.के. पार्थसारथी	लोक सभा	आंध्र प्रदेश	
		डा. के. सुधाकर	लोक सभा	कर्नाटक	
		कुमारी प्रियंका सतीश जर्कीहोली	लोक सभा	कर्नाटक	
		श्री ईरण्ण कडाडी	राज्य सभा	कर्नाटक	
		श्री नारायण कोरागप्पा	राज्य सभा	कर्नाटक	
		श्री लहर सिंह सिरोया	राज्य सभा	कर्नाटक	
23	रेल मंत्रालय **क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति (पश्चिम रेलवे क्षेत्र)**	डा. हेमंत विष्णु सवरा	लोक सभा	महाराष्ट्र	
		श्री राजपालसिंह महेंद्रसिंह जादव	लोक सभा	गुजरात	17.01.2025
		श्री विनोद लखमशी चावड़ा	लोक सभा	गुजरात	
		श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान	लोक सभा	मध्य प्रदेश	
		श्री पटेल उमेशभाई बाबूभाई	लोक सभा	दमन और दीव	
		श्रीमती पूनमबेन हेमंतभाई माडम	लोक सभा	गुजरात	
		श्री अनिल फिरोजिया	लोक सभा	मध्य प्रदेश	
		श्री नरहरी अमीन	राज्य सभा	गुजरात	
		श्री रामभाई हरिभाई मोकरिया	राज्य सभा	गुजरात	
		श्री सदानंद महालु शेट तानवड़े	राज्य सभा	गोवा	
24	रेल मंत्रालय **क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति** (पश्चिम-मध्य रेलवे क्षेत्र)	श्री आलोक शर्मा	लोक सभा	मध्य प्रदेश	17.01.2025
		श्री चंद्र प्रकाश जोशी	लोक सभा	राजस्थान	
		श्री जनार्दन मिश्रा	लोक सभा	मध्य प्रदेश	
		डा. लता वानखेडे	लोक सभा	मध्य प्रदेश	
		श्री भारत सिंह कुशवाह	लोक सभा	मध्य प्रदेश	
		डा. राजेश मिश्रा	लोक सभा	मध्य प्रदेश	
		श्री दर्शन सिंह चौधरी	लोक सभा	मध्य प्रदेश	
		श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक	राज्य सभा	मध्य प्रदेश	

		श्री चुन्नीलाल गरासिया	राज्य सभा	राजस्थान	
		श्री बंशीलाल गुर्जर	राज्य सभा	मध्य प्रदेश	
25	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राष्ट्रीय वनरोपण और पर्यावरण विकास बोर्ड	सुश्री बांसुरी स्वराज	लोक सभा	दिल्ली	18.06.2025
		श्री अरूण सिंह	राज्य सभा	उत्तर प्रदेश	
26	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सोसाइटी ऑफ वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून, उत्तराखंड	श्री अजय भट्ट	लोक सभा	उत्तराखंड	18.06.2025
		श्री अतुल गर्ग	लोक सभा	उत्तर प्रदेश	
		श्री महेंद्र भट्ट	राज्य सभा	उत्तराखंड	
27	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नेविगेशन सहायता के लिए केंद्रीय सलाहकार समिति	श्री विवेक ठाकुर	लोक सभा	बिहार	18.06.2025
		डा. परमार जशवंतसिंह सालमसिंह	राज्य सभा	गुजरात	
28	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के लिए केंद्रीय सलाहकार समिति	डा. जयंत कुमार रॉय	लोक सभा	पश्चिम बंगाल	27.01.2025
		श्री जय प्रकाश	लोक सभा	उत्तर प्रदेश	
		श्री मिथलेश कुमार	राज्य सभा	उत्तर प्रदेश	
29	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय “हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013” की धारा 29 के तहत बनाई गई केंद्रीय निगरानी समिति	श्री विनोद लखमशी चावड़ा	लोक सभा	गुजरात	27.01.2025
		डा. भोला सिंह	लोक सभा	उत्तर प्रदेश	
30	श्रम और रोजगार मंत्रालय बाल एवं किशोर श्रम पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड	श्री बिभु प्रसाद तराई	लोक सभा	ओडिशा	15.07.2025
		श्री मनन कुमार मिश्रा	राज्य सभा	बिहार	
31	शिक्षा मंत्रालय नवोदय विद्यालय समिति	श्री अनिल बलूनी	लोक सभा	उत्तराखंड	15.10.2025
		श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान	लोक सभा	मध्य प्रदेश	
		श्रीमती शांभवी	लोक सभा	बिहार	
		डा. अलोक कुमार सुमन	लोक सभा	बिहार	
		श्री धनश्याम तिवाड़ी	राज्य सभा	राजस्थान	
		डा. कल्पना सेनी	राज्य सभा	उत्तराखंड	21.11.2025

परिशिष्ट - 10
(देखें पैरा 14.2)

वर्ष 2025 में हिंदी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन

क्र.सं.	मंत्रालय का नाम	मनोनीत सांसदों के नाम	सदन	राज्य	नामांकन की तिथि
1	योजना मंत्रालय	डॉ. हेमांग जोशी	लोक सभा	जीजे	11.02.2025
		डॉ. सी.एन. मंजूनाथ	लोक सभा	केआर	
		श्री गोविंदभाई लालजीभाई ढोलकिया	राज्य सभा	जीजे	
		श्री नागेंद्र राय	राज्य सभा	डब्ल्यूबी	
2	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	श्री नबाम रेबिया	राज्य सभा	एआर	05.05.2025
		श्रीमती एस. फांगनोन कोन्याक	राज्य सभा	एनएल	
3	भारी उद्योग मंत्रालय	श्री बाबूराम निषाद	राज्य सभा	यूपी	30.01.2025
4	खान मंत्रालय	श्री भोजराज नाग	लोक सभा	सीजी	03.01.2025
		श्री काली चरण सिंह	लोक सभा	जेएच	
		श्री सुजीत कुमार	राज्य सभा	ओडी	
		श्री देवेंद्र प्रताप सिंह	राज्य सभा	सीजी	
5	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	श्री अविमन्यु सेठी	लोक सभा	ओडी	03.01.2025
		श्रीमती मंजू शर्मा	लोक सभा	आरजे	
		श्री आदित्य प्रसाद	राज्य सभा	जेएच	
		श्री साना सतीश बाबू	राज्य सभा	ए.पी	
6	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	श्री अरविंद गणपत सावंत	लोक सभा	एमएच	03.01.2025
		श्री सतीश कुमार गौतम	लोक सभा	युपी	
		श्री राजेंद्र गहलोत	राज्य सभा	आरजे	
		श्री खीरू महतो	राज्य सभा	बीआर	
7	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	श्रीमती डी.के. अरुणा	लोक सभा	टीजी	03.01.2025
		श्री अजय भट्ट	लोक सभा	यूके	
		श्री धनंजय भीमराव महादिक	राज्य सभा	एमएच	
		श्री उपेंद्र कुशवाहा	राज्य सभा	बीआर	
8	नागर विमानन मंत्रालय	श्री राजू बिस्टा	लोक सभा	डब्ल्युबी	03.01.2025
		श्री अरुण भारती	लोक सभा	बीआर	
		श्री बालयोगी उमेशनाथ	राज्य सभा	एमपी	
		डॉ. वनवेरॉय खारलुखी	राज्य सभा	एमएल	
9	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	श्री प्रदान बरुआ	लोक सभा	एएस	08.04.2025
		श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह	लोक सभा	यूके	
		श्री दीपक प्रकाश	राज्य सभा	जेएच	
		श्री संजय सेठ	राज्य सभा	यूपी	

10	मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	श्री कार्तिक चंद्र पॉल	लोक सभा	डब्ल्युबी	09.04.2025
		श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा	लोक सभा	जीजे	
		श्री नरेश बंसल	राज्य सभा	यूके	
		श्री नीरज डांगी	राज्य सभा	आरजे	
11	शिक्षा मंत्रालय	श्री अशोक सिंह	राज्य सभा	एमपी	08.04.2025
12	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	श्री प्रताप चंद्र सारंगी	लोक सभा	ओडी	08.04.2025
		श्री अरविंद गणपत सावंत	लोक सभा	एमएच	
		डॉ. भगवत कराड	राज्य सभा	एमएच	
		श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	राज्य सभा	यूपी	
13	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	श्रीमती संध्या राय	लोक सभा	एमपी	27.03.2025
		श्रीमती अपराजिता सारंगी	लोक सभा	ओडी	10.02.2025
		श्री राजीव भट्टाचार्य	राज्य सभा	टीआर	
		श्रीमती फूलो देवी नेताम	राज्य सभा	सीजी	
14	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	श्री अनिल बलूनी	लोक सभा	यूके	07.01.2025
		डॉ. लता वानखेड़े	लोक सभा	एमपी	
		श्री वी. विजयेंद्र प्रसाद	राज्य सभा	मनोनीत	
		श्री जग्गेश	राज्य सभा	केआर	
15	युवा मामले और खेल मंत्रालय	श्री राधेश्याम राठिया	लोक सभा	सीजी	07.01.2025
		श्री अनूप संजय धोत्रे	लोक सभा	एमएच	
		श्रीमती साधना सिंह	राज्य सभा	यूपी	
		सुश्री स्वाति मालीवाल	राज्य सभा	डीएल	
16	रेल मंत्रालय	श्री योगेंद्र चंदोलिया	लोक सभा	डीएल	30.01.2025
		श्री राजकुमार चाहर	लोक सभा	ऊपर	
		श्री इरन्ना कडाडी	राज्य सभा	केआर	
		श्री केसरीदेवसिंह झाला	राज्य सभा	जीजे	
17	आयुष मंत्रालय	श्री राहुल सिंह लोधी	लोक सभा	एमपी	03.02.2025
		श्री ज्ञानेश्वर पाटिल	लोक सभा	एमपी	
		डॉ. लक्ष्मीकांत बाजपेयी	राज्य सभा	यूपी	
		श्री नवीन जैन	राज्य सभा	यूपी	
18	पंचायती राज मंत्रालय	श्री जय प्रकाश	लोक सभा	यूपी	03.02.2025
		श्री जगन्नाथ सरकार	लोक सभा	डब्ल्यूबी	
		श्री रामभाई हरजीभाई मोकारिया	राज्य सभा	जीजे	
		श्री बीरेंद्र प्रसाद वैश्य	राज्य सभा	एएस	
19	संचार मंत्रालय	श्री तापिर गाओ	लोक सभा	एआर	09.04.2025
		श्री नरेश गणपत म्हस्के	लोक सभा	एमएच	
		डॉ. मेधा विश्राम कुलकर्णी	राज्य सभा	एमएच	
		श्री दोरजी शेरिंग लेपचा	राज्य सभा	एसके	

20	संस्कृति मंत्रालय	सुश्री कंगना रनौत	लोक सभा	एचपी	09.04.2025
		श्री रोडमल नागर	लोक सभा	एमपी	
		श्री नबाम रेबिया	राज्य सभा	एआर	
		श्री सदानंद म्हालु शेट तनावडे	राज्य सभा	जीए	
21	रक्षा मंत्रालय	श्री दिलेश्वर कामैत	लोक सभा	बीआर	09.04.2025
		श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़	लोक सभा	आरजे	
		श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाण	राज्य सभा	एमएच	
		श्री रामेश्वर तेली	राज्य सभा	एएस	
22	पर्यटन मंत्रालय	डॉ. इंद्र हांग सुब्बा	लोक सभा	एसके	05.05.2025
		श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह	लोक सभा	यूके	
		डॉ. सस्मित पात्रा	राज्य सभा	ओडी	
		श्री मयंकभाई जयदेवभाई नायक	राज्य सभा	जीजे	
23	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	श्री कृपानाथ मल्लाह	लोक सभा	एएस	05.05.2025
		डॉ. स्वामी सचिदानंद हरि साक्षी	लोक सभा	यूपी	
		श्री मयंकभाई जयदेवभाई नायक	राज्य सभा	जीजे	
		श्रीमती पी.टी. उषा	राज्य सभा	मनोनीत	
24	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	श्री सुरेश कुमार कश्यप	लोक सभा	एचपी	29.05.2025
		श्रीमती संध्या राय	लोक सभा	एमपी	
		श्री धैर्यशील मोहन पाटिल	राज्य सभा	एमएच	
		श्री रयागा कृष्णैय्या	राज्य सभा	एपी	
25	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	श्री बृजमोहन अग्रवाल	लोक सभा	सीजी	09.05.2025
		श्री एटाला राजेंदर	लोक सभा	टीजी	
		श्री सतनाम सिंह संधू	राज्य सभा	मनोनीत	
		श्री गुलाम अली	राज्य सभा	मनोनीत	
26	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	श्री हिमाद्री सिंह	लोक सभा	एमपी	06.05.2025
		श्री विष्णु दयाल राम	लोक सभा	जेएच	
		श्रीमती रेखा शर्मा	राज्य सभा	एचआर	
		श्री नितिन लक्ष्मणराव जाधव पाटिल	राज्य सभा	एमएच	
27	रक्षा मंत्रालय	श्री कैप्टन बृजेश चौटा	लोक सभा	केआर	17.06.2025
		श्री शशांक मणि	लोक सभा	यूपी	
		श्री बाबूराम निषाद	राज्य सभा	यूपी	
		डॉ .लक्ष्मीकांत बाजपेयी	राज्य सभा	यूपी	
29	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	श्री अनिल बलूनी	लोक सभा	यूके	15.07.2025
		श्री रवींद्र शुक्ला उर्फ रवि किशन	लोक सभा	यूपी	
		श्री पका वेंकट सत्यनारायण	राज्य सभा	एपी	
		श्री कणाद पुरकायस्थ	राज्य सभा	एएस	

परिशिष्ट - 11

(देखें पैरा 11.7)

मंत्रालय में 14 से 30 सितंबर, 2025 के दौरान मनाए गए हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेताओं का विवरण

क्र.सं.	प्रतियोगिता	पुरस्कार विजेता		पुरस्कार
1	हिंदी टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता	1	श्री अरूण कुमार शर्मा, स.अ.अ.	प्रथम
		2	श्री संदीप कुमार, स.अ.अ.	द्वितीय
		3	श्री अजीत कुमार, स.अ.अ.	तृतीय
		4	सुश्री पूजा, कार्यालय सहायक	विशेष
2.	हिंदी टंकण प्रतियोगिता	1	श्री प्रविन्द्र खत्री, व.स.स.	प्रथम
		2	श्री हेमन्त, आशुलिपिक	द्वितीय
		3	श्री नरेन्द्र कुमार, व.स.स.	तृतीय
		4	श्री अजीत कुमार, स.अ.अ.	विशेष
3	हिंदीतर भाषी कर्मचारियों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	1	श्री संजीत कुमार दास, अ.अ.	प्रथम
		2	श्री श्रीधर स्वामी, कंटेंट राइटर	द्वितीय
		3	श्री जोगेन्द्र नाथ नायक, निजी सचिव	तृतीय
		4	श्री अनुपम नस्कर, प्रोग्रामर	विशेष
4.	हिंदी श्रुतलेखन प्रतियोगिता	1	श्री पवन कुमार, एमटीएस	प्रथम
		2	सुश्री प्राची पुंडीर, एमटीएस	द्वितीय
		3	श्री हर्ष चौहान, एमटीएस	तृतीय
		4	श्रीमती अनामिका सिंह, एमटीएस	विशेष
		5	श्री दिनेश वर्मा, एमटीएस	विशेष
5.	हिंदी अनुवाद प्रतियोगिता	1	श्रीमती अपर्णा यादव, क.अ.अ.	प्रथम
		2	डॉ. प्रणव भारद्वाज, व.अ.अ.	प्रथम
		3	श्री अजीत कुमार, स.अ.अ.	द्वितीय
		4	श्री मोहित मीना, स.अ.अ.	तृतीय
		5	श्री प्रखर पुरवार, स.अ.अ.	विशेष
6.	हिंदी प्रश्नोत्तरी	1	श्री संदीप कुमार, स.अ.अ.	प्रथम
		2	श्रीमती अंजू, क.स.स.	द्वितीय
		3	श्री अजीत कुमार, स.अ.अ.	तृतीय
		4	श्री अविनाश कुमार, स.अ.अ.	तृतीय
		5	श्री हेमन्त, आशुलिपिक	विशेष
		6	श्री अभिनव, स.अ.अ.	विशेष
7.	हिंदी कविता लेखन प्रतियोगिता	1	श्रीमती अपर्णा यादव, क.अ.अ.	प्रथम
		2	श्री अरूण कुमार शर्मा, स.अ.अ.	द्वितीय
		3	डॉ. प्रणव भारद्वाज, व.अ.अ.	तृतीय
		4	श्री अविनाश कुमार, स.अ.अ.	विशेष

8.	हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता	1	श्रीमती प्रियंका, बड्थवाल, अ.अ.	प्रथम
		2	श्री अभिनव, स.अ.अ.	द्‌वितीय
		3	श्री अरूण कुमार शर्मा, स.अ.अ.	तृतीय
		4	श्री प्रविन्द्र खत्री, व.स.स.	तृतीय
		5	श्री संदीप कुमार, स.अ.अ.	विशेष
		6	सुश्री पूजा, कार्यालय सहायक	विशेष

मंत्रालय में मूल हिंदी टिप्पण-आलेखन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2024-25 के दौरान संचालित हिंदी टिप्पण-आलेखन नकद पुरस्कार योजना के तहत पुरस्कार विजेता

क्र.सं.	पुरस्कार विजेता	पुरस्कार
1.	श्रीमती आकांक्षा अग्रवाल, स.अ.अ.	प्रथम
2.	श्री मंजेश कुमार कुशवाहा, स.अ.अ.	प्रथम
3.	श्री भवान सिंह, क.स.स.	द्‌वितीय
4.	श्री अरूण कुमार शर्मा, स.अ.अ.	द्‌वितीय
5.	श्री अजीत कुमार, स.अ.अ.	द्‌वितीय
6.	श्री संदीप कुमार, स.अ.अ.	तृतीय
7.	श्री अविनाश कुमार, स.अ.अ.	तृतीय
8.	श्री मोहित मीना, स.अ.अ.	तृतीय
9.	श्री अभिनव, स.अ.अ.	तृतीय
10.	श्रीमती अंजू, क.स.स.	तृतीय

परिशिष्ट - 12

(देखें पैरा 14.7)

संसद सदस्यों को स्वीकार्य वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	मद	वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं
1	वेतन	रूपये 1,24,000/- प्रतिमाह (01.04.2023 से)
2	दैनिक भत्ता	रूपये 2,500/- दिनांक 01.04.2023 से। संसद सदस्यों को संसद के सत्र के दौरान हर उस दिन, जिस दिन के लिए भत्ते का दावा करना है, लोक सभा/राज्य सभा सचिवालयों द्वारा हस्ताक्षर के उद्देश्य से रखे गए रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने होते हैं (बीच में पड़ने वाली छुट्टियों को छोड़कर, जिनके लिए ऐसे हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है)।
3	अन्य भत्ते	दिनांक 01/04/2023 से निर्वाचन क्षेत्र भत्ता रूपये 87,000/- प्रतिमाह की दर से और कार्यालय व्यय भत्ता रूपये 75,000/- प्रतिमाह की दर से, जिसमें से रूपये 25,000/- लेखन सामग्री इत्यादि और डाक संबंधी मदों पर व्यय के लिए होंगे; और लोक/राज्य सभा सचिवालय सदस्यों द्वारा सचिवालयिक सहायता प्राप्त करने के लिए रखे गए व्यक्ति (व्यक्तियों) को रूपये 50,000/- प्रतिमाह तक का भुगतान करेगा और एक व्यक्ति सदस्य द्वारा विधिवत प्रमाणित कंम्प्यूटर प्रशिक्षित होगा।
4	टेलीफोन	दिल्ली के आवास, निर्वाचन क्षेत्र के आवास और इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रयोजनार्थ सभी तीनों टेलीफोनों को मिलाकर प्रतिवर्ष 1,50,000 नि:शुल्क कॉल। ट्रंक कॉल के बिलों को प्रति वर्ष 1,50,000 स्थानीय कॉल की धनराशि की सीमा के अन्दर रहते हुए समायोजित किया जाएगा। इससे ज्यादा की गई कॉलों को, जो निर्धारित कोटा से अधिक होंगी, अगले वर्ष के कोटे में समायोजित करने की अनुमति दी जाएगी। जो सदस्य उनको उपलब्ध कुल नि:शुल्क स्थानीय कॉलों का उपयोग नहीं करते हैं तो जब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं, उनकी अप्रयुक्त शेष टेलीफोन कॉलों को आगे जोड़ दिया जाएगा। सदस्य उन्हें उपलब्ध कुल नि:शुल्क स्थानीय कॉलों का उपयोग करने के लिए कितनी भी संख्या में, दिल्ली में अपने आवास तथा निर्वाचन क्षेत्र में, टेलीफोनों का प्रयोग करने के हकदार हैं बशर्ते कि टेलीफोन उनके अपने नाम पर होना चाहिए तथा उन्हें उपलब्ध तीन टेलीफोनों के अतिरिक्त अन्य टेलीफोनों को लगाने और उनका किराया सदस्य द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। सदस्य महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड, से राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा सहित दो मोबाइल फोन (एक दिल्ली में और दूसरा निर्वाचन क्षेत्र में) अथवा जहां महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड या भारत

		संचार निगम लिमिटेड की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, किसी अन्य निजी मोबाईल आपरेटर द्वारा मोबाईल फोन का प्रयोग उन्हें उपलब्ध कुल नि:शुल्क स्थानीय कॉलों के लिए कर सकता है, बशर्ते कि निजी मोबाईल फोन के लिए पंजीकरण और किराया प्रभार सदस्य द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। एक सदस्य प्रति वर्ष वापिस की गई दस हजार कॉल के स्थान पर उपरोक्त तीन टेलीफ़ोन में से किसी एक पर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड/भारत संचार निगम लिमिटेड से ब्रॉडबैंड सुविधा प्राप्त करने का भी हकदार है। इसके अतिरिक्त एक सदस्य दिल्ली निवास पर वाईफाई सेवाओं के साथ हाई स्पीड एफ.टी.टी.एच. का लाभ भी उठा सकता है बशर्ते कि इस सुविधा के प्रभार के लिए सरकार द्वारा सीधे महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को केवल रू.2,200/- प्रतिमाह तक भुगतान किया जाएगा।
5	आवास	नि:शुल्क किराए वाले फ्लैट (होस्टल आवास सहित)। यदि कोई सदस्य बंगला आवास का हकदार है और यदि उसके अनुरोध पर उसे बंगला आबंटित किया जाता है, तो वह पूरे साधारण किराए का भुगतान करेगा। नव निर्वाचित संसद सदस्य यदि निर्वाचन आयोग द्वारा उसके निर्वाचन की अधिसूचना के प्रकाशन से पहले दिल्ली पहुंच जाता है तो वह पारगमन आवास का हकदार है। फर्नीचर की आर्थिक सीमा - रूपये 1,25,000/- (रूपये 1,00,000/- स्थायी फर्नीचर + रूपये 25,000/- गैर-स्थायी फर्नीचर के लिए)। (इसमें दिनांक 01.04.2023 से शुरू करते हुए प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) के अंतर्गत उपबंधित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर वृद्धि की जाएगी।) प्रत्येक तीन महीने में सोफा कवर और पर्दों की नि:शुल्क धुलाई। संसद सदस्य द्वारा मांग किए जाने पर स्नानघर, रसोईघर में टाईल्स लगवाना।
6	पानी और बिजली	प्रत्येक वर्ष जनवरी से बिजली की प्रतिवर्ष 50,000 यूनिटें (लाईट/पावर प्रत्येक मीटर पर 25,000 यूनिट अथवा दोनों को मिलाकर) और प्रतिवर्ष 4,000 किलो लीटर पानी। जिन संसद सदस्यों के आवास पर पावर मीटर नहीं लगा है उन्हें लाइट मीटर पर 50,000 यूनिट प्रतिवर्ष की अनुमति। अप्रयुक्त बिजली और पानी की यूनिटों को अगले वर्षों में ले जाया जाएगा। अधिक उपयोग की गई यूनिटों को अगले वर्ष के कोटा में समायोजित किया जाएगा। यदि पति और पत्नी दोनों संसद सदस्य हैं और एक ही आवास में रहते हैं तो बिजली और पानी की यूनिटों के नि:शुल्क उपभोग की संयुक्त हकदारी।

		सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/मृत्यु होने पर सदस्य अथवा उसके परिवार को एक महीने के भीतर उस वर्ष में बिजली और पानी की शेष यूनिटों का उपभोग करने की अनुमति दी जा सकती है।
7	चिकित्सा	केन्द्रीय सरकार के ग्रेड-1 अधिकारियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत प्राप्त सुविधाओं के समकक्ष चिकित्सा सुविधाएं।
8	वाहन अग्रिम	दिनांक 01/10/2010 से उस ब्याज दर पर जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है, रूपये 4,00,000/- जिसे अधिकतम 5 वर्ष या सदस्य के कार्यकाल की शेष अवधि के भीतर वापिस लिया जाएगा।
9	यात्रा भत्ता	रेल: यात्रा भत्ते का भुगतान बंद कर दिया गया है। शारीरिक रूप से अक्षम सदस्य उसी श्रेणी में, जिस श्रेणी में वह यात्रा करता है, एक सहयात्री का हकदार होगा। वायुयान: एक यात्री भाड़े के बराबर राशि। इसके अलावा नेत्रहीन/शारीरिक रूप से अक्षम संसद सदस्य के मामले में एक सहयात्री के लिए भी वायुयान भाड़ा। स्टीमर : स्टीमर की उच्चतम श्रेणी के लिए एक यात्री भाड़े के समान राशि (बिना भोजन के)। सड़क : (i) रूपये 16/- प्रति किलो मीटर (दिनांक 1.10.2010 से) (ii) दिल्ली के आवास से दिल्ली हवाई अड्डा जाने और हवाई अड्डा से आवास पर आने के लिए न्यूनतम रूपये 120/- (iii) जब स्थान मेल, एक्सप्रैस और सुपरफास्ट रेल से नहीं जुड़े हों तो सड़क यात्रा भत्ता। (iv) बजट सत्र के मध्यान्तर के दौरान विभागीय स्थायी समिति की दो बैठकों के बीच संक्षिप्त अन्तराल के दौरान वायुयान यात्रा (यात्राओं) के लिए यात्रा भत्ता, एक वायुयान भाड़े तक सीमित + अनुपस्थिति के दिनों के लिए दैनिक भत्ता। (v) पत्नी/पति द्वारा जब सदस्य के साथ यात्रा नहीं की जा रही हो, रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डा आने-जाने के लिए वर्ष में यथा अनुज्ञेय यात्राएं करने हेतु सड़क मील भत्ता (vi) दिल्ली से 300 कि.मी. की दूरी के भीतर रहने वाले सदस्य सडक द्वारा यात्रा कर सकते हैं और 16 रूपये प्रति कि.मी. की दर से सड़क-मील भत्ते का दावा कर सकते हैं (vii) अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के उत्तर-पूर्वी राज्यों के सदस्य/पति या पत्नी निर्वाचन क्षेत्र/राज्य में अपने आवास से निकटतम हवाई अड्डे तक सड़क द्वारा यात्रा कर सकते हैं (viii) शारीरिक रूप से अक्षम सदस्य को रेल/हवाई यात्रा के बदले सड़क द्वारा यात्रा की अनुमति है।
10	यात्रा सुविधा	(i) संसद सदस्य को किसी भारतीय रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी या एक्जीक्यूटिव श्रेणी में यात्रा करने के लिए रेल पास। पति/पत्नी भी संसद सदस्य के साथ उसी श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं। (ii) सहयात्री भी संसद सदस्य के साथ वातानुकूलित दो टीयर में यात्रा कर सकता है। (iii) जिस संसद सदस्य की पत्नी/पति नहीं है वे अपने साथ वातानुकूलित दो टीयर में अनुमत सहयात्री के अतिरिक्त एक व्यक्ति को अपने साथ वातानुकूलित प्रथम श्रेणी/एक्जीक्यूटिव श्रेणी में ले जा सकते हैं। (iv) संसद सदस्य और उनकी पत्नी/पति अथवा एक

		सहयात्री को लद्दाख से दिल्ली आने और जाने के लिए वायुयान यात्रा। (v) अंडमान और निकोबर द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के संसद सदस्य को तथा उनकी पत्नी/पति अथवा एक सहयात्री को द्वीप और मूख्यभूमि के बीच आने जाने के लिए वायुयान यात्रा की सुविधा। (vi) नेत्रहीन अथवा शारीरिक रूप से अक्षम संसद सदस्य वातानुकूलित दो टीयर में सहयात्री के स्थान पर अपने साथ, जिसमें वह स्वयं यात्रा कर रहा हो, वायुयान यात्रा/रेल यात्रा में एक परिचर को ले जा सकता है। (vii) भारत में किसी एक स्थान से किसी अन्य स्थान की अकेले या पत्नी/पति या किसी भी संख्या में सहयात्री या रिश्तेदारों के साथ वर्ष में 34 एकल वायुयान यात्राएं उक्त सीमा के अन्दर। (viii) अगले वर्ष की हकदारी में 8 अतिरिक्त हवाई यात्राओं का समायोजन (ix) अप्रयुक्त हवाई यात्राओं को उत्तरवर्ती वर्ष में ले जाना (x) एक वर्ष में सदस्य को उपलब्ध 34 वायुयान यात्राओं के बदले संसद सदस्य की पत्नी/पति अथवा सहयात्री वर्ष में 8 बार सदस्य के पास जाने के लिए एकल यात्रा कर सकता है। (xi) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्ष्यद्वीप के संसद सदस्य और उसकी पत्नी/पति/सहयात्री के लिए स्टीमर का उच्चतम श्रेणी का स्टीमर पास (भोजन शामिल नहीं है) (xii) जहां आवास का प्रायिक स्थान रेल, सड़क या स्टीमर द्वारा अगम्य हो, उस निकटतम स्थान जहां रेल सेवा उपलब्ध है, के बीच आने-जाने के लिए हवाई यात्रा (xiii) संसद सदस्य के रूप में उन्हें उपलब्ध हवाई यात्राओं का लाभ उठाने के लिए सदस्य किसी भी एयरलाइन्स से यात्रा कर सकते हैं।
11	सदस्य की पत्नी/पति को यात्रा सुविधा	संसद सदस्य के पति/पत्नी को सदस्य के प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली आने और वापस जाने के लिए रेल द्वारा वातानुकूलित प्रथम श्रेणी या एग्जीक्यूटिव श्रेणी में किसी भी रेल से कितनी भी बार यात्रा करने की अनुमति दी गई है। जब संसद सत्र चल रहा हो, तो सदस्य के प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली आने और वापिस जाने के लिए वायुयान से या आंशिक रूप से वायुयान से और आंशिक रूप से रेल से यात्रा करने की अनुमति इस शर्त के अधीन रहते हुए दी गई है कि ऐसी हवाई यात्राओं की कुल संख्या एक वर्ष में आठ से अधिक नहीं होगी। जब संसद का सत्र चल रहा हो और सदस्य की पत्नी/पति द्वारा ऐसी यात्रा या उसका कोई भाग सड़क से तय किया जाता है तो रू.16/- प्रति किलोमीटर की दर से सड़क मील भत्ते की अनुमति दी जाती है। जब संसद का सत्र चल रहा हो और ऐसी यात्रा या उसका कोई भाग सदस्य के प्रायिक निवास के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से तय किया जाता है तो सदस्य की पत्नी/पति वास्तविक वायुयान भाड़े के बराबर धनराशि का अथवा प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली आने अथवा वापिस जाने के लिए वायुयान भाड़े की राशि, जो भी कम हो, के हकदार हैं।

12	दिवंगत संसद सदस्य के परिवार को सुविधाएं	किसी दिवंगत सदस्य के परिवार को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं: (क) ऐसे सदस्य की मृत्यु की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए सरकारी आवास। (ख) सदस्य की मृत्यु की तारीख से दो माह से अनधिक अवधि तक टेलीफोन सुविधाएं।

परिशिष्ट - 13

(देखें पैरा 14.7)

पूर्व संसद सदस्यों को प्रदान की गई सुविधाएं

क्र.सं.	मद	स्वीकार्यता
1	पेंशन	(i) प्रत्येक व्यक्ति, जो अंतरिम संसद के सदस्य के रूप में अथवा संसद के किसी भी सदन का कितनी भी अवधि के लिए सदस्य रहा हो, को रूपये 31,000/- प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन और पांच वर्ष से अधिक संसद की सदस्यता के प्रत्येक वर्ष के लिए बिना किसी अधिकतम सीमा के रूपये 2,500/- प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन। (ii) अतिरिक्त पेंशन के भुगतान के लिए नौ मास अथवा उससे अधिक की अवधि की गणना एक पूर्ण वर्ष के समतुल्य की जाती है। (iii) पूर्व संसद सदस्यों को पेंशन बिना किसी अधिकतम सीमा के कुल मिलाकर किसी भी अन्य पेंशन को देखे बिना अनुमत होगी।
2	परिवार पेंशन	दिवंगत सदस्य/पूर्व सदस्य की पत्नी/पति/आश्रित को उस पेंशन की आधी के बराबर परिवार पेंशन जो संसद सदस्य को उसकी मृत्यु के समय मिल रही होती - पत्नी/पति को आजीवन (केवल उस स्थिति को छोड़कर जब पत्नी/पति पूर्व सांसद हो) और आश्रित व्यक्ति को तब तक जब तक वह आश्रित बना रहता है।
3	यात्रा सुविधा	(i) पूर्व संसद सदस्य, संसद के संबंधित सचिवालय द्वारा रेल यात्रा करने के संबंध में जारी प्राधिकार पत्र के आधार पर, एक सहयात्री सहित भारत में एक स्थान से किसी भी दूसरे स्थान तक वातानुकूलित 2 टीयर में नि:शुल्क रेल यात्रा सुविधा के हकदार हैं। (ii) किसी भी रेलवे में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में किसी भी रेल से अकेले यात्रा करने के हकदार। (iii) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप से संबंधित मंत्रियों को द्वीप और भारत की मुख्यभूमि के बीच स्टीमर सुविधा।
4	चिकित्सा सुविधाएं	केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा शहरों में रहने वाले पूर्व विशेषज्ञों पर विशेष रूप से लागू होता है जिस दर पर वे संसद सदस्य के रूप में भुगतान कर रहे हैं। यह सुविधा (केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली से सीधे प्राप्त की जा सकती है।
5	समय से पूर्व भंग लोक सभा के सदस्यों को सुविधाएं	दिनांक 26.04.1999 से पूर्व भंग लोक सभा के सदस्यों को शेष अप्रैल (i) नि: 1,50,000 टेलीफोन कॉल, (ii) 50,000 यूनिट बिजली, और (iii) 4,000 किलो बिजली पानी को लोक सभा के भंग होने की तिथि से नई लोक सभा के गठन की अवधि का प्रयोग करना है। ऐसी इकाइयों के अधिक होटलों की स्थिति में, यदि सदस्य नई सभा के लिए चुना जाता है तो उसे पहले वर्ष में जो कोटा उपलब्ध होगा, उसमें अधिक की संपत्तियों को शामिल किया जाएगा।